UPFR010036702025

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश</u>

<u>न्यायालय संख्या 02, फर्रूखाबाद।</u>

उपस्थितः– तरूण कुमार सिंह–प्रथम––––––––––**एच०जे०एस०** J.O.Code–UP6264

सत्र वाद संख्या– 359/2025

उ०प्र० राज्य

प्रति

शीलू यादव पुत्र अनिल यादव,

निवासी– आमिलपुर, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रूखाबाद। **हाल निवासी –** मो० रकाबगंज खुर्द, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रूखाबाद।

–––––––––––– **अभियुक्त**

मु०अ०सं०–427/2021

धारा–302/34 **भा.दं.सं. व धारा** 3(2)(V)

एस.सी./एस.टी. एक्ट

थाना– **मऊदरवाजा**

जिला–**फर्रूखाबाद**

एवं

UPFR010003692022

सत्र वाद संख्या– 104/2022

उ०प्र० राज्य प्रति

शीलू यादव पुत्र अनिल यादव,

निवासी– ग्राम आमिलपुर, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रूखाबाद। हाल निवासी – मो० रकाबगंज खुर्द, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रूखाबाद।

––––––––––––– **अभियुक्त**

मु०अ०सं०–525/2021

धारा–3/25 **आर्म्स एक्ट**

थाना– **मऊदरवाजा**

जिला–**फर्रूखाबाद**

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.06.27 14:39:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

1. सत्र वाद संख्या 359/2025, थाना मऊदरवाजा, जिला फर्रूखाबाद, मुकदमा अपराध संख्या– 427/2021 में अभियुक्तगण अनिल यादव, शीलू यादव एवं प्रवीण उर्फ नन्हें यादव के विरुद्ध धारा 302/34 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत तथा सत्र वाद संख्या 104/2022, थाना मऊदरवाजा, जिला फर्रूखाबाद, मुकदमा अपराध संख्या– 525/2021 में अभियुक्त शीलू यादव के विरुद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण विवेचक द्वारा क्रमशः प्रस्तुत आरोप पत्र संख्या 478/2021, दिनांकित 21.12.2021 व आरोप पत्र संख्या 482/2021, दिनांकित 21.12.2021 पर इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 10.01.2022 व 19.01.2022 को प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरान्त विचारण सत्र वाद के रुप में प्रारम्भ हुआ।

उपरोक्त दोनों प्रकरण में अभियुक्त शीलू यादव की बहस के स्तर पर अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध बाध्यकारी आदेशिका जारी हुई। जिस कारण मुकदमा अपराध संख्या– 427/2021, धारा 302/34 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के मामलें में अभियुक्त शीलू यादव की पत्रावली मूल पत्रावली से पृथक कर विचारण किया जा रहा है।

मूल पत्रावली विशेष सत्र परीक्षण संख्या 77/2022 में निर्णय दिनांक 23.09.2025 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया जा चुका है। जिसमें अभियुक्त अनिल यादव को दोषसिद्ध किया गया एवं अन्य अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया। इस तरह से मु.अ.सं. 427/2021 के मामलें में एकमात्र अभियुक्त शीलू यादव का विचारण किया जा रहा है।

2. उपरोक्त दोनों सत्र वाद एक ही घटना से सम्बंधित है इसलिए सुविधा की दृष्टि से दोनों सत्र परीक्षणों को एकजाई कर विचारण एक साथ किया जा रहा है।

3. सत्र वाद संख्या 359/2025 का अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा शारदा ने दिनांक 27.09.2021 को हस्तलिखित तहरीर **प्रदर्श क – 1** थानाध्यक्ष मऊदरवाजा, फर्रुखाबाद को इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि निवेदन है कि प्रार्थिनी मो० रकाबगंज, था०– मऊदरवाजा जिला– फर्रुखाबाद का निवासीनी है। मेरा लड़का शिवा दि० 27–9–21 को समय 3 बजे दिन मे घर से दिलदार नि० ढंईया के घर पर उधारी के रुपया लेने गया था दिलदार के घर पर न मिलने के कारण शिवा वापस घर आ रहा था जब शिवा चुंगी के पास आया तो उसने अपने फोन से राजा पुत्र विक्रम को फोन किया तो तुरन्त राजा व अनूप स्कूटी से शिवा के पास गये तो उनके सामने ही अजय व सुशील पुत्रगण सुरेश नि०गण रकाबगंज व अनिल यादव पुत्र रामेश्वर नि० अमिलापुर ने सुरेश गिहार के कहने पर लिए हुये तमचों से शिवा पर जान से मारने की नियत से फायर किये और प्रदीप, शनी पुत्रगण लालाराम, अनुज पुत्र अनिल, सोनू पुत्र रमेश ने फाइरिंग की जिसके फलस्वरूप शिवा की मृत्यु

हो गयी ये घटना करीव 4 बजे दिन की है। सूचना पर मैं भी पहुंच गयी थी और थाने सूचना करने आई हूं। अतः प्रार्थना है। कि सूचना दर्ज करके कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. सत्र वाद संख्या 104/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द बरामदगी एक अदद आला कत्ल तमन्चा 315 बोर मय दो अदद कारतूस 315 बोर **प्रदर्श क–28** के आधार पर वादी मुकदमा उ.नि. शिव शंकर प्रसाद तिवारी द्वारा दर्ज करायी गयी है। जिसके संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.21 को मु०अ०सं० व धारा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभि० शीलू यादव पुत्र अनिल यादव नि० ग्राम आमिलपुर थाना मऊदरवाजा हाल नि० रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद जिसके द्वारा उपरोक्त मुकदमे में मा० न्यायालय फर्रुखाबाद में आत्मसर्पण किया गया था जिसकी विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर फर्रुखाबाद द्वारा सम्पादित की जा रही है, के द्वारा आरोपी उपरोक्त का बयान मा० न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर दि० 02.12.21 को जिला कारागार फतेहगढ़ में जाकर लिये थे आरोपी ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुये पूछने पर आला कत्ल तंमचा व कारतूस को हत्या करने के बाद चिलसरा रोड से काशीराम कालोनी हैवतपुर गढिन जाने वाली रोड पर संतोष इलेक्ट्रिक दुकान से पहले झाड़ियों में सड़क किनारे रखना बताये जाने पर तथा अपनी निशानदेही पर बरामद कराये जाने हेतु बताये जाने पर आरोपी उपरोक्त को मा० न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमाण्ड हेतु प्रार्थना की गयी थी मा० न्यायालय द्वारा आज दि० का अभियुक्त का 11.00 बजे से 17.00 बजे सायं तक का प्रदान किया गया है, के आधार पर मुताबिक आदेश श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर से मै उ0नि0 शिवशंकर प्रसाद तिवारी मय उ0नि0 मुनीर खान का0 416 सुधासू मय जीप सेकिन्ड मोबाइल मय चालक कां० 41 मंजेश के साथ जिला कारागार फतेहगढ़ आया जहाँ पर क्षेत्राधिकारी नगर महोदय मिले जिनके साथ मैं उ०नि० जिला कारागार फतेहगढ़ पँहुचा मुताबिक आदेश मा० न्यायालय दिनांकित 4.12.21 राज्य प्रति शीलू यादव न्यायालय विशेष न्यायाधीश sc/st act फर्रुखाबाद के अनुसार पुलिस हिरासत में लेकर थाना आया जिसका दाखिला थाना हाजा के रोजनामचा आम में बहवाले रपट नं० 38 समय 12.44 पर किया गया अभि० द्वारा दिये गये बयान के मुताबित आला कत्ल की बरामदगी हेतु मय मुल्जिम मय हमराही फोर्स मय जीप सरकारी व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के साथ अभियुक्त द्वारा बताये रास्ते पर पहुंचे तो अभि० ने संतोष बिजली दुकान से 30 कदम पहले दाहिने तरफ जीप रूकवा दी और जीप से उतरकर आगे चलकर बेत सब्जी रामभरोसे के खेत व सड़क के बीच मे बड़ी झाडियो व खडे नीम के पेड़ के बीच में पड़ी मिट्टी के अन्दर से मिट्टी को हाथ से हटाकर समय करीब 13.15 बजे एक पालिथिन में लिपटा तमन्चा व कारतूस सहित दिया पालिथिन को खोलकर देखा तो उसके अन्दर 1 तमंचा 315 बोर जो चालू हालत मे है जिसकी बैरल लोहे की व बट बाडी पीतल की है बट के दोनो तरफ स्क्रू से लकड़ी की चाप कसी है तमन्चे की कुल लम्बाई एक बालिस्त लगभग है नाल की कुल लम्बाई लगभग 7 अंगुल है बाड़ी की कुल लम्बाई लगभग 5 अंगुल है

तथा बट की कुल लम्बाई लगभग 4 अंगुल है बाडी व ट्रेगर हैमर ट्रैगर गार्ड व खोलने बन्द करने के लिये दोनों तरफ खटका बना है तथा बट के नीचे डोरी लगाने के लिये छेददार कड़ी बनी है। साथ ही पालीथिन के अन्दर से 2 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुये अभि० शीलू यादव द्वारा बताया कि इसी तमन्चे से मैनें शिवा गिहार को गोली मारकर हत्या की थी और शिवा गिहार को मेरे पिता और छोटे भाई ने गोली मारी थी तब बरामद तमन्चा व कारतूस को उसी पालिथीन में एक कपड़े में रखकर मौके पर सील सर्वे मोहर किया गया नमूना मोहर बनाया गया अभि० द्वारा अपने निशानदेही पर हत्या मे प्रयुक्त नाजायज आला कत्ल तमचा व कारतूस बरामद कराया गया अभि० द्वारा धारा 3/25 A Act का अपराध कारित किया गया है अभियुक्त को धारा 3/25 a act के जुर्म से अवगत कराया गया। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा बोल बोल कर उ०नि० मुनीर खान से मौके पर लिखवाई गयी।

5. वादिनी मुकदमा श्रीमती शारदा की हस्तलिखित तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर दिनांक 28.09.2021 को समय 03:09 बजे मुकदमा अपराध संख्या 427/2021, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 120B भा.दं.सं. व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण अजय, सुशील, अनिल यादव, सुरेश गिहार, प्रदीप, शनि, अनुज एवं सोनू के विरुद्ध दर्ज की गई। जिसका इन्द्राज थाने की जी.डी. की नकल रपट संख्या 19 समय 03:09 बजे दिनांक 28.09.2021 को किया गया है तथा फर्द बरामदगी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मऊदरवाजा पर दिनांक 05.12.2021 को समय 14.59 बजे, मु.अ.सं. 525/2021, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त शीलू यादव के विरुद्ध दर्ज की गई। जिसका इन्द्राज थाने की जी.डी. की नकल रपट संख्या 45 समय 14.59 बजे दिनांक 05.12.2021 को किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मु.अं.सं. 427/2021 मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी नितेश सिंह द्वारा ग्रहण की गयी। इस विवेचक के अवकाश पर होने पर आंशिक विवेचना अजेय कुमार शर्मा लिंक अधिकारी द्वारा की गयी। क्षेत्राधिकारी नितेश सिंह के स्थानान्तरण के उपरान्त विवेचना प्रदीप सिंह द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी तथा मु.अं.सं. 525/2021 के मामले कि विवेचना उ.नि. पंकज सिंह द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गई। विवेचक क्षेत्राधिकारी अजेय कुमार शर्मा द्वारा घटनास्थल का नक्शा–नजरी **प्रदर्श क– 25** एवं नक्शा नजरी बरामदगी स्थल एक अदद आला कत्ल तमन्चा 315 बोर मय दो अदद कारतूस 315 बोर **प्रदर्श क– 12** तैयार किया गया तथा दौरान विवेचना साक्षियों का धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान दर्ज करने, निरीक्षण घटनास्थल, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त अभियुक्तगण अनिल यादव, शीलू यादव एवं प्रवीण उर्फ नन्हें यादव के विरुद्ध विवेचक क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह द्वारा धारा 302/34 भा.दं.सं. व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी.

एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 478/2021, दिनांक 21.12.2021 को एवं अभियुक्त शीलू यादव के विरुद्ध विवेचक उ.नि. पंकज कुमार द्वारा धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 482/2021, दिनांक 21.12.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिन पर इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 10.01.2022 व 19.01.2022 को प्रसंज्ञान लिया गया।

7. अभियुक्त शीलू यादव वर्तमान में गैर जमानतीय वारण्ट पर जिला कारागार में निरूद्ध है।

8. पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण अनिल यादव, शीलू यादव एवं प्रवीण उर्फ नन्हें यादव के विरुद्ध धारा 302/34 भा.दं.सं. व धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 23.03.2022 को एवं आयुध अधिनियम की धारा 3/25 का आरोप दिनांक 23.03.2022 को पृथक–पृथक विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोपों से इन्कार किया गया तथा विचारण किए जाने की माँग की गई।

दौरान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 319 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांकित 28.02.2023 द्वारा अभियुक्तगण सुशील, अजय, अनुज, सोनू, प्रदीप, सुरेश गिहार उर्फ बच्चा गिहार एवं शनी को धारा 302/34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत शेष अभियुक्तगण के साथ संयुक्त विचारण हेतु तलब किया गया।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने वाद को साबित करने के लिए इस मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। जो इस प्रकार है–

क्रम संख्या	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की प्रकृति**
पी.डब्लू – 1	शारदा देवी	वादिनीमुकदमा एवं मृतक की माँ
पी.डब्लू – 2	राजा	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (वादिनी का भतीजा)
पी.डब्लू – 3	अनूप कुमार	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (वादिनी का भतीजा)
पी.डब्लू – 4	डा० मो० अलीम अन्सारी	पोस्टमार्टम डाक्टर
पी.डब्लू – 5	हे.कां. विमलेश सिंह	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक मु.अ.सं. 427/2021
पी.डब्लू – 6	ज्योति	वादिनी की पुत्री एवं मृतक की बहन
पी.डब्लू – 7	विक्की	पुलिस को सूचना देने वाला व्यक्ति

पी.डब्लू – 8	शाहिद	घटनास्थल के पास का दुकानदार
पी.डब्लू – 9	उ.नि. पंकज कुमार	मु.अ.सं. 525/2021 का विवेचक
पी.डब्लू – 10	हे.कां. रामवीर	मु.अ.सं. 525/2021 का चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
पी.डब्लू – 11	उ.नि. इन्द्रजीत सिंह	द्वितीय विवेचक मु.अ.सं. 432/2021, 511/2021
पी.डब्लू – 12	साजिद	घटनास्थल के पास का दुकानदार
पी.डब्लू – 13	अनिल कुमार राठौर	घटनास्थल के पास का दुकानदार
पी.डब्लू – 14	क्षेत्राधिकारी अजेय कुमार शर्मा	द्वितीय विवेचक
पी.डब्लू – 15	क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह	तृतीय विवेचक
पी.डब्लू – 16	उ.नि. शिवशंकर प्रसाद तिवारी	अभियुक्त शीलू यादव से आला कत्ल बरामदगी का गवाह व वादीमुकदमा है।
पी.डब्लू – 17	उ.नि. रामसेवक वर्मा	अभियुक्त प्रवीन उर्फ नन्हें यादव से आला कत्ल बरामदगी का गवाह
पी.डब्लू – 18	क्षेत्राधिकारी नितेश कुमार	प्रथम विवेचक
पी.डब्लू – 19	महेश कुमार यादव	आलाकत्ल का परीक्षण करने वाला विश्लेषक
पी.डब्लू – 20	उ.नि. सद्दाम खान	अभियुक्त अनिल यादव से आला कत्ल बरामदगी का गवाह
पी.डब्लू – 21	राकेश कुमार	पंचायतनामा गवाह
पी.डब्लू – 22	सूरज गिहार	पंचायतनामा गवाह
पी.डब्लू – 23	दीपक	शाहीद एवं अनिल कुमार राठौर के पास का दुकानदार
पी.डब्लू – 24	कां. आरती शर्मा	अभियुक्त प्रवीन उर्फ नन्हें यादव से आला कत्ल बरामदगी का गवाह

पी.डब्लू – 25	कां. सुधांशु चौहान	अभियुक्त शीलू यादव से आला कत्ल बरामदगी का गवाह

इन साक्षियों के अलावा अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई अन्य साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया।

10. अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत इन साक्षियों द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है जिसके आधार प्रदर्श डाले गए जो इस प्रकार है कि–

प्रदर्श	**विवरण**	**साक्षी**
प्रदर्श क–1	तहरीर वादिनीमुकदमा	पी.डब्लू. 1 शारदा देवी
प्रदर्श क–2	शपथ पत्र दिनांकित 06.10.2021 अनूप कुमार	पी.डब्लू. 2 अनूप कुमार
प्रदर्श क–3	शपथ पत्र दिनांकित 06.10.2021 राजा	पी.डब्लू. 3 राजा
प्रदर्श क–4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी.डब्लू. 4 डा० मो० अलीम अंसारी
प्रदर्श क–5	प्रथम सूचना रिपोर्ट मु.अ.सं. 427/2021	पी.डब्लू. 5 हे.कां. विमलेश सिंह
प्रदर्श क–6	जी.डी. मुकदमा कायमी मु.अ.सं. 427/21	पी.डब्लू. 5 हे.कां. विमलेश सिंह
प्रदर्श क–7	पंचायतनामा	पी.डब्लू. 9 उ.नि. पंकज कुमार
प्रदर्श क–8	सी.एम.ओ. चिट्ठी	पी.डब्लू. 9 उ.नि. पंकज कुमार
प्रदर्श क–9	फोटो लाश	पी.डब्लू. 9 उ.नि. पंकज कुमार
प्रदर्श क–10	फार्म 33 (शव के पोस्टमार्टम हेतु)	पी.डब्लू. 9 उ.नि. पंकज कुमार
प्रदर्श क–11	फार्म 33 (शव को अभिरक्षा में लिये जाने हेतु)	पी.डब्लू. 9 उ.नि. पंकज कुमार
प्रदर्श क–12	नक्शा नजरी बरामदगीस्थल दिनांकित 11.12.2021	पी.डब्लू. 9 उ.नि. पंकज कुमार
प्रदर्श क–13	अभियोजन स्वीकृति दिनांकित 18.12.2021 (अभियुक्त शीलू यादव)	पी.डब्लू. 9 उ.नि. पंकज कुमार
प्रदर्श क–14	आरोप पत्र मु.अ.सं. 525/2021	पी.डब्लू. 9 उ.नि. पंकज कुमार

प्रदर्श क–15	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु.अ.सं. 525/2021	पी.डब्लू. 10 HCP रामवीर
प्रदर्श क–16	जी.डी. मुकदमा कायमी मु.अ.सं. 525/2021	पी.डब्लू. 10 HCP रामवीर
प्रदर्श क–17	अभियुक्त अनिल यादव को गिरफ्तार किये जाने वाले स्थान का नक्शा नजरी	पी.डब्लू. 11 इन्द्रजीत सिंह
प्रदर्श क–18	अभियोजन स्वीकृति वास्ते अभियुक्त अनिल यादव	पी.डब्लू. 11 इन्द्रजीत सिंह
प्रदर्श क–19	आरोप पत्र मु.अ.सं. 432/2021	पी.डब्लू. 11 इन्द्रजीत सिंह
प्रदर्श क–20	अभियुक्त प्रवीन उर्फ नन्हें यादव को गिरफ्तार किये जाने वाले स्थान का नक्शा नजरी	पी.डब्लू. 11 इन्द्रजीत सिंह
प्रदर्श क–21	अभियोजन स्वीकृति वास्ते अभियुक्त प्रवीण उर्फ नन्हें यादव	पी.डब्लू. 11 इन्द्रजीत सिंह
प्रदर्श क–22	आरोप पत्र मु.अ.सं. 511/2021	पी.डब्लू. 11 इन्द्रजीत सिंह
प्रदर्श क–23	शपथ पत्र साजिद दिनंकित 15.01.2022	पी.डब्लू. 12 साजिद
प्रदर्श क–24	शपथ पत्र अनिल राठौर दिनंकित 15.01.2022	पी.डब्लू. 13 अनिल कुमार राठौर
प्रदर्श क–25	नक्शा नजरी घटनास्थल	पी.डब्लू. 14 क्षेत्राधिकारी अजेय कुमार शर्मा
प्रदर्श क–26	अभियुक्त शीलू यादव से आलाकत्ल बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी	पी.डब्लू. 15 क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह
प्रदर्श क–27	आरोप पत्र मु.अ.सं. 427/2021	पी.डब्लू. 15 क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह
प्रदर्श क–28	फर्द बरामदगी आला कत्ल अभियुक्त शीलू यादव	पी.डब्लू. 16 उ.नि. शिव शंकर प्रसाद तिवारी
प्रदर्श क–29	फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी अभियुक्त प्रवीन उर्फ नन्हें	पी.डब्लू. 17 उ.नि. रामसेवक वर्मा

प्रदर्श क–30	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु.अ.सं. 432/2021	पी.डब्लू. 5 हे.कां. विमलेश सिंह
प्रदर्श क–30A	विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट दिनांकित 21.02.2025	पी.डब्लू. 19 महेश कुमार यादव (विश्लेषक)
प्रदर्श क–31	जी.डी. मुकदमा कायमी मु.अ.सं. 432/2021	पी.डब्लू. 5 हे.कां. विमलेश सिंह
प्रदर्श क–31A	फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी अभियुक्त अनिल यादव	पी.डब्लू. 20 उ.नि. सद्दाम खान
प्रदर्श क–32	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु.अ.सं. 511/2021	पी.डब्लू. 5 हे.कां. विमलेश सिंह
प्रदर्श क–33	जी.डी. मुकदमा कायमी मु.अ.सं. 511/2021	पी.डब्लू. 5 हे.कां. विमलेश सिंह
प्रदर्श क–34	विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट दिनांकित 09.02.2022	अन्तर्गत धारा 293 दं.प्र.सं.

वस्तु प्रदर्श	**विवरण**	**साक्षी**
वस्तु प्रदर्श–1	अभियुक्त शीलू यादव से बरामद तमन्चा	पी.डब्लू. 16 उ.नि. शिव शंकर प्रसाद तिवारी
वस्तु प्रदर्श–2	पॉलीथीन (जिसमें अभियुक्त शीलू यादव से बरामद आयुध रखे थे)	पी.डब्लू. 16 उ.नि. शिव शंकर प्रसाद तिवारी
वस्तु प्रदर्श–3	अभियुक्त शीलू यादव से बरामद खोखा कारतूस TC–5 व TC–6	पी.डब्लू. 16 उ.नि. शिव शंकर प्रसाद तिवारी
वस्तु प्रदर्श–4	अभियुक्त शीलू यादव से बरामद दो जिन्दा कारतूस	पी.डब्लू. 16 उ.नि. शिव शंकर प्रसाद तिवारी
वस्तु प्रदर्श–5	अभियुक्त प्रवीन उर्फ नन्हें यादव से बरामद तमन्चा	पी.डब्लू. 17 उ.नि. रामसेवक वर्मा
वस्तु प्रदर्श–6	अभियुक्त प्रवीन उर्फ नन्हें यादव से बरामद दो जिन्दा कारतूस LC–3 व LC–4	पी.डब्लू. 17 उ.नि. रामसेवक वर्मा
वस्तु प्रदर्श–7	सील बन्द कपड़ा	पी.डब्लू. 17 उ.नि. रामसेवक वर्मा
वस्तु प्रदर्श–	अभियुक्त प्रवीन उर्फ नन्हें यादव से बरामद	पी.डब्लू. 17 उ.नि. रामसेवक वर्मा

8,9,10,11	चार मिस कारतूस TC–3, TC–4, TC–7, TC–8	
वस्तु प्रदर्श–12	अभियुक्त अनिल यादव से बरामद तमन्चा	पी.डब्लू. 20 उ.नि. सद्दाम खान
वस्तु प्रदर्श– 13, 14	अभियुक्त अनिल यादव से बरामद दो जिन्दा कारतूस LC–1 व LC–2	पी.डब्लू. 20 उ.नि. सद्दाम खान
वस्तु प्रदर्श– 15,16,17	तीन सील बन्द कपड़ा	पी.डब्लू. 20 उ.नि. सद्दाम खान
वस्तु प्रदर्श– 18,19	अभियुक्त अनिल यादव से बरामद दो खोखा कारतूस 315 बोर TC–1 व TC–2	पी.डब्लू. 20 उ.नि. सद्दाम खान
वस्तु प्रदर्श–20 से 30	खोखा कारतूस EC–1, EC–2, EC–3, EC–4, EC–5, EC–6, EC–7 एवं बुलेट EB–1, EB–2, EB–3, EB–4	पी.डब्लू. 19 महेश कुमार
वस्तु प्रदर्श– 31, 32	बुलेट EB–5 & EB–6	पी.डब्लू. 19 महेश कुमार

इसके अलावा अभियोजन साक्षी द्वारा अन्य किसी भी प्रपत्र को साबित नहीं किया गया है।

11. अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्षी **पी.डब्लू. 1 शारदा देवी,** जो इस मामले का वादिनी मुकदमा एवं मृतक की माँ है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि मेरा लड़का शिवा दिनांक 27–09–2021 को समय 03 बजे दिन में घर से दिलदार निवासी ढुंइया के घर पर उधारी के रुपये लेने गया था। दिलदार के घर पर न मिल पाने के कारण मेरा लड़का शिवा बाथम घर आ रहा था, जब शिवा चुंगी के पास आया तो उसने अपने फोन से राजा पुत्र विक्रम को फोन किया तो तुरन्त राजा व अनूप स्कूटी से शिवा के पास गये तो उनके सामने ही अजय व सुशील पुत्रगण सुरेश उर्फ बच्चा गिहार निवासीगण रकाबगंज व अनिल यादव पुत्र रामेश्वर निवासी अमिलापुर ने सुरेश गिहार के कहने पर अपने हाथों में लिये हुए तमंचों से शिवा पर जान से मारने की नीयत से फायर किये और प्रदीप, सनी पुत्रगण लालाराम, अनुज पुत्र अनिल, सोनू पुत्र रमेश ने फायरिंग की, जिसके फलस्वरूप शिवा की मृत्यु हो गयी। यह घटना करीब 4 बजे दिन की है। सूचना पर मैं भी पहुंच गयी थी और थाना मऊदरवाजा में मैनें घटना की रिपोर्ट लिखायी थी। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।मेरी मौजूदगी में मौके का नक्शा विवेचक ने बनाया था। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति से मैनें तहरीर का०सं० 5A लिखवा ली थी। उस व्यक्ति ने मुझे

तहरीर पढ़कर सुनाई थी। उसके बाद उस तहरीर पर मैनें अपना निशानी अंगूठा लगाया था। मैं अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला हूं और मुल्जिम अनिल यादव, यादव जाति का सवर्ण आदमी है। पत्रावली में शामिल का०सं० 5A को साक्षी को दिखाया गया व पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह तहरीर मैनें बोल–बोलकर घटना के सम्बन्ध में लिखायी थी और थाने पर ही थी, जिस पर मेरा अंगूठा का निशानी अंगूठा लगा है, जिसकी मै पुष्टि करती हूँ। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मेरी घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मेरे सामने मेरे लड़के शिवा की लाश का पंचनामा भरा था, लिखा–पढ़ी की थी और मेरा निशानी अंगूठा लगवाया था। पत्रावली में दाखिल का०सं० 8A/2 से लगायत 8A/3, 8A/4 प्रपत्रों को दिखाया गया, जो कि पंचायतनामा के प्रपत्र है, जिस पर लगे निशानी अंगूठे की साक्षी ने पुष्टि की। सी.ओ. साहब ने घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ की थी। अनिल यादव, शीलू यादव व प्रवीन उर्फ नन्हें हाजिर अदालत को घटना से पहले से मै जानती हूँ। ये अपराधी किस्म के व्यक्ति है, इन पर कई मुकदमें चले, जिसमें हत्या जैसे मुकदमें भी शामिल है।

घटना दिनांक 27.09.2021 को समय चार बजे की है। उस दिन मेरा लड़का शिवा घर से तीन बजे लगभग दिन में दिलदार निवासी ढुंईया फर्रूखाबाद के पास अपने उधारी के पैसे लेने के लिए गया था, परन्तु दिलदार अपने घर पर मौजूद नहीं था, तब मेरा पुत्र शिवा दिलदार के न मिलने पर वापस घर आ रहा था। जब शिवा ढूंईया चुंगी के पास पहुँचा तो अपने आप को घिरा अजय, सुशील, अनिल यादव, सुरेश उर्फ बच्चा, अनुज, सोनू, प्रदीप, शनी लोगों से देखकर उसने राजा को अपने फोन से फोन किया कि राजा स्कूटी लेकर जल्दी आ जाओ तो राजी स्कूटी लेकर अनूप को साथ लेकर ढुंईया चुंगी के पास पहुँचा तो देखा कि भगा–भगा कर मार रहे थे। पहली गोली अजय ने मारी, दूसरी गोली सुशील ने मारी, तीसरी गोली अनिल यादव ने मारी, सुरेश ने कहा कि इसको मार दो जिन्दा बचने न पाये। फिर सोनू ने, अनुज ने, शनि ने, प्रदीप ने इन सब लोगों ने शिवा के ऊपर फायरिंग जान से मारने की नियत से की। गोली लगने से शिवा की मृत्यु मौके पर हो गयी। सूचना मिलने पर मै भी मौके पर पहुँची थी। मुझे सूचना अनूप व राजा ने दी थी। जब मै मौके पर पहुँची थी तब शिवा की मृत्यु हो चुकी थी। मै पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मै अंगूठा लगाती हूँ। मै अपना नाम लिखना नहीं जानती हूँ। मै लिखा हुआ पढ़ नहीं पाती हूँ। मैनें प्रार्थना पत्र ओमपाल वकील साहब से बोल–बोलकर लिखाया था, जो मैनें बोला था वही उन्होनें लिखा थी फिर उन्होनें मुझे पढ़कर सुनाया था। उसके बाद उन्होनें मेरा निशानी अंगूठा लगवाया था। पत्रावली में शामिल का.सं. 5A लिखित तहरीर पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह लिखित तहरीर मैनें थाने पर दी थी। जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है। इस पर लगा निशानी अंगूठा मेरा है। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे बहुत बार पूछताछ की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मृतक का पंचायतनामा लोहिया में भरा गया था तब भी पुलिस ने मेरा अंगूठा निशानी लगवाया था। आज मुझे याद नहीं है कि कौन से कागज पर पुलिस ने मेरा अंगूठा निशानी लगवाया था। आज न्यायालय में अभियुक्तगण अजय, सोनू,

अनुज, प्रदीप, सुशील, शनि, अनिल यादव मौजूद है। इन्होनें ही मिलकर मेरे पुत्र शिवा की हत्या की थी। घटनास्थल पर मै पुलिस के साथ गई थी वहाँ पर पुलिस ने लिखा पढ़ी की थी।

12. **पी.डब्लू. 2 राजा,** जो वादिनी मुकदमा का भतीजा एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, इन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि मैं अनुसूचित जाति का गिहार हूं। मृतक शिवा मेरी मौसी का लड़का था। घटना दिनांक 27–09–2021 की है। समय लगभग दोपहर 4 बजे का था। मैं और अनूप घटना वाले दिन फर्रूखाबाद रेलवे स्टेशन के पास में थे, तभी पौने चार बजे शिवा का फोन मेरे मोबाइल पर आया और शिवा ने मुझसे कहा कि जल्दी से ढुइया चुंगी पर आ जाओ, मेरी जान खतरे में है। मैं तुरंत ही अपने भाई अनूप को लेकर स्कूटी से ढुइयां चौकी के लिए निकला और वहां पहुंचकर मैनें देखा कि वहां पर मेरे भाई शिवा को जान से मारने की नीयत से अजय, सुशील, अनिल यादव, सोनू, अनुज, प्रदीप, सनी को सुरेश गिहार ने कहा कि शिवा को सब लोग मिलकर गोलियों से मार दो। इस पर इन सभी सातो लोगों ने शिवा पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, फायरिंग से शिवा तुरन्त मौके पर गिर गया और उसकी मौत हो गयी। मैं डर के मारे शिवा को नहीं बचा सका। मैनें शिवा गिहार की हत्या होते हुए अपनी आँखों से देखी थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सी०ओ० साहब ने मुझसे पूछताछ की थी। हाजिर अदालत मुल्जिम अऩिल यादव, शीलू यादव तथा नन्हे उर्फ प्रवीन को देखकर मैनें कहा कि अऩिल यादव, अजय, सुशील, सोनू, अनुज, प्रदीप, तथा सनी के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे और अनिल यादव ने इन सभी के साथ मिलकर शिवा की हत्या की। पत्रावली में दाखिल का.सं. 25B/16 से लगायत 25B/28 प्रपत्र साक्षी को दिखाये गये तो साक्षी ने कहा कि यह प्रपत्र में मेरी फोटो लगी हुई है। तीनों प्रपत्रों पर मेरे हस्ताक्षर है, जिनकी मै पुष्टि करता हूँ। इन्हें मैनें घटना के सम्बन्ध में पुलिस को दिया था।

शिवा व मेरा घर एक ही जगह पर एक ही है। कमरे अलग– अलग है। शिवा ने मेरे पास लगभग पौने चार बजे फोन किया था। उस दिन मेरे साथ अनूप था और मेरे पास स्कूटी थी। शिवा ने मुझसे फोन पर कहा कि जल्दी से दुईया चुंगी पर आ जाओ तो मैंने पूछा दिलदार मिले तो उसने कहा कि दिलदार तो नहीं मिले लेकिन तुम जल्दी आ जाओ मुझे खतरा है। फिर मैं व अनूप स्कूटी से दुईया चुंगी के लिये चल दिये। लगभग 15 मि० बाद मैं व अनूप दुईया चुंगी पहुंच गये। फिर मैंने देखा कि मेरे भाई शिवा को अजय, सुशील, अनिल यादव, बच्चा उर्फ सुरेश, सोनू, शनि, प्रदीप और अनुज घेरे हुये थे। फिर अजय, सुशील, अनिल यादव, सोनू, अनुज, शनि, प्रदीप ने शिवा के गोलिया मार दी। सुरेश ने कहा कि आज यह जिन्दा बचकर जाने न पाये आज यही मार दो। सुरेश को छोड़कर सभी मुल्जिमानो के पास तंमचे थे। पहले गोली अजय ने मारी थी, दूसरी गोली सुशील ने मारी, तीसरी गोली अनिल यादव ने मारी थी। बच्चा उर्फ सुरेश ने कहा कि ये बचकर जाने न पाये। फिर सोनू, प्रदीप, शनि और अनुज ने ताबड़तोड़ फॉयरिंग कर दी। घटना के समय दुकाने खुली थी। घटना होने पर दुकानो के सटर गिरने लगे थे और भगदड़

शुरू हो गयी थी। घटना के समय में शिवा के 15, 20 कदम दूरी पर अनूप के साथ खड़ा था। शिवा को गोली मारने के बाद सभी लोग मुझे व अनूप को मारने के लिये दौड़े तब हम व अनूप स्कूटी लेकर अपने घर की तरफ भागे। प्रतिलिपियों के संबंध में मैंने शपथ पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया था घटना के कितने दिन बाद दिया था यह मुझे याद नहीं है। पत्रावली में शामिल कांगज सं० 25B/16 लगायत 25B/18 पर मेरी फोटो लगी है तथा उस स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है मैं अपनी फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। यह फतेहविर्थ मुख मेरी मौसी ने एस०पी० साहब को दिया था। यह शपथ पत्र तैयार होते समय मै वकील साहब के पाक मीनूद था। शपथ पत्र मैने राजेन्द्र कटियार वकील साहब से तैयार कराये थे जो मैने बोला था वही न्यायाल उन्होंने शपथ पत्र में लिखा था। घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे दो तीन बार पूछताछ की थी। शीलू यादव व नन्हे उर्फ प्रवीन को मैंने घटना स्थल पर देखा नहीं था। जब मै व अनूप घटना स्थल से भागे थे तब जब हम कंचन वाली गली से होकर पुराने शराब के ठेके के पास पहुंचे तो वहा पर मुझे मेरी मौसी शारदा देवी व ज्योति (शारदा देवी की लड़की) मिली जो ई–रिक्शे से घर की तरफ आ रही थी। मौसी व ज्योति से बातचीत होने पर मैंने घटना की पूरी बात बताई और ये लोग जोर जोर से रोने लगे थे। ज्योति वहा पर बेहोश हो गयी थी। ज्योति को उठाते रहे थे। मैं व अनूप चल दिये और पीछे से मौसी ई–रिक्शा लेकर चल दी थी और घटनास्थल ढुंईया चुंगी पर पहुँचे थे।

उक्त मुकदमे में अभियुक्त शीलू यादव तथा नन्हे उर्फ प्रवीन के विरूद्ध विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया तथा उक्त दोनो अभियुक्तो से विवेचक द्वारा अभियुक्तगणो से उनके कब्जे से आला कत्ल की बरामदगी हुयी तथा साक्षी राजा व अनूप व अन्य साक्षीगण ने अपने 161crpc के बयानो मे भी नाम बताया। चूंकि साक्षी राजा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त शीलू यादव व नन्हे उर्फ प्रवीन को घटना स्थल पर नहीं देखने वाली बात बताई। इस कारण अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षा की माँग की गयी।

13. **पी.डब्लू 3 अनूप कुमार,** जो वादिनी मुकदमा का भतीजा एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना दिनांक 27–09–2021 को समय चार बजे शाम की है। मैं व राजा सीमा बेकरी रेलवे स्टेशन पर थे। तभी राजा के मोबाइल पर शिवा का फोन आया कि जल्दी स्कूटी लेकर आओ कहा कि ढुइयां चुंगी के पास आओ। तभी राजा ने मुझे अपने साथ स्कूटी पर बैठाया और हम लोग चुंगी के पास पहुँचे तो पहुँचते ही मैनें देखा कि शिवा को अनिल यादव, अजय, सुशील, प्रदीप, सोनू, सनी, सुरेश व अनुज यह सभी लोग शिवा को घेरे हुये थे। सभी के हाथों में नाजायज असलाह थे। सबसे पहले अजय ने शिवा के ऊपर फायर किया। इसके बाद सुशील व अनिल यादव ने शिवा के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया और इतने में अनुज, सोनू, सनी, प्रदीप ने भी शिवा पर फायरिंग की तथा सुरेश ने कहा कि मार दो साले को जिन्दा न बचने पाये। इतने में सभी लोगों ने शिवा के ऊपर फायर किये,

जिससे शिवा मौके पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी। हम लोग देखकर काफी घबरा गये। आस–पास के लोगों द्वारा ललकारा गया तो यह सभी लोग तिकोना वाली गली की तरफ भागते हुए टाउनहॉल की तरफ भाग गए। यह पूरी घटना मैनें अपनी आँखों से देखी है। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोई कार्यवाही न होने के कारण मैनें घटना के संबंध में घटना के लगभग 09 दिन बाद पुलिस अधीक्षक को शपथपत्र दिया था। घटना के सम्बन्ध में सी०ओ० साहब ने मेरा बयान भी लिया था। पत्रावली में शामिल का.सं. 25B/12 से लगायत 25B/14 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह शपथपत्र मैनें पुलिस अधीक्षक को दिया था। जदिस पर मेरा फोटो चस्पा है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मै पुष्टि कराता हूँ। साक्षी को शपथपत्र पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी नें कहा कि मैनें यह कथन बोल–बोलकर टाइप कराया था और आठ लोगों के खिलाफ शपथ पत्र दिया था। शपथ पत्र मुझे पढ़कर सुनाया गया था, तब मैनें हस्ताक्षर किया था।

इस मुकदमें में आज से पहले मेरा बयान हुआ था। घटना का दिनांक 27.09.2021 समय लगभग चार बजे का था। समय चार बजे दिन का था। मै पढ़ा–लिखा नही हूं, केवल हस्ताक्षर कर लेता हूँ। मै हिन्दी नहीं पढ़ पाता हूँ। घटना वाले दिन लगभग पौने चार बजे राजा के मोबाइल पर शिवा का फोन आया था। उस समय मै व राजा रेलवे स्टेशन तिराहे के पास सीमा बेकरी केपास वाल्मीकि लोग जो रहते है, उनकी गली के पास था। राजा के पास शिवा का फोन आया था तो राजा ने मुझसे कहा था कि जल्दी स्कूटी पर बैठो शिवा अपने को ढूंइया चुंगी के पास घिरा महसूस कर रहा है। मै तुरन्त ही ढुंइया चुंगी के लिए राजा के साथ निकला था। जब मै ढुंइया चुंगी के पास पहुंचा तो मैनें देखा कि आठ लोग अजय, सुशील, अनिल यादव, सुरेश, सनी, प्रदीप, अनुज, सोनू, शिवा को घेरे हुए थे। इन लोगों के हाथों में असलहे थे। असलहे सभी हाथों में थे। सुरेश के पास कुछ नहीं था। मैनें देखा था। फिर इन लोगों ने पहली गोली अजय ने फिर सुशील ने फिर अनिल यादव ने फिर सुरेश ने बोला कि शिवा बचकर न जा पाये इसे यही मार दो। फिर अनुज ने, फिर सोनू ने, फिर प्रदीप ने फिर सभी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और शिवा को जान से मार दिया। हम लोग डर गये थे। फिर मुल्जिमान उपरोक्त हमारी तरफ बढ़े तो हम लोग डर की वजह से भागना शुरू कर दिया। शिवा की लाश वही पड़ी रही जहाँ पर गोलिया लगी थी। इस घटना की बाबत पुलिस ने मुझसे पूछताछ घटनास्थल पर एवं घर पर भी की थी। इस घटना की बाबत मैनें शपथपत्र दिया था। उस शपथ पत्र पर मैनें अपनी फोटो लगायी थी। मौसी ने शपथ पत्र कचहरी में राजेन्द्र कटियार वकील साहब के यहाँ तैयार कराये थे। उस समय मै वहाँ पर मौजूद था। पत्रावली में शामिल का.सं. 25B/12 लगायत 25B/14 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह शपथ पत्र मैनें कचहरी में वकील साहब के द्वारा तैयार करवाया था। इस पर अपने हस्ताक्षर बनाए थे। इस पर लगी फोटो व हस्ताक्षर मेरे है। फोटो व हस्ताक्षर की मै पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। शपथ पत्र वकील साहब ने मुझे पढ़कर सुनाया था। मैनें जो बोला था वही शपथ पत्र में लिखा गया था। मै भागकर

पुराने ठेके के पास कंचन वाली गली से घर की तरफ भाग आया मैनें देखा कि मेरी मौसी ई–रिक्शा से घर की तरफ आ रही थी। ज्योती भी उनके साथ थी, जो हुआ वह मैनें मौसी को राजा के साथ बता दिया था।

14. **पी.डब्लू. 4 डा० मो० अलीम अन्सारी,** जो पोस्टमार्टम डाक्टर है, इन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि दिनांक 28–09–2021 को मैं व मेरे साथ डॉ० अभिषेक कुमार की ड्यूटी पी.एम. हाउस में थी। उस दिन थाना मउदरवाजा के कां० उमेश शर्मा व आर.सी. सचिन पौनिया एक सील बन्द शव मय पंचायतनामा प्रपत्रों के साथ समय करीब 1:30 पी.एम. पर दिनांक 28–09–2021 को लाये थे। हम लोगों द्वारा मृतक की सीलबन्द लाश को वास्ते पोस्टमार्टम हेतु खोला गया, खोलने पर मृतक के शरीर में कई फायर इन्जरी थी, इसलिए मृतक के शरीर के अंदर बुलेट आदि की जानकारी के लिए मेरे द्वारा मृतक के बाडी को एक्स–रे के लिए लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद भेजा गया था। एक्स–रे तीन प्लेट मुझे प्राप्त हुई थी। एक्स–रे प्लेट प्राप्त होने के उपरान्त पी.एम.आर. सं० 459/2021 दिनांक 28–09–2021 समय करीब 3:00 पी.एम. पर प्रारम्भ किया गया था तथा शव–विच्छेदन समय 04:10 पी.एम. पर पूर्ण किया गया था। मृतक का नाम शिवा पुत्र सुभाष गिहार निवासी मोहल्ला रकाबगंज, थाना मउदरवाजा उम्र करीब 26 वर्ष पंचायतनामा के आधार पर अंकित की थी।

<u>बाह्य परीक्षणः–</u>

मृतक अच्छी कद–काठी का था। आंखे व मुंह बन्द था। मृतक के पूरे शरीर पर सूखा व जमा हुआ खून मौजूद था। पेट हल्का फूला हुआ था। पी.एम. स्टेनिंग पीछे की तरफ मौजूद थी। अकड़न (रिगर मोर्टिस) दोनों ऊपरी भुजा से निकली हुई थी। अकड़न पैरों में मौजूद थी। खाल जगह–जगह से उखड़ी हुई थी।

<u>आंतरिक परीक्षण (मृत्यु पूर्व चोटें)–</u>

1. गोली घुसने (आग्नेयास्त्र) का घाव 1.5 cm x 1 cm जो सीधी–सीधा आर पार है, सर के दाहिने तरफ पैराइटल एरिया से होती हुई सर के बाई तरफ से निकली बाईं भौंह के बाहरी हिस्से के पीछे से जिसका एरिया 2 cm x 1.5 cm जिसका किनारा बाहर की तरफ एवं फटा हुआ था। जिसका विच्छेदन करने पर दांई टेम्पोरल पेराइटल एण्ड बाईं टेम्पोरल एवं फ्रंटल हड्डियां टूटी हुई। मस्तिष्क एवं मस्तिष्क की झिल्लियां फटी हुई थी। गोली घुसने की दिशा दाहिने से बाये की तरफ एवं आगे की तरफ थी। एक धातु का टुकड़ा मसल्स के किनारे से प्राप्त हुआ।

2. आग्नेयास्त्र की चोट गोली घुसने का घाव 2cm x 1.5 cm जो दाहिनी साइड की गर्दन से नीचे की तरफ एवं घाव के किनारे अंदर की तरफ मुड़े व फटे हुए है। जिन पर कालिमा व झुलसन मौजूद है। (ब्लैकनिंग एवं टैटूइंग) जो कि 7 x 5 cm में मौजूद है। इसका विच्छेदन करने पर गर्दन की मांसपेशियां, वेसल्स (नाड़ियां) ट्रेकियलरिंग फटी हुई थी एवं गर्दन की बाईं तरफ व पीछे की मासपेशियों से एक बुलेट प्राप्त हुई जिसकी दिशा दाईं से बाईं थोड़ा पीछे की

तरफ थी।

3. आग्नेयास्त्र का नालीनुमा घाव जिसकी माप 9cm x 1cm x मांस तक गहरा इन्टेरोलेटरल जो बाईं तरफ गर्दन के मध्य भाग में था।

4. आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव जो माप में 1.5 cm x छाती की गुहा तक गहरा था, जो इंटीरियल एक्सीलेटरल फील्ड से 8cm नीचे या जिसका किनारा अन्दर की ओर मुड़ा हुआ और फटा हुआ था। नीलुआ व काला या विच्छेदन करने पर दोनों तरफ के फेफड़े एवं उनकी झिल्लियां फटी हुई थी। चेस्ट कैविटी खून से भरी हुई थी। चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड से एक बुलेट प्राप्त हुई, जिसकी दिशा दाहिने से बाई थी।

5. आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव जिसकी माप 1.5 x 1 cm आर–पार दायीं कोहनी के बाहरी हिस्से में भी जिसका किनारा अन्दर की तरफ फटा हुआ एवं काला था। आग्नेयास्त्र के बाहर जाने का घाव जो उक्त चोट से जुड़ा हुआ था। जिसकी माप 2 x 1.5 cm दाहिनी निचली भुजा के अन्दर की तरफ जिसका किनारा बाहर की तरफ फटे हुए थे। जिसकी दिशा दायी से बायीं ओर ऊपर की तरफ।

6. आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव जिसकी माप 1 x 1 cm आर–पार नाभि के नीचे जिसका किनारा अन्दर की तरफ फटा हुआ व काला था। यह चोट बाहर आने की माप 4 x 1 cm जो पीठ के निचले हिस्से में बांई तरफ मौजूद था, जिसका किनारा बाहर की तरफ फटे हुए थे।

7. आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव जिसकी माप 1.5 x 1 सेमी. लेफ्ट पोसटीरियों लेटरल एसपेक्ट पेट के निचले भाग पर जिसका किनारा अन्दर की तरफ फटे हुए एवं नीलुए यह चोट बाहर की तरफ एक ही क्रम में जिसका माप 3 x 1.5 cm पीठ के निचले हिस्से पर दाहिनी तरफ मौजूद थी। जिसका किनारा बाहर की तरफ मुड़े हुए व फटे हुए थे।

नोट – एक सील्ड लिफाफे में पोस्टमार्टम के समय प्राप्त शव से दो बुलेट एवं एक धातु के टुकड़े को रखकर सील किया गया था।

मृतक के शरीर से शर्ट एक, पेन्ट एक, बेल्ट एक, अण्डरवियर एक, दो जूते, दो मोजे, एक राखी प्राप्त हुई थी। जिन्हें एक कपड़े में रखकर सील सर्वमोहर किया गया था।

<u>आंतरिक परीक्षण</u>

सिर – स्कैल्प, एकल, झिल्लियां, मस्तिष्क।

ग्रीवा, छाती के सम्बन्ध में विवरण उक्त प्रकार वर्णित है –

पेरीकार्डियम एवं पेरीकार्डियल सह व पेरीटोनियम, पेरीटोनियल कैविटी, जिगर, प्लीहा, अग्नाशय, गुर्दे, पेशाब की थैली, पेशाब की नली, पेल्विक कैविटी, प्लेविक बोन सामान्य थी। हृदय खाली थी, बड़ी रक्त वाहिनियां, उदर, उदर भित्ती, उपरोक्तानुसार वर्णित है। छोटी आंत, बड़ी आंत फटी हुई थी व आमाशय में 100 ग्राम लुग्दीनुमा भोज्य पदार्थ मौजूद था। स्पाइनल कालम एवं स्पाइनल कार्ड खोला नहीं गया था।

मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय लगभग एक दिन था।

मेरी राय में मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव व सदमा है, जो मृत्यु से पूर्व आग्नेयास्त्र की चोटों से है।

पोस्टमार्टम मैनें व मेरे सहयोगी डाक्टर अभिषेक कुमार द्वारा किया गया है। रिपोर्ट पोस्टमार्टम के समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मै अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट डा० अभिषेक कुमार की सहमति से मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। मेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डा० अभिषेक कुमार भी सहमत थे। जिनके द्वारा अपनी सहमति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अंकन कर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनें तीन प्रतियों में तैयार किया था तथा सील बनद एक बण्डल जिसमें मृतक के कपड़े व एक सील बन्द लिफाफा, सील बन्द लिफाफा के अन्दर मृतक की बाडी से प्राप्त बुलेट एवं धातु का टुकड़ा को साथ आये कानिस्टेबिल के मय प्रपत्रों के प्राप्त कराये थे। पी.एम. रिपोर्ट की एक प्रति सी.एम.ओ. फर्रूखाबाद एवं एक प्रति पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद को भेजी गयी थी।

15. **पी.डब्लू. 5 हे०कां० विमलेश सिंह,** जो मु.अ.सं. 427/2021 का चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक है, इन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि दिनांक 28–09–2021 को मैं थाना मऊदरवाजा में बतौर थाना कार्यालय में कार्यलेख पर था। उस दिन वादिनी मुकदमा शारदा पत्नी सुभाष गिहार, निवासी रकाबगंज, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रूखाबाद की एक लिखित तहरीर जिस पर खुद का निशानी अंगूठा लगा हुआ लेकर थाना कार्यालय पर आयी थी। वादिनी के साथ उसकी पुत्री ज्योति भी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर मैनें मु०अ०सं० 427/12021, धारा 147, 148, 149, 302, 120B भा०दं०सं० व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट बनाम अजय व सात अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया, जिसका खुलासा मैनें जी०डी० रपट कायमी मुकदमा सं० 19 समय 03:09 बजे दिनांक 28–09–2021 में किया। चिक रिपोर्ट को मैनें तहरीर के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर से शब्द व शब्द बोल–बोल कर अंकित कराई थी। उसके बाद मैनें प्रभारी के हस्ताक्षर कराए थे। पत्रावली में शामिल का.सं. 4A/1 लगायत 4A/2 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही चिक रिपोर्ट है, जिसे मैनें तहरीर के आधार पर शब्द ब शब्द कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोलकर लिखायी थी। जिसकी मै पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। पत्रावली में शामिल का.सं. 6A/1 मुकदमा कायमी जी.डी. है, जो कम्प्यूटरीकृत है, जिसे मैनें कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोलकर तैयार करायी थी तथा प्रभारी के हस्ताक्षर बनवाये थ। जिसको मै प्रमाणित कर पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। घटना के संबंध में विवेचक ने मुझसे पूछताछ की थी।

दिनांक 02.10.21 को मैं थाना मऊदरवाजा में हेड कॉ० के पद पर तैनात था। उसी दिन वादी एस.आई. सद्दाम खान थाना मऊदरवाजा लिखित तहरीर फर्द बरामदगी व अभियुक्त अनिल यादव को साथ लेकर थाने में दाखिल किया। दाखिला तहरीर फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी

के आधार पर मैने मुकदमा अपराध सं० 432/21 धारा 3/25/27Arms Act बनाम अनिल यादव कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल बोल कर दाखिला तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द चिक रिपोर्ट तैयार कराई थी। जिसका खुलासा मैने मुकदमा कायमी जी.डी. रपट न. 37 समय 14.34 बजे दिनांक 02.10.21 में किया था। पत्रावली एस.टी. नं. 1241/21 बनाम अनिल यादव में शामिल कागज 4A/1 लगायत 4A/2 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह चिक रिपोर्ट को मैने कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोल कर तैयार कराई थी उसके बाद प्रभारी के हस्ताक्षर कराये थे पत्रावली में शामिल कागंज सं 6A जी.डी. कायमी है को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही जी.डी. है जिसे मैने कम्प्यूटर ऑपरेटर से मैने बोल बोल कर टाइप कराया था तथा प्रभारी के हस्ताक्षर बनवाये थे। जिसकी मै पुष्टि करता हूं। चिक रिपोर्ट व जी.डी. पर क्रमशः **प्रदर्श क–30** व **31** डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे। दिनांक 24.11.21 को मैं थाना मऊदरवाजा में हेड कॉ० के पद पर तैनात था। उसी दिन वादी एस.आई. रामसेवक वर्मा थाना मऊदरवाजा लिखित तहरीर फर्द बरामदगी व अभियुक्त प्रवीण उर्फ नन्हे यादव को साथ लेकर थाने में दाखिल किया। दाखिला तहरीर फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मैने मुकदमा अपराध सं० 511/21 धारा 3/25/ Arms Act बनाम प्रवीण उर्फ नन्हे यादव कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल बोल कर दाखिला तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द चिक रिपोर्ट तैयार कराई थी। जिसका खुलासा मैने मुकदमा कायमी जी.डी. रपट न. 27 समय 12.27 बजे दिनांक 24.11.21 में किया था। पत्रावली एस.टी. नं. 103/22 बनाम प्रवीण उर्फ नन्हें यादव में शामिल कागंज सं० 4A/1 लगायत 4A/2 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह चिक रिपोर्ट को मैनें कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल बोल कर मैने तैयार कराई थी उसके बाद प्रभारी के हस्ताक्षर कराये थे व पत्रावली में शामिल कागंज सं 13B/9 जी.डी. कायमी है, को देखकर सा0ी ने बताया कि यह वही जी.डी. है, जिसे मैनें कम्प्यूटर आपरेटर से मैनें बोल बोल कर टाइप कराया था तथा प्रभारी के हस्ताक्षर बनवाये थे। जिसकी मै पुष्टि करता हूँ। चिक रिपोर्ट व जी.डी. पर क्रमशः **प्रदर्श क –32 व 33** डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

16. **पी.डब्लू. 6 ज्योति,** जो वादिनी मुकदमा की पुत्री एवं मृतक की बहन है, इन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि मैं एम.ए. फाइनल कर चुकी हूँ। मेरे भाई शिवा की हत्या 27–09–2021 को समय लगभग 04:00 बजे हुई थी। उस दिन मैं घर पर नहीं थी, मैं कचहरी आयी हुई थी। मैं कचहरी से घर जाने के लिए लगभग 3 बजे निकली थी। भाई की हत्या की सूचना मुझे अनूप व राजा ने पुराने शराब के ठेके पर बताई थी। जब मैं कचहरी से घर जा रही थी। उस समय मेरी मम्मी मेरे साथ थी। अनूप व राजा ने मम्मी को बताया था तब मैं भी सुन रही थी कि शिवा की हत्या कर दी गयी है। अनूप, राजा ने बताया कि पहली गोली अजय ने मारी, दूसरी सुशील ने, तीसरी अनिल यादव ने मारी, बच्चा उर्फ सुरेश के कहने पर कि शिवा आज बचने न पाये, इसको जान से मार दो, सनी, सोनू, अनुज व प्रदीप ने शिवा को घेरकर उसके ऊपर

ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। यह राजा ने मम्मी को बताया था। घटना की जगह ढुइयां चुंगी बताई थी। रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में मम्मी, राजा, अनूप व मैं थाने पहले गये थे। मेरे घर वाले थोड़ी देर बाद पहुँचे थे। घटना की सूचना 04:00–04:15 बजे दिन में दी थी। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने मुझसे कभी भी पूछताछ नहीं की। पुलिस ने मेरा बयान भी नहीं लिया। मेरा थाना मऊदरवाजा में आना जाना नहीं है। मैनें किसी भी पुलिस वाले को अपना नाम पता नहीं बताया। मेरा नाम थाने पर उसके घर वाले ले रहे थे इसीलिए पुलिस ने मेरा नाम लिख लिया होगा, क्योंकि मैं शारदा देवी की बेटी हूं। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझसे पूछताछ की हो और मेरे बयान लिये हो।

17. **पी.डब्लू. 7 विक्की,** जो पुलिस को सूचना देने वाला व्यक्ति है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि घटना के सम्बन्ध में मैनें फोन से दरोगा जी से बात की थी। शिवा की हत्या के सम्बन्ध में मेरे परिवारवालों ने मुकदमा लिखाया था। उसमें मुल्जिमानों के नाम भी लिखवाये थे। मैनें विवेचक को यह बात न्यायालय में बताने के लिए कहा था कि "आप मुल्जिमानों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे है, मैं न्यायालय में बताऊंगा। " मेरी पुलिस से यही बात हुई थी और कोई बातचीत नहीं हुई थी। जो मेरे परिजनों से मुझे मालूम पड़ा कि अजय, सुशील, अनिल यादव, सुरेश उर्फ बच्चा, अनुज सनी, प्रदीप में से पहली गोली अजय ने मारी थी, दूसरी गोली सुशील ने, तीसरी अनिल यादव ने और बच्चा उर्फ सुरेश ने कहा कि बचके न जाने पाये तो इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

18. **पी.डब्लू. 8 शाहिद**, जो घटनास्थल के पास का दुकानदार है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि मेरी दुकान मोहल्ला रकाबगंज में चाट पकौड़ी व मिठाई की है। दुकान पर मैं व मेरा बेटा साजिद बैठते हैं। घटना वाले दिन, जिस दिन शिवा गिहार की हत्या हुई थी, उस दिन मैं अपनी दुकान पर नहीं बैठा था, मेरा पुत्र साजिद बैठा था। दुकान खोलने के बाद मैं नमाज पढ़ने के लिए लगभग 01:30 बजे दुकान से चला जाता हूं, उस समय दुकान पर मेरा पुत्र बैठता है। मुझे समय याद नहीं है लेकिन घटना होने के बाद मैं दुकान पर आया था। जब मैं दुकान पर आया तो उस समय मेरा लड़का दुकान बन्द करके जा चुका था और वहाँ पर जनता के काफी लोग थे व पुलिस आ चुकी थी। घटना के समय मुझे यह जानकारी नहीं हो पाई कि शिवा की हत्या किसने की। घटनास्थल से मैं जब अपने घर आया, तब मैनें अपने लड़के साजिद से पूछा कि हत्या करने वाले कौन–कौन लोग थे, तब साजिद ने मुझे यह बताया कि फायरों की आवाज सुनकर मैं दुकान के अन्दर घुस गया था और मारने वालों को मैं नहीं देख पाया था। जब मैं दुकान के बाहर निकला तब शिवा की लाश पड़ी थी और मारने वाले मौजूद नहीं थे। घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

19. **पी.डब्लू. 9 उ.नि. पंकज कुमार,** जो मु.अ.सं. 525/2021 का विवेचक है, नें अपनी

मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 28.09.21 को मै थाना मऊदरवाजा में बतौर उपनिरीक्षक चौकी इन्चार्ज बजरिया के पद पर तैनात था। उस दिन वादिनी श्रीमती शारदा देवी की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध सं० 427/21 धारा 147,148,149,302,120B IPC थाना मऊदरवाजा में पंजीकृत मुकदमा के संबध में मृतक शिवा गिहार का पंचायतनामा भरने हेतु मैं, मय हमराह के रपट नं० 19 समय 3.09 बजे में पंचायतनामा के प्रपत्रो के साथ डॉ० राममनोहर लोहिया अस्पताल आया। मृतक का शव मोर्चरी स्ट्रेचर पर रखा हुआ है। मोर्चरी से बाहर निकलवा के पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की। शव के पास उपस्थित परिवारी जन व अन्य लोगो मे से पंचान नियुक्त किये। तथा पंचायतनामा मे दशा शव, हुलिया शव, चोटे शव, व मृतक के पहने कपड़ो का विवरण अंकित करने के उपरान्त राय पंचान अंकित कराई। उसके पश्चात मैने अपनी राय अंकित की। तथा मृतक की लाश को एक कपड़े में रख कर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया। तथा शव को कॉ 1064 उमेश शर्मा व कॉ 716 सचिन पौनिया को सुपुर्द कर वास्ते पोस्टमार्टम के लिये जिला मुख्यालय भेजा गया। पत्रावली में शामिल कागंज सं० 8A/3 लगायत 8A/4 पंचायतनामा है। पंचान की राय के अलावा पंचायतनामा मे अन्य लेख मेरा है व मेरे हस्ताक्षर में है। जिसकी मै पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। पत्रावली में शामिल कागंज स० 8A/9 चिट्ठी सी०एम०ओ० है व कागंज सं० 8A/10 फोटो नाश व कागंज सं० 8A/11 मुख्यालय पर लाश प्राप्त होने का प्रपत्र है व कागंज 8A/12 लाश को पोस्टमार्टम हेतु मुख्यालय भेजने का प्रपत्र है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–8,9,10,11** डाला गया तथा पत्रावली में शामिल कागंज सं० 8A/5 लोहिया अस्पताल से पुलिस सूचना मेमो है जो मुझे पंचायतनामा प्रपत्रो के साथ प्राप्त हुआ था। जिसको मैने पंचायत नामा के साथ संलग्न किया था। मेरे तैनाती के समय ही मुझे मुकदमा अपराध सं० 525/21 धारा 3/25ARMS ACT बनाम शीलू यादव थाना मऊदरवाजा जो मुकदमा अपराध सं० 427/21 धारा 147, 148, 149,302, 120B IPC थाना मऊदरवाजा से संबधित आला कत्ल की बरामदगी का अभियोग है, की विवेचना मुझे आंवटित हुयी जिसको मैने दिनांक 05.12.21 को ग्रहण की थी। पर्चा नं० 1 मैने नकल FIR नकल रपट का अंकन कर थाना पर मौजूद FIR लेखक H.C रामवीर सिंह व वादी मुकदमा S.I शिवशंकर प्रसाद तिवारी का बयान अंकित किया। इसके पश्चात अभियुक्त शीलू यादव जो अभियुक्त है, को हवालात से निकाल कर, पूछताछ कर, उसका बयान अंकित किया। उसने बताया था कि मृतक शिवा मेरे घर आकर मेरे पिता की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का दबाव बनाता था। पिता द्वारा मना करने पर दिनांक 27.09.21 को घर के सामने आकर अपने साथियों के साथ माँ, बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। तब मेरे पिता घर पर मौजूद थे और मुझे व मेरे भाई प्रवीण को बुलाकर कहा कि इसका खेल तमाम कर दो। इतनी गोलियाँ मारो कि जिन्दा न बच पाये। तब मैने, मेरे पिता व मेरे भाई ने शिवा को घेरकर गोलियाँ मारी थी। और हम तीनो ने यह समझ लिया था कि इसकी मृत्यु हो गयी। तब हमलोग मौके से भाग गये। जो तमंचा मैने घटना में प्रयोग किया था, जिसको

मैने छिपा दिया था, वही आज मैने बरामद कराया है। पर्चा नं० 2 में फर्द गवाह उपनिरीक्षक मुनीर खान व कॉ सुधान्शु का बयान अंकित किया था। उसके पश्चात वादी की निशा देही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार किया था। एस.टी. नं० 104/22 पत्रावली में शामिल कागज सं० 8A नक्शा नजरी है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मै पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। विवेचना की कार्यवाही के क्रम में मेरे द्वारा माल मुकदमा बरामदगी आग्नेयास्त्र सील पोटली को लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय लेकर गया था। जिसको खोलने पर एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर जिसमें एक की पेंदी पर चोट का निशान है पाये गये। जिसका निरीक्षण करने के उपरान्त पुनः सील करके मुझे वापस किया गया। पर्चा नं० 4 में अभियोजन स्वीकृत जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से प्राप्त होने पर उसका अंकन किया था। पत्रावली में शामिल कागंज सं० 11B अभियोजन स्वीकृति है, को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही अभियोजन स्वीकृति है जिस पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर है, जिनके हस्ताक्षर को मै पहचानता हूं। जिसकी मै पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–13** डाला गया। विवेचना के कार्यवाही में संकलित साक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध पाये जाने पर मैने अभियुक्त शीलू यादव के विरूद्ध धारा 3/25 ARMS ACT में आरोप पत्र सं० 482/21 दिनाक 21.12.21 में माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। पत्रावली में शामिल कागंज सं० 3A/1 लगायत 3A/2 आरोप पत्र है को देखकर साक्षी ने बताया कि आरोप पत्र को मैने कम्पूटर ऑपरेटर को बोल बोल कर टाइप कराया था उसके पश्चात प्रिन्ट प्राप्त कर मैने अपने हस्ताक्षर बनाये थे, मै अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–14** डाला गया। पंचायतनामा की कार्यवाही के संबध में विवेचक ने मुझसे पूछताछ की थी।

20. **पी.डब्लू. 10 हे०कां० रामवीर,** जो मु.अ.सं. 525/2021 का चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.12.2021 को मै थाना मऊदरवाजा में बतौर कार्यलेख पर तैनात था। उस दिन वादीमुकदमा उ.नि. शिवशंकर प्रसाद तिवारी द्वारा एक फर्द बरामदगी मय माल मुकदमा व एक अभियुक्त को थाना दाखिल किया। फर्द के अनुसार मैनें चिक रिपोर्ट तैयार की तथा उसका खुलासा मैनें मुकदमा जी.डी. कायमी 45 समय 14.59 बजे दिनांक 05.12.2021 में किया। जिसका मु.अ.सं. 525/2021 धारा 3/25 बनाम शीलू यादव चिक रिपोर्ट व जी.डी. मैनें कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोलकर तैयार करायी थी। चिक रिपोर्ट व जी.डी. कम्प्यूटर पर टाइप कराते समय मेरी आई.डी. न खुलने के कारण चिक रिपोर्ट व जी.डी. कायमी मैनें कृष्णदत्त तिवारी की आई.डी. से तैयार करायी थी। चिक रिपोर्ट को मैनें फर्द के अनुसार शब्द व शब्द बोल–बोलकर तैयार करायी थी। ST No 104/2022 की पत्रावली में शामिल का.सं. 4A/1 लगायत 4A/2 चिक रिपोर्ट है, को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही चिक रिपोर्ट है, जिसे मैनें कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–

बोलकर तैयार करायी थी। जिसकी मै पुष्टि करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–15** डाला गया। पत्रावली में शामिल का.सं. 6A मुकदमा कायमी जी.डी. है। जिसे मैनें कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर आपरेटर से तैयार करायी थी। जिसकी मै पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–16** डाला गया।

21. **पी.डब्लू. 11 उ.नि. इन्द्रजीत सिंह,** जो मु.अ.सं. 432/2021, 511/2021 का द्वितीय विवेचक है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 02.10.2021 को मै थाना मऊदरवाजा में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे मुकदमा अपराध सं० 432/2021 धारा 3/25/27 Arms Act थाना मऊदरवाजा की विवेचना मैने ग्रहण की थी। पर्चा नं० 1 में मैने नकल एफ० आई० आर० व नकल रपट का अंकन करने के बाद बयान एफ० आई० आर० लेखक एच०सी० 287 विमलेश सिंह का बयान अंकित किया। उसके बाद मैंने अभियुक्त अनिल यादव को हवालात से निकाल कर उसका बयान अंकित किया। पर्चा नं० 2 में फर्द गवाहन बयान वादी उपनिरीक्षक सद्दाम खान व उपनिरीक्षक पंकज सिंह एच०सी० 437 सुधीर, एच०सी० 464 इन्द्रपाल, कॉ 198 गोविन्द सिंह, कॉ 406 अजीत सिंह, कॉ 1064 उमेश शर्मा के बयान अंकित किये। इसके उपरान्त वादी सद्दाम खान को लेकर घटना स्थल पहुँचा और उनके निशा देही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार किया। S.T. No.1241/21 में शामिल कागंज सं० 9A नक्शा नजरी है, को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही नक्शा नजरी है जिसे मैंने मौके पर तैयार किया था, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–17** डाला गया। पर्चा नं० 3 व 4 अभियुक्त अनिल की रिमाण्ड स्वीकृति है। मेरे द्वारा विवेचना के क्रम में अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय लाया गया था। अभियुक्त अनिल से बरामद अग्नेयास्त्र सील पोटली को लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय गया था, जिसको खोलने पर पोटली के अन्दर से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर निकले थे। जिनका निरीक्षण करने के उपरान्त पुनः सील करके मुझे वापस कर दिया गया। अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय लाया गया था। उसके उपरान्त तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त अभियोजन स्वीकृति मुझे थाना कार्यालय पर प्राप्त हुयी थी। जिसका उल्लेख मैने केस डायरी में मैने पर्चा नं० 5 में किया। पत्रावली में शामिल कागंज सं० 10A अभियोजन स्वीकृति है, जो मुझे थाना कार्यालय पर प्राप्त हुयी थी, जिसकी मै पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–18** डाला गया। अबतक की तमामी विवेचना बयान वादी, बयान फर्द गवाहन, बरामद माल, निरीक्षण घटना स्थल व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर मैंने अभियुक्त अनिल यादव के विरूद्ध धारा 3/25/27Arms Act में अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोप पत्र सं० 411/21 दिनांक 29.10.21 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया। पत्रावली में शामिल कागंज सं० 3A/1 लगायत 3A/2 आरोप पत्र है, को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही आरोप पत्र है जिसे मैंने कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोल

कर तैयार कराया था, पढ़कर व प्रिन्ट निकलवा कर उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। मै उक्त प्रपत्र पर बने अपने हस्ताक्षर को देखकर साक्षी ने कहा कि यह हस्ताक्षर मेरे है, जिसकी मै पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–19** डाला गया। दिनांक 24.11.2021 को मैं थाना मऊदरवाजा में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मैने मुकदमा अपराध सं० 511/2021 धारा 3/25 Arms Act थाना मऊदरवाजा की विवेचना मैने ग्रहण की थी। पर्चा नं० 1 में मैने नकल एफ० आई० आर० व नकल रपट का अंकन करने के बाद बयान एफ० आई० आर० लेखक एच०सी० 287 विमलेश सिंह का अंकित किया गया। उसके पश्चात अभियुक्त प्रवीण उर्फ नन्हे को हवालात से निकाल कर उसका बयान अंकित किया गया पूछताछ पर प्रवीण उर्फ नन्हे द्वारा बताया गया कि मेरे मकान के बगल व पीछे पड़ी जमीन जो सरकारी है. उस पर मेरे जानवर बंधते है, उसी जमीन को मृतक शिवा कब्जा करके दूसरे लोगो को बिक्री करना चाहता था। इसी बात को लेकर मेरे पिता व हम भाईयो से शिवा का विवाद था। दिनांक 27.09.21 को समय करीब शाम 4 से 5 बजे के बीच शिवा कही से आकर जमीन देख रहा था, इसकी जानकारी मेरे पिता अनिल यादव, मेरे भाई शीलू व मुझे हुयी। तो हमलोग तुरन्त मौके पर पहुँचे। पिता ने कहा आज इसका हिसाब बराबर कर देते हैं। जैसे ही हमलोग वहाँ पहुँचे तो शिवा वहाँ से हटकर सड़क पर आया उसे देखते ही मेरे पिता अनिल यादव ने जान से मारने की नियत से तीन फायर किये। मैने भी गोली चलाई तथा शीलू ने भी गोली चलाई जिससे शिवा मौके पर ही गिर गया और हमलोग मौके से भाग गये। पर्चा नं० 2 में बयान वादी उपनिरीक्षक रामसेवक वर्मा का अंकित किया। इसके उपरान्त वादी रामसेवक वर्मा को लेकर घटना स्थल पहुँचा और उनके निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार किया। S.T. No.103/22 में शामिल कागंज सं० 6A नक्शा नजरी है, को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही नक्शा नजरी है जिसे मैंने मौके पर तैयार किया था, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–20** डाला गया। पर्चा नं० 3 में अभियुक्त प्रवीण उर्फ नन्हे की रिमाण्ड स्वीकृति है। पर्चा नं० 4 मे बयान फर्द गवाहन एच०सी० 518 ललित, कॉ 702 योगेश, महिला कॉ 164 आरती, एवं महिला कॉ 537 ममता के बयान अंकित किये गये। पर्चा नं० 5 में अभियुक्त प्रवीण उर्फ नन्हे की रिमाण्ड स्वीकृति किया गया है। पर्चा नं० 6 में फर्द गवाहन एस० ओ० जी० प्रभारी एस०आई० बलराज भाटी, सर्विलान्स प्रभारी एस०आई० जयप्रकाश शर्मा, कॉ 121 अनुराग कुमार, सर्विलान्स सेल एस०सी० 207 गजराज सिंह, एस०ओ०जी० टीम एस०सी० 159 पुष्पेन्द्र विक्रम सिंह, एस०ओ०जी० टीम, कॉ 198 गोविन्द सिंह एस०ओ०जी०टीम, कॉ 406 अजीत सिंह एस०ओ०जी० टीम, कॉ 102 रामू यादव एस०ओ०जी० टीम, कॉ 95 अमर नाथ शर्मा एस०ओ०जी० टीम के बयान अंकित किये गये। उसके बाद मेरे द्वारा विवेचना के क्रम में अभियोजन स्वीकृति हेतु अभियुक्त प्रवीण उर्फ नन्हे से बरामद अग्नेयास्त्र सील पोटली को लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ले गया था, जिसको खोलने पर पोटली के अन्दर से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315

बोर निकले थे। जिनका निरीक्षण करने के उपरान्त पुनः सील करके मुझे वापस कर दिया गया। अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय लाया गया था। उसके उपरान्त तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त अभियोजन स्वीकृति मुझे थाना कार्यालय पर प्राप्त हुयी थी। जिसका उल्लेख मैने केस डायरी में पर्चा नं० 6 में किया। पत्रावली में शामिल कागंज सं० 12A अभियोजन स्वीकृति है, जो मुझे थाना कार्यालय पर प्राप्त हुयी थी, जिसकी मै पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–21** डाला गया।अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी, बयान फर्द गवाहन, बरामद माल, निरीक्षण घटना स्थल व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध पाये जाने पर मैने अभियुक्त प्रवीण उर्फ नन्हे के विरूद्ध धारा 3/25 Arms Act में आरोप पत्र सं० 481/21 दिनांक 21.12.21 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया। पत्रावली में शामिल कागंज सं० 3A/1 लगायत 3A/3 आरोप पत्र है, को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही आरोप पत्र है जिसे मैने कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोल कर तैयार कराया था, पढ़कर व प्रिन्ट निकलवा कर उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। मै उक्त प्रपत्र पर बने अपने हस्ताक्षर को देखकर साक्षी ने कहा कि यह हस्ताक्षर मेरे है, जिसकी मै पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–22** डाला गया।

22. **पी.डब्लू. 12 साजिद**, जो घटनास्थल के पास का दुकानदार है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं इण्टर पास हूं। मेरा मोबाइल नम्बर 8853117278 है। यह मेरे नाम है एवं इसे मै ही चलाता हूँ। मेरी दुकान मोहल्ला रकाबगंज में तहसील सदर के नीचे है। दुकान पर इस समय मेरा भाई बैठता है केवल शुक्रवार को मैं बैठता हूं। सितम्बर 2021 में मैं एवं मेरा भाई दुकान पर बैठते थे। दिनांक 27–09–2021 को दुकान पर शाम के समय लगभग 08:00 बजे तक मैं बैठता था। जिस समय शिवा की हत्या हुई, उस समय मैं दुकान पर नहीं बैठा था। यह दुकान मेरी किराये पर है। इस दुकान के मालिक रामेश्वर सिंह यादव हैं। घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ नहीं की थी और न ही पुलिस ने मेरा कोई बयान लिया था। पत्रावली में शामिल शपथपत्र दिनांकित 15–01–2022 को देखकर गवाह नें उस पर अपने फोटोग्राफ की पहचान की, जिसके आधार पर **प्रदर्श क–23** डाला गया।

23. **पी.डब्लू. 13 अनिल कुमार राठौर**, जो घटनास्थल के पास का दुकानदार है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं है। मैं केवल अपना नाम लिख पाता है। मेरी दुकान समोसा पकौड़ी की है। मेरी दुकान मोहल्ला रकाबगंज से तहसील चिलसरा रोड़ पर है। यह दुकान मेरी किराये पर है। इस दुकान के मालिक रामेश्वर है। रामेश्वर ले पिता जी का नाम मुझे नहीं मालूम। रामेश्वर के लड़को के नाम मुझे मालूम है। उनके लड़को के नाम सुनील, शीलू है। पुनः कहा शीलू नहीं है अनिल रामेश्वर का लड़का है। अनिल के लड़को के नाम शीलू, बिच्छू है और लड़के होगें उनके नाम मुझे नहीं मालूम। सुनील के लड़को के नाम नवाब,

गुलाब है। मैं अपनी दुकान पर रोज बैठता हूं, कभी कभार नहीं बैठता हूं। मैं शिवा गिहार को नहीं जानता हूं। उसकी हत्या दिनांक 27–09–2021 को शाम 04:00 बजे के आस–पास होना सुना था। उस दिन मैनें दुकान बिल्कुल नहीं खोली थी और न ही मैं अपनी दुकान के पास किसी भी समय गया था इसलिए मैनें किसी की हत्या होते हुए नहीं देखी थी। शिवा की हत्या की बावत पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी और मैनें केवल अपना नाम पता बताया था। मैनें शिवा की हत्या करने वालों के नाम पुलिस को नहीं बताये थे। दिनांक 15.01.2022 को न्यायालय में शपथ पत्र बनवाने के लिए मै, साहिद और साहिद का बेटा शाजिद तीनों आये थे। शपथ पत्र पर हस्ताक्षर बनाने से पहले इस शपथपत्र में क्या लिखा है, यह मुझे पढ़कर सुनाया गया था। मुझे साहिद ने शपथ पत्र में क्या लिखा है यह पढ़कर सुनाया था। इस प्रकार शपथ पत्र दिनांकित 15.01.2022 पर **प्रदर्श क–24** डाला गया।

24. **पी.डब्लू. 14 क्षेत्राधिकारी अजेय कुमार शर्मा**, जो मु.अ.सं. 427/2021 के मामलें का द्वितीय विवेचक है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 28–09–2021 को क्षेत्राधिकारी नगर के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे मुदकमा अपराध संख्या 427/2021 धारा–147, 148, 149, 302, 120B IPC व 3(2)V SC/ST Act बनाम अजय व सात अन्य के विरूद्व थाना मऊदरवाजा की विवेचना मैनें ग्रहण की थी। पर्चा नं० 01 में अवलोकन प्रार्थना पत्र FIR व नकल रपट कायमी का अंकन करने के बाद बयान FIR लेखक हेड कॉ. विमलेश सिंह का अंकित किया। उसके पश्चात वादिनी का बयान अंकित करने हेतु वादिनी से मिला लेकिन वादिनी शोक के कारण व्यथित है इसलिए उसका बयान अंकित नहीं किया जा सका। पर्चा नं० 02 में बयान वादिनी का शारदा देवी का अंकित किया। तथा वादिनी ने घटना का समर्थन किया। वादिनी द्वारा सभासद असलम शेर खाँ द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र दिया जिसका केस डायरी में अंकन किया उसके बाद वादिनी की पुत्री ज्योति का बयान अंकित किया। ज्योति ने भी घटना का समर्थन किया। उसके पश्चात वादिनी व S.I. पंकज कुमार के साथ घटनास्थल आया। वादिनी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार किया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 7A/1 नक्शा नजरी है को देखकर साक्षी ने बताया कि यह नक्शा नजरी मैंने घटनास्थल पर ही तैयार किया था जो मेरे पेशकार के लेख में व मेरे हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–25** डाला गया। तथा आसपास के दुकानदारों से जानकारी की। उसके पश्चात थाना मऊदरवाजा आया। थाना मऊदरवाजा पर इस अभियोग से संबंधित सात अदद खोखा कारतूस 315 बोर व चार अदद बुलेट व मिटटी सादा व खून अलूदा जिसे उपनिरीक्षक रामसेवक वर्मा द्वारा घटनास्थल से लाकर सील सर्व मोहर किया गया था का अवलोकन केस डायरी में अंकन किया। तथा जी.डी. नं. 02 दिनांक 29–09–2021 थाना मऊदरवाजा का अवलोकन कर केस डायरी में अंकन किया। तथा अभियुक्तगणों की गिरफ़्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। पर्चा नं०

07 में अभियुक्त अनिल का रिमाण्ड व 25 में मेरे द्वारा अभियुक्तगण अनिल, शीलू, प्रवीन उर्फ नन्हें की रिमाण्ड स्वीकृत की कार्यवाही है।

25. **पी.डब्लू. 15 क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह**, जो मु.अ.सं. 427/2021 के मामलें का तृतीय विवेचक है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 10.11.21 को मैं क्षेत्राधिकारी नगर जनपद फर्रुखाबाद में तैनात था। मुझे मुकदमा अपराध सं० 427/21 धारा 147, 148, 149, 302, 120B IPC व 3(2)(v) SC/ST ACT थाना मऊदरवाजा बनाम अजय व नौ अन्य के विरूद्ध ग्रहण की थी। पूर्व विवेचक द्वारा की गई विवेचना का अवलोकन किया। तथा अभियुक्त अनिल की रिमाण्ड की कार्यवाही की गई। पर्चा नं० 9 में सी.डी. 1 लगायत 7 तक का अवलोकन किया गया। तथा उक्त परचो का कार्यवाही का विवरण अंकित किया गया। पर्चा नं० 10 में अभियोग में नामित व प्रकाश में आये अभियुक्तगणो की मोबाइल नं० की सी.डी.आर. प्राप्त कर अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर शीलू पुत्र अनिल यादव के मोबाइल नं० 9316330669 व प्रवीण उर्फ नन्हे के मोबाइल नं० 7860484211 व अनिल यादव के मोबाइल नं० 9198097260 की लोकेशन दिनांक 27.9.21 समय चार बजे के लगभग लोकेशन व वार्ता एवं उपस्थिति घटना स्थल पर होना पाई गई। सी.डी. आर. के अवलोकन करने पर घटना स्थल पर अनिल यादव, शीलू यादव, प्रवीण उर्फ नन्हे की उपस्थिति पायी गई। तथा सी.डी. आर. को सलंग्न सी.डी. किया। चश्मदीद साक्षी के बयान के क्रम मे नामित अभियुक्तगणो के अतिरिक्त प्रकाश मे आये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा को निर्देशित किया गया। पर्चा नं० 11 में वांछित अभियुक्त शीलू द्वारा न्यायालय में आत्म सर्मपण किया गया। जो जिला जेल फतेहगढ़ में निरूद्ध है। जिसका रिमाण्ड स्वीकृति करने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जायेगा। पर्चा नं० 12 में अभियुक्त शीलू के बयान हेतु अभियुक्त के जिला कारागार में निरूद्ध होने के कारण न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर बयान अंकित करने संबन्धी कार्यवाही का अंकन किया। पर्चा नं० 13 में अवलोकन रसीद माल दाखिला विधि विज्ञान प्रयोगशाला संबन्धी रसीद का अवलोकन कर केस डायरी में अंकन किया। पर्चा नं० 14 में विवेचनात्मक कार्यवाही में घटना स्थल के आस पास के दुकानदारो व पड़ोस में निवास करने वाले लोगो आदि से घटना के बारे मे जानकारी की गई तो लोगो ने बयान देने से मना कर दिया। परन्तु लोगो ने बयान देने से मना करने के बाद चुपचाप बताया कि जमीन को लेकर अनिल यादव व उनके लड़के शीलू, प्रवीण उर्फ नन्हे एवं शिवा के मध्य मतभेद थे। तथा घटना वाले दिन शिवा उस जमीन के पास आया था इसी बात को लेकर अनिल यादव व उनके लड़को शीलू यादव, प्रवीण उर्फ नन्हे द्वारा शिवा पर जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी जिससे शिवा की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। अनिल यादव व उनके लड़के अपराधिक किस्म के लोग है इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। इसलिये लोगो ने गवाही देने से इन्कार किया था। पर्चा नं० 15 में अभियुक्त अनिल की रिमाण्ड स्वीकृति कराने

की कार्यवाही की गई। पर्चा नं० 16 अभियुक्त शीलू की रिमाण्ड स्वीकृति कराने की कार्यवाही की गई। पर्चा नं० 17 में अभियुक्त प्रवीण उर्फ नन्हे की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त होने पर गिरफ्तारी व बरामदगी की कार्यवाही फर्द व अन्य कागजो का अवलोकन कर केस डायरी में अंकन किया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रवीण उर्फ नन्हे का बयान लेने हेतु आई, रामसेवक वर्मा द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूछताछ करने पर जुर्म से इकबाल करते हुये बताया कि मेरे मकान के बगल के पीछे पड़ी जमीन जो सरकारी है जिस पर मेरे जानवर आदि रहते है इस जमीन पर शिवा कब्जा कर बेचना चाहता था। दिनांक 27.09.21 को समय करीब शाम के चार–पाँच बजे के बीच शिवा उस जमीन को देख रहा था।

मेरे पिता अनिल को जानकारी हुयी तो पिता ने मुझे व शीलू को बुला लिया तथा पिता अनिल यादव ने कहा कि इसका आज मौका पाकर काम तमाम कर देते है। इसी बीच शिवा सड़क पर आ गया था। तभी हमलोगो ने शिवा को देखते ही जान से मारने की नियत से हमलोगो ने लगातार फायर किया। जिससे शिवा मौके पर ही गिर गया था। फिर हमलोग वहाँ से भाग गये थे। पर्चा नं० 18 में अभियुक्त शीलू के बयान हेतु न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने पर उसके बयान लेने के लिये उपनिरीक्षक रामसेवक वर्मा को हमराह करके जिला जेल फतेहगढ़ आये। जिला जेल में बयान अनुमति के क्रम में जिला कारागार गेट रजिस्टर अपनी प्रवेश अंकित कर अभियुक्त को बयान हेतु अभियुक्त को तलब किया गया। तथा उसने पूछताछ पर बताया कि मेरे मकान के पास सरकारी खाली जगह पड़ी थी उस जमीन पर मेरे जानवर बंधते थे इस जमीन पर मेरे पिता अनिल यादव मार्केट बनवाना चाहँते थे। किन्तु शिवा गिहार अपने गुण्डा गर्दी के बल पर उस पर कब्जा कर दूसरे लोगो को बेचना चाहँता था। और हमलोगो को दबंगई के बल पर डराता धमकाता था। समय करीब चार बजे शाम के आस पास मेरे पिता अनिल यादव ने मुझे फोन करके बुलाया कि शिवा गिहार आज आया है और घर के पास खड़े होकर गाली गलौज कर रहा है। मैं और व मेरा भाई प्रवीण उर्फ नन्हे पिता अनिल यादव ने कहा बहुत हो गया आज किस्सा हमेशा के लिये खत्म कर देते है। उस समय शिवा सड़क पर खड़ा होकर मकान के सामने गाली गलौज कर रहा था तभी मेरे पिता ने ललकारा और गाली देने से मना किया लेकिन शिवा नही माना तब हमलोगो ने शिवा को जान से मारने की नियत से अपने अपने हाथ मे लिये तमंचे से शिवा के ऊपर बारी बारी से फायर किये जिससे शिवा मौके पर ही गिर गया। हमलोगो को विश्वास हो गया कि शिवा की मृत्यु हो गई है तब हमलोग घटना स्थल से भाग गये। मैने अपना तमंचा व कारतूस काशीराम कालोनी जाने वाली सड़क पर सब्जी वाले खेत के पास झाँड़ियो व पतवार में छिपा कर रख दिया। यदि आप मुझे ले चले तो मै बरामद करा सकता हूं। अभियुक्त के बताने के अनुसार आला कत्ल की बरामदगी हेतु उसकी पी.सी.आर. की कार्यवाही की जायेगी। पर्चा नं० 19 में अभियुक्त शीलू की न्यायालय से आला कत्ल की बरामदगी हेतु न्यायालय में पी.सी. आर. के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दिनांक 04.12.21 को तलब किया गया तथा पी.सी. आर. का अनुरोध किया। पर्चा नं० 20

में अभियुक्त शीलू को न्यायालय द्वारा तलब करने पर न्यायालय उपस्थित आया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के उपरान्त अभियुक्त शीलू को दिनांक 05.12.21 को समय 11.00 से 05.00 बजे तक कुल छः गण्टे का पी.सी. आर. रिमाण्ड सशर्त स्वीकार किया गया। पर्चा नं० 21 में न्यायालय द्वारा पुलिस कस्टडी रिमाण्ड आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को जिला कारागार से उपनिरीक्षक शिव शंकर प्रसाद तिवारी व मुनीर खान के साथ जिला कारागार फतेहगढ़ से अभियुक्त शीलू को दिनांक 05.12.21 को समय 11.15am पर जिला कारागार में प्रवेश कर आदेश प्रस्तुत किया तथा अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षण कारागार में कराने के उपरान्त समय 12.00 बजे अभियुक्त शीलू को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त कर थाना मऊदरवाजा आये तथा अपनी आमद मय अभियुक्त को दाखिल करने के उपरान्त बउम्मीदगी बरामदगी उपनिरीक्षक शिव शंकर प्रसाद तिवारी एस.आई. मुनीर खान, कॉ सुधश चालक मन्जेश व अभियुक्त शीलू यादव के बताये स्थान पर चल दिया। अभियुक्त के बतायें स्थान सन्तोष की बिजली की दुकान से करीब तीस कदम पहले जीप को रूकवाया और जीप से उतर कर आगे आगे चलकर खेत सब्जी रामभरोसे के खेत व सड़क के बीच खड़ी ऑडियो व नीम के पेड़ के बीच पड़ी मिट्टी के अन्दर से मिट्टी को हाथ से हटाकर समय करीब 13.15 बजे पॉलीथीन में लिपटा हुआ तमंचा व कारतूस उठाकर दिया। खोलकर देखा व दिखवाया तो उसके अन्दर से एक तमंचा 315 बोर चालू हालत में व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये। अभियुक्त शीलू द्वारा बताया गया कि मैने दिनांक 27.09.21 को इसी तमंचे से शिवा गिहार के गोलिया मारी थी। और मेरे साथ मेरे पिता अनिल व प्रवीण ने भी गोलिया मारी थी। अभियुक्त द्वारा बरामद कराये गये तमंचा व कारतूस को मौके पर ही सील सर्व मोहर कर फर्द को मुनीर खान द्वारा लिखा गया था। हमराहीयान एवं अभियुक्त के हस्ताक्षर किये गये थे।

अभियुक्त को फर्द की प्रति देकर उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। मौके पर ही मेरे द्वारा बरामदगी आला कत्ल का स्थल का निरीक्षण कर मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार किया था। पत्रावली में कागज सं० 7A/2 नक्शा नजरी बरामदगी स्थल आला कत्ल है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–26** डाला गया। अभियुक्त व माल को थाना आकर दाखिल किया गया उसके उपरान्त मुकदमा कायम कराया गया। तथा अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराकर न्यायालय में प्रस्तुत कर मुकदमा अपराध सं० 525/21 धारा 3/25 Arms act रिमाण्ड प्राप्त कर समय से जेल दाखिल करने का निर्देश दिया गया। पर्चा नं० 22 में अभियुक्तगण शीलू, अनिल, प्रवीण उर्फ नन्हे न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृति की कार्यवाही की गई। पर्चा नं० 23 में मजीद बयान/पंचायतनामा वादिनी शारदा देवी व रतन गिहार व पंचायतनामा गवाह सूरज, राकेश, राहुल के बयान अंकित किये। उसके पश्चात घटना स्थल पर रवाना होकर बयान दुकानदार पडोसी घटना स्थल साहिद, साजिद, अनिल राठौर, दीपक के बयान अंकित किये। साक्षी साहिद ने बताया घटना के समय मैं मौजूद नहीं था। उस समय मेरा पुत्र साजिद मौजूद था। घटना को देखकर साजिद ने दुकान बंद

कर दिया था। तथा बेटे साजिद ने बताया था कि शिवा गिहार को गोली मारने वाले तीन ही लोग थे। ये घटना इतनी ताबड़तोड़ घटी कि एकदम आठ नौ फायर हुये और शिवा वही गिर गया था और मारने वाले भाग गये थे। और दुकान दार भी बाद में दुकान बंद करके भाग गये थे। साजिद ने अपने बयान में बताया था कि दिनांक 27.09.21 को मै दुकान पर बैठा था शाम के चार पाँच बजे के बीच एकदम आठ–नौ फायर हुये थे। मैंने फायर की आवाज सुनकर देखा तो मोहल्ले के ही नन्हे, शीलू व इनके पिता अनिल थे इन तीनो लोगो ने ही ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, तो मैं डरकर अन्दर दुकान में घुस गया था। इनके अलावा और किसी को फायर करते नहीं देखा था इन्ही के फायर से शिवा घायल होकर गिर गया था बाद में सभी दुकाने बंद हो गई थी, मैं भी भाग गया था। अभियोग में नामित अजय कुमार सुशील कुमार पुत्रगण सुरेश उर्फ बचा व सुरेश उर्फ बच्चा पुत्र मक्का, प्रदीप व शनि पुत्रगण लालाराम, अनुज पुत्र अनिल, सोनू पुत्र रमेश निवासीगण मोहल्ला रकाबगंज थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद के बारे में पूछा गया तो बताया इनको मैने नहीं देखा था। तथा साक्षी अनिल राठौर ने बताया कि दिनांक 27.09.21 को मेरी दुकान खुली थी समय करीब शाम चार बजे के आस पास आठ–नौ फायर की आवाज सुनाई दी। मैंने फायर सुन कर देखा तो इसी मोहल्ले के अनिल यादव व उसके लड़के नन्हे जिसे प्रवीण भी कहते है व शीलू को देखा था। इन लोगो ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, मैं डरकर दुकान के अन्दर घुस गया था। इन तीनो के अलावा और किसी को फायर करते नही देखा था, इन्ही के फायर से ही शिवा मरा है। दीपक ने भी बताया था कि मैं दिनांक 27.09.21 को कन्नौज गया था। अगले दिन आने पर सुनने को मिला था कि शिवा की दिन दहाड़े यही सड़क पर दुकानो के सामने चार–पाँच बजे के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने वालो के नाम पता पूछने पर बताया कि मैने देखा नहीं है, सुना है गोली मारने वाले मोहल्ले के अनिल यादव व उसके लड़के नन्हे उर्फ प्रवीण व शीलू है तथा मोहल्ले के लोगो से भी पूछा गया तो बिना नाम पता बताये बताया कि शिवा की हत्या अनिल यादव व उसके लड़के शीलू यादव व प्रवीण यादव ने ही की है। पर्चा नं० 24 में बयान पी.एम. कर्ता डा० मोहम्मद अलीम अन्सारी, डा० अभिषेक कुमार का बयान अंकित किया। उसके बाद अपने बल कार्यालय आया। घटना में नामित अभियुक्तगण सुशील, अजय, सुरेश उर्फ बच्चा, प्रदीप, शनि व सोनू के मोबाइल नम्बरो की सी.डी. आर. प्रभारी सर्विलांस सेल फतेहगढ़ से प्राप्त हुयी जिसका अवलोकन किया गया, अवलोकन करने पर अजय कुमार का मोबाइल नं० 9839818283, सुशील का मोबाइल नं० 9839959486, सुरेश उर्फ बच्चा का मोबाइल नं० 988994641, प्रदीप कुमार का मोबाइल नं 6394552704, शनि का मोबाइल नं० 9559598951, अनुज का मोबाइल नं० 9554236615, सोनू का मोबाइल नं0 8052193083 की लोकेशन दिनांक 27.09.21 को घटना के समय लोकेशन टावर एवं सेल आई.डी. के अनुसार पाई गयी। जिसका अंकन मैंने अपनी केस डायरी में किया था। उपरोक्त सभी मोबाइल नम्बरो की लोकेशन टावर एवं सेल आई.डी के अनुसार घटना स्थल पर नहीं पाई गयी। एफ.आई. आर. नामित अभियुक्तगण सुरेश

उर्फ बच्चा, सोनू, अनुज, अजय, शनि, सुशील व प्रदीप की मौजूदगी घटना के समय घटना स्थल पर मोबाइल लोकेशन के अनुसार व चक्षुदर्शी साक्षी साजिद व अनिल राठौर के बयान के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगणो की नामजदगी गलत पाई गयी। अतः अभियोग में धारा 147, 148, 149, 120B IPC का लोप करते हुये धारा 34 IPC की वृद्धि की गई। अग्रिम विवेचना धारा 302/34 IPC व 3(2)(V) में प्रचलित की गई। पर्चा नं० 25 में अभियुक्तगण अनिल यादव, शीलू यादव, प्रवीण उर्फ नन्हे यादव की रिमाण्ड स्वीकृति की कार्यवाही की गई। पर्चा नं० 26 में साक्षी विक्की का बयान अंकित किया। पर्चा नं० 27 में एफ.आई.आर. मे नामित अभियुक्तगण सुशील कुमार, सुरेश उर्फ बच्चा, सोनू उर्फ अश्वनी अनुज, अजय, शनि, व प्रदीप के बयान अंकित किये। जिनके द्वारा बताया गया कि वादिनी शारदा देवी से हमलोगो की पुराने मुकदमे बाजी व रंजिश के कारण हमलोगो को झूठा फंसाया गया है, हम लोगो ने कोई अपराध नही किया है। मुकदमेबाजी के संबध मे कोतवाली फतेहगढ़ थाना मऊदरवाजा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ प्राप्त कराई गई। जिनका अवलोकन कर केस डायरी में अंकन किया। अभियोग में की गई विवेचना के क्रम में बयान वादिनी व बयान चक्षुदर्शी साक्षीगण, बरामदगी आला कत्ल, निरीक्षण घटनास्थल, पी.एम. रिपोर्ट व सी.डी.आर. के आधार पर अभियुक्त अजय, सुशील, अनिल, सुरेश उर्फ बच्चा, प्रदीप, शनि, अनुज, सोनू की घटना में संलिप्तता का साक्ष्य न पाये जाने पर नामजदगी गलत की गयी तथा अभियुक्तगण शीलू यादव, प्रवीण उर्फ नन्हे यादव व अनिल यादव के विरूद्ध प्रथम दृष्टया संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा 302/34 IPC व 3 (2) (V) sc/st Act में प्रमाणित होने पर आरोप पत्र सं० 478/21 दिनांक 21.12.21 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया। पत्रावली में कागज सं० 3A/1 लगायत 3A/8 आरोप पत्र को देखकर साक्षी ने बताया कि यह आरोप पत्र मैने कम्प्यूटर ऑपरेटर को बोल बोल कर तैयार कराया था तथा उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। इस पर बने हस्ताक्षर मेरे है मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–27** डाला गया।

26. **पी.डब्लू. 16 उ.नि. शिवशंकर प्रसाद तिवारी**, जो अभियुक्त शीलू यादव से आला कत्ल बरामदगी का गवाह व मु.अ.सं. 525/2021 का वादीमुकदमा है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05–12–2021 को मैं थाना मउदरवाजा में बतौर चौकी प्रभारी बीवीगंज में 147, 148, 149, 302, 120BIPC व U/s 3(2) (V) SC/ST Act बनाम अजय आदि की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी। विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त शीलू यादव द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था। अभियुक्त के बयान विवेचक द्वारा न्यायालय की अनुमति से जिला कारागार फतेहगढ में लिए गये थे। अभियुक्त ने अपने जुर्म इकबाल करते हुए आला कत्ल बरामद कराने का बयान दिया था। विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय से अभियुक्त शीलू की पीसीआर का आदेश प्राप्त किया था। उक्त आदेश के क्रम में दिनांक 05–12–2021 को मैं एवं उपनिरीक्षक मुनीर खाँ, कॉ० सुधांशु व जीप चालक

मन्जेश कुमार के साथ जिला कारागार फतेहगढ आया। विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा जिला कारागार फतेहगढ बुलाया गया था। क्षेत्राधिकारी नगर जिला कारागार फतेहगढ के बाहर मौजूद मिले। न्यायालय के आदेशानुसार जिला कारागार में अन्दर दाखिल हुए तथा न्यायालय के आदेश से अवगत कराते हुए अभियुक्त शीलू को न्यायिक हिरासत में लिया गया। अभियुक्त शीलू का चिकित्सीय परीक्षण जिला कारागार के अन्दर ही कराकर विवेचक को हिरासत में दिया गया था। अभियुक्त शीलू को जिला कारागार फतेहगढ से लेकर थाना मउदरवाजा आया। अभियुक्त को रपट नं० 38 समय 12:44 दिनांक 05–12–2021 को दाखिल किया गया। अभियुक्त से पुनः पूछताछ करने के बाद उसके बताये स्थान के लिए मैं, विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर, उपनिरीक्षक मुनीर खाँ, कॉ० सुधांशु व जीप चालक मन्जेश कुमार एवं अभियुक्त शीलू यादव के साथ चल दिये थे। बताये स्थान संतोष बिजली की दुकान से तीस कदम पहले जीप रूकवा दी। और जीप से उतरकर आगे–आगे चलकर रामभरोसे के सब्जी के खेत व सडक के बीच में खडी झांडियों व खडें नीम के पेड के बीच में खुदी हुयी पडी मिटटी को स्वयं हाथ से हटाकर एक पालीथीन में लिपटा तमंचा व कारतूस निकालकर समय करीब 13:15 बजे निकालकर दिया। पालीथीन को खोलने पर उसके अन्दर से एक अदद तमंचा 315 बोर जो चालू हालत में है जिसका हुलिया फर्द के मुताबिक है व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। अभियुक्त शीलू द्वारा बताया गया कि मैनें शिवा गिहार की गोली मारकर हत्या की और शिवा को मेरे पिता अनिल यादव व अपने छोटे भाई प्रवीन उर्फ नन्हें के साथ मिलकर हत्या की थी। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आला कत्ल तमंचा 315 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर को एक कपडे में रखकर मौके पर ही सील मोहर सर्व किया गया तथा फर्द को मुझ उपनिरीक्षक द्वारा बोल–बोलकर उपनिरीक्षक मुनीर खाँ द्वारा मौके पर ही तैयार की गयी थी तथा मौके पर ही अभियुक्त को पढ़कर सुनाकर उसके हस्ताक्षर बनवाये थे तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी थी तथा मैनें व अपने हमराह SI मुनीर खां, कॉ० सुधाशु चौहान के हस्ताक्षर करवाये थे। S.T. No. 104/2022 राज्य बनाम शीलू यादव में शामिल कागज संख्या 5A फर्द बरामदगी, एक अदद आला कत्ल तमंचा 315 बोर, दो अदद कारतूस जिंदा 315 बोर संबंधी मुकदमा अपराध संख्या 427/2021 धारा 147, 148, 149, 302, 120B IPC व u/s 3(2) (V) SC/ST Act थाना मउदरवाजा को देखकर साक्षी ने बताया कि यह फर्द उपनिरीक्षक मुनीर खान के लेख व मेरे हस्ताक्षर में है मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–28** डाला गया। बरामदशुदा आला कत्ल तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर सील सर्व मोहर मय अभियक्त के थाना मउदरवाजा में दाखिल किया था तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/25 Arms Act का मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त का मेडिकल कराकर न्यायालय के आदेशानुसार जिला कारागार फतेहगढ में दाखिल किया गया था। थाना मउदरवाजा द्वारा एक सील सर्व मोहर बंडल लाया गया जिसके ऊपर फर्रुखाबाद 767–BAL–

24 830–BAL–24 L/W 832–BAL–24 L/W मु०अ०सं० 427, 432, 511, 525/21 धारा 147, 148, 149, 302, 120B IPC & 3(2)(V) SC/ST Act and 3/25 Arms Act थाना मउदरवाजा बनाम अजय आदि अंकित है, को न्यायालय की उपस्थिति में उभयपक्षों की उपस्थिति में खोला गया जिसके अन्दर से चार बण्डल निकले। तीन बण्डलों में तमंचा व एक बण्डल में खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस व लिफाफा आदि निकले। पालीथीन जिसपर 832–BAL/24 अंकित है के अन्दर से एक लिफाफा व एक शील्ड कपडा व तमंचा 315 बोर निकले। तमंचा की नाल को छोडकर शेष पीतल व लकडी का है। जिसके उपर 3/25 Arms Act लिखा है व एक टैग बँधा है। टैग में भी 3/25 फर्रुखाबाद पत्रांक 832–BAL–24 u/s 3/25 अंकित है व एक लिफाफा में दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर व दो अदद बुलेट निकली। खोखा कारतूस TC–5/832–BAL/24 फर्रुखाबाद व TC–6/832–BAL/24 फर्रुखाबाद अंकित है। तमंचे को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही तमंचा है जिसे अभियुक्त शीलू ने अपनी निशानदेही पर स्वयं बरामद कराया था जो चालू हालत में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। तमंचे पर **वस्तु प्रदर्श– 1** व तथा पॉलीथीन के अन्दर से निकले **वस्तु प्रदर्श– 2** तथा लिफाफे के अन्दर से निकले खोखा कारतूस 315 बोर TC–5 व TC–6 पर **वस्तु प्रदर्श –3** व अन्दर से निकले दोनो बुलेट पर **वस्तु प्रदर्श– 4** डाले गये।

27. **पी.डब्लू. 17 उ.नि. रामसेवक वर्मा**, जो प्रवीन उर्फ नन्हें यादव से आला कत्ल बरामदगी का गवाह है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.09.21 को थाना मउदरवाजा बतौर कार्यवाहक थाना प्रभारी के रूप में तैनात था। मैं उस दिन मय हमराही के सरकारी जीप के साथ थाना क्षेत्र मे शान्त व्यवस्था व अपराधियो के गिरफ्तारी हेतु मामूर था जरिये आर.टी सेट समय लगभग शाम चार–पाँच बजे के मध्य सूचना मिली कि मोहल्ला रकाबगंज खुर्द शिवा गिहार को कुछ व्यक्तियो द्वारा अनिल यादव के घर के सामने गोली मार दी गयी है। सूचना पर मैं पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुँचा व अपने उच्च अधिकारियो को भी सूचना दी तथा घटना स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाने का फोर्स लगाया तथा उच्च अधिकारियो से भी अन्य थानो से भी पुलिस फोर्स की माँग की थी। शिवा गिहार को इलाज हेतु राममनोहर लोहिया अस्पताल भिजवाया था मौके पर मौजूद लोगो ने भी शिवा गिहार की पहचान की थी। तब मेरे द्वारा मौके से बरामद सात अदद खोखा कारतूस व चार बुलेट को कपड़े में रखकर एवं मृतक के पास से खून आलूदा मिट्टी एवं सादा मिट्टी लेकर अलग–अलग डिब्बी में रखकर कब्जा पुलिस में लेकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया। जिसको मेरे द्वारा रपट नं० 2 दिनांक 29.09.21 समय 01.01 am पर दाखिल किया था। फर्द सात अदद खोखा कारतूस व चार अदद बुलेट एवं खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी मेरे द्वारा मौके पर तैयार की गई तथा थाना कार्यलय के मुन्शी को माल के साथ प्राप्त करायी गई थी परन्तु उक्त फर्द पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। शिवा गिहार की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा

उपनिरीक्षक पंकज कुमार को पंचायतनामा की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। घटना के संबध में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं० 427/21 धारा 147, 148, 149, 302, 120B IPC व 3(2) (V) SC/ST Act थाना मऊदरवाजा में नामित अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु विवेचक के निर्देशन मे मेरे द्वारा संभावित स्थानो पर दबिश दी गई थी तथा इस घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त प्रवीण उर्फ नन्हे व शीलू की गिरफ्तारी हेतु भी दबिश दी गई थी। दिनांक 24.11.21 को मै व मय हमराहीयान HC ललित कुमार, कॉ योगेश, महिला कॉ आरती, महिला कॉ ममता के साथ थाना क्षेत्र में वांछित वारण्टी व शान्त व्यवस्था हेतु क्षेत्र में मामूर थे। जब हमलोग रकाबगंज खुर्द से चिलसरा रोड पर जा रहे थे तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि मुकदमा अपराध सं० 427/21 धारा 147, 148, 149, 302, 120B IPC व 3(2) (V) SC/ST Act थाना मऊदरवाजा शिवा गिहार की हत्या में शामिल प्रवीण उर्फ नन्हे पुत्र अनिल यादव अपने गाँव अमिलापुर के बाहर सड़क चिलसरा रोड पर खड़ा है। जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पर विश्वास करके एस.ओ. जी. प्रभारी बलराज भाटी, सर्वलान्स प्रभारी जयप्रकाश शर्मा को मकसद बताकर उनके मोबाइल पर सूचना दी उपरोक्त दोनो अपने अपने हमराहीयान के साथ उपस्थित आये। पुनः जानकारी व मकसद बताया तथा जनता के गवाह को तलाश किया लेकिन कोई भी भलाई बुराई के कारण गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। तब हमलोगो ने मय मुखबिर के आपस में एक दुसरे के जामा तलाशी लेकर विश्वास किया कि किसी के पास अपराध से संबन्धित कोई नाजायज वस्तु नहीं है और मुखबिर के बताये स्थान की ओर चल दिये। जब हमलोग ग्राम अमिलापुर पहुंचने ही वाले थे तभी मुखबिर ने गाँव के बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी कराकर तथा आपस में दो पार्टिया बनाकर एस. ओ. जी. चिलसरा की ओर से अमिलापुर की ओर जाने वाले रास्ते पर मुख्य सड़क पर पहुंचे तब मुखबिर ने सड़क पर खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया कि यह प्रवीण उर्फ नन्हे हैं और मुखबिर चला गया हम दोनों पार्टियो ने सड़क पर खड़े हुये व्यक्ति को समय 10.30am पर पकड़ लिया। नाम पता पूछा उसने अपना नाम प्रवीण उर्फ नन्हे पुत्र अनिल यादव हाल निवासी रकाबगंज खुर्द थाना फर्रुखाबाद व मूल निवासी अमिलापुर बताया। जामा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अदद 315 बोर तमंचा व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये। तमंचे को देखा गया तो तमंचा चालू हालत में था तथा तमंचे का हुलिया फर्द मुताबिक है तथा प्रवीण उर्फ नन्हे ने बताया कि मैने व अपने पिता अनिल यादव एवं अपने भाई शीलू यादव के साथ इसी तमंचे से अपने बाबा रामेश्वर के घर के सामने शिवा गिहार की गोली मारी थी क्योकि शिवा गिहार अपने साथियो के साथ पिता अनिल यादव को बाजार मे दुकानदारो के सामने गाली गलौज कर रहा था। घटना के बाद हम तीनो लोग अलग अलग जगहो पर भाग गये थे। मै अपने वकील साहब के माध्यम से न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के प्रयास में था। अभियुक्त प्रवीण उर्फ नन्हे को धारा 3/25 Arms Act व मुकदमा अपराध सं० 427/21 धारा 147, 148, 149, 302, 120B IPC व 3(2) (V) SC/ST Act थाना मऊदरवाजा जुर्म से अवगत कराते हुये पुलिस हिरासत में लिया

गया। तमंचा व कारतूस को एक कपड़े मे रखकर मौके पर ही सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया व गिरफ्तारी मेमो भी तैयार की थी एवं फर्द मेरे द्वारा स्वंय लिखकर अपने व अपने हमराहीयान के हस्ताक्षर बनवाये थे तथा अभियुक्त के भी हस्ताक्षर बनवाये थे। गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार व माननीय सर्वोच न्यायालय के भी दिशा–निर्देशों का पालन किया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके बाबा रामेश्वर को दी गई थी। उसके उपरान्त विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर को भी गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी। पत्रावली S.T N.O 103/22 बनाम प्रवीण उर्फ नन्हे यादव में शामिल कागंज सं० 5A को देखकर साक्षी ने बताया कि यह फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर व गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा 3/25 Arms Act यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मै अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–29** डाला गया। विवेचक ने मुझसे पूछताछ की थी।

28. **पी.डब्लू. 18 क्षेत्राधिकारी नितेश कुमार**, जो मु.अ.सं. 427/2021 मामलें का प्रथम विवेचक है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 02.10.21 को मै क्षेत्राधिकारी नगर के पद पर तैनात था। मुकदमा अपराध सं० 427/21 धारा 147,148,149,302,120B IPC व 3(2) (V) SC/ST ACT बनाम अजय आदि थाना मऊदरवाजा मुझे आवंटित हुयी थी परन्तु उस समय मेरे अवकाश पर होने के कारण उक्त अपराध सं० की विवेचना मेरे लिन्क अधिकारी अजय कुमार शर्मा द्वारा संपादित की गई। मेरे अवकाश से वापस आने पर उक्त अपराध सं० की विवेचना स्वयं मैने ग्रहण की। पूर्व विवेचक अजय कुमार शर्मा द्वारा की गई विवेचना का अवलोकन मैने किया। उनके द्वारा की गई विवेचना के क्रम में नकल रपट, नकल चिक रिपोर्ट, बयान एफ.आई. आर. लेखक विमलेश सिंह, बयान वादिया अवलोकन जाति प्रमाण पत्र, बयान वादिया की पुत्री ज्योति व नक्शा नजरी घटना स्थल आदि का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया था। मेरे द्वारा पर्चा नं० 3 अभियुक्त अनिल की गिरफ्तारी की सूचना थाना मऊदरवाजा से प्राप्त हुयी थी। सूचना पर मै थाना मऊदरवाजा गया था तथा वहाँ पर अभियुक्त अनिल की गिरफ्तारी का मेमो व एफ.आई.आर. आला कत्ल बरामदगी मुकदमा अपराध सं० 432/21 धारा 3/25/27 Arms Act बनाम अनिल का अवलोकन करने के पश्चात केस डायरी में अंकित किया उसके पश्चात थाने पर ही अभियुक्त अनिल यादव से पूछताछ कर उसका बयान दर्ज किया। उसके द्वारा अपने जुर्म से इकबाल करते हुये बताया कि मैने अपने सहयोगियो के साथ मिलकर इसी तमंचे से शिवा के गोली मारकर हत्या की थी। मैने बरामद करा दिया है। पर्चा नं० 4 में अभियुक्त अनिल यादव का चौदह दिन का रिमाण्ड स्वीकृत कराया। पर्चा नं० 5 विवेचना में मैने प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा को अपने कार्यालय तलब किया था। उनसे नामित अभियुक्तो के बारे की गिरफ्तारी के संबध में पूछताछ की थी तथा उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि शिवा के परिजनो व नामित अनिल

आदि के बीच में जमीन को लेकर विवाद है तथा ये भी बताया था कि अनिल यादव ने अपने बेटो शीलू व प्रवीण उर्फ नन्हे यादव, अजय, सुशील, सुरेश व शनि आदि के साथ शिवा की हत्या का षणयन्त्र किया। मुल्जिमानों ने अनिल यादव के पिता के घर के सामने शिवा गिहार को घेर लिया और एक राय होकर एक उद्देश्य से शिवा गिहार की हत्या की थी तथा अभियुक्तो की मोबाइल की लोकेशन आदि के बारे में जानकारी के लिये प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा को निर्देशित किया था। उसके पश्चात मैने उपनिरीक्षक पंकज कुमार चौकी इन्चार्ज बजरिया को तलब किया। चौकी इन्चार्ज बजरिया थाने पर आये उनके द्वारा बताया गया कि घटना में अनिल यादव के पुत्र शीलू व प्रवीण उर्फ नन्हे भी शामिल है। सही जानकारी राजा व अनूप से की जा सकती है तथा चस्मदीद साक्षी राजा व अनूप के शपथ पत्र प्राप्त हुये। शपथ पत्रो का अवलोकन कर सलग्न सी०डी० किया। उसके पश्चात दोनो साक्षियो का बयान मेरे द्वारा थाने मऊदरवाजा पर ही अंकित किया गया। दोनो साक्षियो द्वारा घटना का समर्थन किया गया तथा प्रवीण उर्फ नन्हे व शीलू का नाम प्रकाश में आये थे। पर्चा नं० 6 मेरे द्वारा पंचायतनामा व पोस्टमार्टम का अवलोकन कर तसकरा सी.डी. किया। उसके पश्चात पोस्टमार्टम कराने वाले कॉ उमेश शर्मा व सचिन पौनिया व उपनिरीक्षक पंकज कुमार का बयान अंकित किया। उसके पश्चात मेरा स्थानांतरण होने के कारण अग्रिम विवेचना अग्रिम विवेचक द्वारा की गयी।

29. **पी.डब्लू. 19 महेश कुमार यादव**, जो आलाकत्ल का परीक्षण करने वाला विश्लेषक है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मै विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में अग्नेयाशस्त्र शाखा में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूं। दिनांक 21.02.25 को मै उपरोक्त पद पर कार्यरत था। वाहक हेड कॉ 289 चन्द्रभान अवस्थी द्वारा दिनांक 08.11.21 को मुकदमा अपराध सं० 427/21, 432/21, 511/21, 525/21 धारा 147, 148, 149,302, 120B IPC व 3(2)(v) 3/25 Arms Act से संबधित माल मुकदमाती विधि विज्ञान प्रयोगशाला झाँसी में उपलब्ध कराये गये थे जो कि झाँसी से परीक्षण हेतु मेरे कार्यालय में दिनांक 13.09.24 को प्राप्त हुये। प्राप्त माल मुकदमाती का परीक्षण की वैज्ञानिक विधियो का प्रयोग करते हुये मेरे द्वारा दिनांक 03.02.25 को परीक्षण प्रारम्भकरते हुये दिनांक 21.02.25 को पूर्ण हुआ, उसी दिन मेरे द्वारा परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी और मैने परीक्षण आख्या पर प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। उपरोक्त परीक्षण आख्या को श्री जयन्ती प्रसाद उपनिदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश महानगर लखनऊ द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर जनपद फर्रुखाबाद को आवश्यक कार्यावाही हेतु अग्रसारित किया गया था। श्री जयन्ती प्रसाद के साथ प्रयोगशाला मे मेरे द्वारा पदीय कार्य किया जाता है। मैं श्री जयन्ती प्रसाद के हस्ताक्षर को पहचानता हूं। आख्या परीक्षण के अनुसार मेरे द्वारा अपने सहकर्मी को बोल–बोल कर स्वंय करायी है। पत्रावली में उपलब्ध कागंज सं 120A/1 लगायत 120A/3 को प्रत्येक पेज पर मेरे हस्ताक्षर बने है तथा अन्तिम पृष्ट 120A/3 पर उपरोक्त श्री जयन्ती प्रसाद के भी आख्या अग्रसारण के भी हस्ताक्षर

है। मैं अपने व श्री जयन्ती प्रसाद के हस्ताक्षरो एवं आख्या की पुष्टि जिस पर **प्रदर्श क–30A** डाला गया। मेरे अभिमत के अनुसार चिन्हित देशी पिस्तौल 315 बोर 1/25 जो अपराध सं० 432/21 से संबधित है। इसी देशी पिस्तौल से ई.सी. 1, ई.सी 2, ई.सी 4 चलाया जाना परीक्षण में पाये गये। ई.सी. 3 चिन्हित देशी पिस्तौल 315 बोर 2/25 से चलाया जाना सम्भव है। विवादित 315 बोर चिन्हित बुलेट EB–1, EB–2, EB–3, EB–4, EB–5, EB–6, पर चिन्हित देशी पिस्तौल 315 बोर 1/25, व 3/25 देशी पिस्तौल में individual Character नहीं पाये गये क्योकि देशी पिस्तौल की नाल का व्यास अधिक होने के कारण सामान्यतः पर्याप्त Character नहीं आ पाते है।

झांसी से प्राप्त नमूना मोहरे जिन्हें मैनें क्रमशः नं. 1 लगायत 7 तक चिन्हित किया। समुद्रित बण्डल कपड़ा जिस पर नं. 1 के समान मुद्राएं लगी है। इस पर मु.अ.सं. 432/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट... ... ..एक अदद 315 बोर... ..आदि का लिखा है। इसे खोलने पर 315 बोर के दो जिन्दा कारतूस तथा 315 बोर की एक देशी पिस्तैल प्राप्त हुए। जिन्दा कारतूसों के क्रमशः LC1 व LC2 से तथा देशी पिस्तौल को 1/25 से चिन्हित किया गया है। कपड़े का एक समुद्रित बण्डल जिस पर नं 4 के समान मुद्राएं लगी है। इस पर मु.अ.सं. 427/21 धारा 147,148,149,302 ipc व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट.....फर्रूखाबाद..........07 अदद खोखा कारतूस.........आदि का लिखा है। इसे खोलने पर 315 बोर के साथ चले खोखा कारतूस प्राप्त हुए। जिन्हें क्रमशः EC–1 लगायत EC 7 से चिन्हित किया गया है। EC5, EC6X EC7 की परक्यूशन कैप अनुपस्थित है। कपड़े का एक समुद्रित बण्डल जिस पर नं. 4 के समान मुद्राएं लगी है। इस पर मु.अ.सं. 427/21 धारा......03 अदद बुलेट..........आदि सा लिखा है। जिसे खोलने पर 315 बोर की तीन चली हुई बुलेट्स तथा 315 बोर की एक अपूर्ण। विक्रत चली हुई बुलेट प्राप्त हुई जिन्हें क्रमशः EB1 से EB4 तक चिन्हित किया गया है। कागज एक सील्ड लिफाफा जिस पर नम्बर 2 के समान मुद्राएं लगी है इस पर मु.अ.सं. 427/21 धारा 147, 148..........3(2)V... ... .बनाम अजय अभियुक्त अनिल यादव के बायें हाथ से लिया गया GSR... ... .फर्रूखाबाद आदि का लिखा है इसे खोलने पर एक काटन स्वाब प्राप्त हुआ जिसे LSI से चिन्हित किया गया है। कागज एक सील्ड लिफाफा जिस पर नम्बर 2 के समान मुद्राएं लगी है जिस पर मु.अ.सं. 427/21 धारा 147, 148... ... ... .3(2)V... ... ..बनाम अजय... ... ... अभियुक्त अनिल यादव के दाहिने हाथ का लिया गया GSR... ... .फर्रूखाबाद... ... ...आदि सा लिखा है। इसे खोलने पर एक काटन स्वाब प्राप्तहुआ। जिसे RS1 से चिन्हित किया गया। कागज एक सील्ड लिफाफा जिस पर नम्बर 2 के समान मुद्राएं लगी हैं इस पर... ... .मु.अ.सं. 427/21 धारा 147,148... ... ...3(2)(v) ... ...बनाम अजय... ... ...अभियुक्त अनिल यादव के दोनों हाथों से लिए गए..........सैम्पल........फर्रूखाबाद आदि सा लिखा है, इसे खोलने पर एक सादा काटन प्राप्त हुए जिसे CS1 से चिन्हित किया है। कागज एक सील्ड लिफाफा जिस पर नम्बर 3 के समान

मुद्राएं लगी है, इस पर........मु.अ.सं. 427/21, धारा 147, 148... ... .. 3(2)V... ... .बनाम अजय... ... ...मृतक शिवा के बायें हाथ से लिया गया GSR---- फर्रूखाबाद ... ...आदि सा लिखा है। इसे खोलने पर काटन स्वाब प्राप्त हुआ जिसे LS-2 से चिन्हित किया गया है। कागज एक सील्ड लिफाफा जिस पर नम्बर 3 के समान मुद्राएं लगी हैं इन पर मुकदमा अपराध संख्या 427/21, धारा 147, 148... ... ...3(2)(V)... ... .. बनाम अजय ... ...मृतक शिवा के दाहिने हाथ से लिया गया GSR--- फर्रूखाबाद....... आदि सा लिखा है इसे खोलने पर एक काटन स्वाब प्राप्त हुआ जिसे RS-2 से चिन्हित किया गया। कागज एक सील्ड लिफाफा जिस पर नम्बर 3 के समान मुद्राएं लगी है इस पर... ... ... .मु.अ.सं... ... ..427/2021, धारा 147,148... ... .3(2)V ... .बनाम अजय... ... ..मृतक शिवा के दोनों हाथों से लिए गये..........सैम्पल........फर्रूखाबाद.........आदि सा लिखा है। इसे खोलने पर एक सादा काटन प्राप्त हुए जिसे CS-2 से चिन्हित किया गया। कागज एक समुद्रित लिफाफा जिस पर नम्बर 5 के समान मुद्राएं लगी है। इस पर.....PMR 459/2021 Date 28/09/... ... ... .रिकवर्ड बुलेट फ्राम द बाडी आफ शिवा पुत्र सुभाष ... . आदि सा लिखा है इसे खोलने पर 315 बोर की दो चली हुई बुलेट्स प्राप्त हुई। जिन्हें क्रमश: EB-5 व EB-6 से चिन्हित किया गया है। कपडे का एक समुद्रित बण्डल जिस पर नम्बर 6 के समान मुद्राएँ लगी है। इस पर ....मु.अ.सं. 511/21... ... ..धारा.बनाम प्रवीण... ... ...आदि सा लिखा है। इसे खोलने पर 315 बोर के दो जिन्दा कारतूस तथा एक देशी पिस्तौल प्राप्त हुए जिन्हें क्रमशः LC-3 व LC-4 तथा 2/25 से चिन्हित किया गया है। कपडे का एक समुद्रित बण्डल जिस पर नम्बर 7 के समान मुद्राएं लगी हैं जिस पर... ... . एक अदद तमन्चा 315 बोर 2 कारतूस 315 बोर जिन्दा मु.अ.सं. 525/21 बनाम शीलू यादव धारा 3/25 Arms Act सम्बन्धित मु.अ.सं. 427/21, धारा 302, 120B IPC व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट........आदि सा लिखा है। इसे खोलने पर 315 बोर का एक जिन्दा कारतूस, 315 बोर का एक मिस फायर कारतूस तथा एक देशी पिस्तैल प्राप्त हुए जिन्हें क्रमशः LC-5, LC-6 तथा 3/25 से चिन्हित किया गया है। मु०अ०सं० 432/21 धारा 3/25/27 Arms Act बनाम अनिल आजल छाना मऊदरवाजा से सम्बन्धित माल मुकदमाती जिन्दा कारतूस 315 बोर LC-1, LC-2 ब देशी पिस्तौल 1/25 है, से चिन्हित है जो कि संबंधित नमूना मोहर चिन्हित नं. 1 पर वर्णित है। मु.अ.सं. 427/21 धारा 147, 148, 149, 302, 120B IPC व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी.एक्ट थाना मऊदरवाजा बनाम अनिल यादव आदि 8 नफर अभियुक्तगण से सम्बन्धित घटनास्थळ से प्राप्त खोखा कारतूस चिन्हित EC-1 लगायत EC-7 तथा बुलेट EB1 लगायत EB-4 जो नमूना मोहर नं. 4 से वर्णित है। विवादित देशी पिस्तौले 1/25 जो अनिल यादव से सम्बन्धित है, जो मु.अ.सं. 432/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा की है, से परीक्षार्थ हेतु दो कारतूस 315 बोर चलाये, खोखा कारतूस परीक्षणार्थ पर क्रमशः TC-1 व TC-2 एवं बुलेट पर TB-1 व TB-2 से चिन्हित किया।

विवादित पिस्तौल 2/25 मु.अ.सं. 511/2021 धारा 3/25 Arms Act थाना मऊदरवाजा बनाम प्रवीण उर्फ नन्हें यादव जो नं. 6 नमूना मोहर से सम्बन्धित है।

जिससे परीक्षणार्थ हेतु 4 कारतूस 315 बोर चलाये गये फायर न हो सकने के कारण बुलेट कारतूसों में ही बनी रहीं जिन्हें चलाए गए कारतूसों को TC–3, TC–4, TC–7, TC–8 से चिन्हित किया गया है। विवादित देशी पिस्तौल 3/25 जो मु.अ.सं. 525/21 धारा 3/25 Arms Act थाना मऊदरवाजा बनाम शील्लू यादव से सम्बन्धित है, जिससे परीक्षणार्थ हेतु दो करतूस 315 बोर चलाये गये जिनके खोखा कारतूसों के TC–5 व TC–6 व बुलेट को TB–3 TB–4 से चिन्हित किया गया है।

विवादित एवं परीक्षणार्थ कारतूसों एवं बुलेट का मिलान तुलनात्मक सूक्ष्मदर्थी यन्त्र द्वारा करके निम्नलिखित अभिमत निर्धारित किए गए–

विवादित 315 बोर देशी पिस्तौलों चिन्हित 1/25, 2/25 व 3/25 की नालों में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइड, लेड एवं कापर की उपस्थिति पायी गई। विवादित 315 बोर खोखा कारतूस चिन्हित EC–1, EC–2 व EC–4 विवादित देशी पिस्तौल 1/25 बनाम अनिल यादव द्वारा चलाये गये हैं।

विवादित 315 बोर खोखा कारतूस EC–3 विवादित 315 बोर पिस्तौलों 1/25 बनाम अनिल यादव व 3/25 बनाम शीलू यादव के द्वारा नहीं चला है जबकि यह कारतूस EC–3 विवादित देशी पिस्तोल चिन्हित 2/25 बनाम प्रवीण उर्फ नन्हें यादव से तुलना करने पर व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है।

विवादित 315 बोर कारतूस चिन्हित EC–5, EC–6 व EC–7 315 बोर देशी पिस्तोलों चिन्हित 1/25, 2/25, 3/25 से तुलना करके अभिमत निर्धारित करने हेतु परक्यूशन कैप की अनुपस्थिति होने के कारण तुलना नहीं हो सकी। विवादित 315 बोर बुलेट चिन्हित EB–1, EB–2, EB–3, EB–4, EB–5 व EB–6 पर उपयुक्त 315 बोर पिस्तोलों चिन्हित 1/25 व 3/25 से तुलना करके निश्चित अभिमत निर्धारित करने हेतु व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है। क्योंकि देशी पिस्तोलों की नालों का व्यास अधिक होने के कारण सामान्यतः पर्याप्त Character नहीं आ पाते है। आज न्यायालय में एक सील बण्डल पैरोकार मउदरवाजा द्वारा लाया गया जिसे खोलने पर तीन तमंचा, जिन्दा कारतूस व खोखा कारतूस व घटनास्थल से व पी.एम. से प्राप्त बुलटे व परीक्षण हेतु चलाये गये कारतूस व उनसे प्राप्त बुलटे निकली। EC–1 लगायत EC–7 खोखा कारतूस 315 बोर व 04 बुलेट 315 बोर EB–1 लगायत EB–4 जो मुझे नमूना मोहर नं०– 04 से प्राप्त हुये थे को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वहीं खोखा कारतूस व बुलेटें है जो थाना मउदरवाजा द्वारा अपराध संख्या 427/2021 के द्वारा परीक्षण हेतु सील सर्व मोहर कर भेजी गयी थी। जिनकी मैं पुष्टि करता हूँ जिनपर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–20** लगायत **वस्तु प्रदर्श–30** डाला गया व बुलेट EB–5, EB–6 जो मुझे पोस्टमार्टम पोटली से प्राप्त हुयी थी जिस पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–31** व **वस्तु प्रदर्श–32** डाले गये।

30. **पी.डब्लू. 20 उ.नि. सद्दाम खान**, जो अभियुक्त अनिल यादव से आला कत्ल बरामदगी का गवाह है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 02–10–2021 को मैं थाना मउदरवाजा में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मैं थाने से उपनिरीक्षक पंकज सिंह, HC सुधीर कुमार, HC इन्द्रपाल, काँ० गोविन्द, कॉ० अजीत सिहं, कॉ० उमेश के साथ रपट नं० 32 समय 12:33 बजे वॉछित अभियुक्त अपराधी की गिरफ्तारी व शांति व्यवस्था हेतु रवाना हुआ था। जब हम लोग चिलसरा रोड टाउन हॉल पर थे। आपस में अपराधियों की धरपकड के संबंध में वार्ता कर रहे थे। तभी मुखबिर खास ने सूचना दी कि शिवा गिहार की हत्या करने वाले अभियुक्त अनिल यादव पुत्र रामेश्वर यादव इस समय गौशाला कटरी धर्मपुर के पास जंगल के पास मौजूद है और कहीं जाने की फिराक में है। अगर जल्दी किया जाए तो पकडा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए जनता के गवाहन तलाश किए परन्तु भलाई–बुराई के कारण व गवाही देने के कारण कोई तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। तब हम पुलिस वालों ने मय मुखबिर के एक–दूसरे की जामा तलाशी ली। विश्वास किया कि किसी के पास अपराध से संबंधित कोई नाजायज वस्तु नहीं है और मुखबिर के बताये स्थान पर कटरी धर्मपुर के जंगल की ओर चल दिये। जंगल की ओर अपनी अपनी मोटरसाइकिलों से चल दिये। जब हम लोग कटरी धर्मपुर के गौशाला के पास पहुँचे तो हम लोगों ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल खडी करके मुखबिर के पीछे पीछे जंगल की तरफ चले तो करीब बीस मीटर पहले मुखबिर ने इशारा करके बताया कि जो मैरून रंग की चैक शर्ट पहने बैठा है वो अनिल है उसी ने शिवा गिहार की हत्या गोली मार कर की है और मुखबिर चला गया और हम पुलिसवालों ने छिपते–छिपाते घेरकर बैठे व्यक्ति को पकड लिया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अनिल यादव पुत्र रामेश्वर निवासी अमिलापुर थाना मउदरवाजा जिला फर्रुखाबाद बताया। जामा तलाशी लेने पर पहनी पैन्ट के बॉयी फैट से एक अदद तंमचा 315 बोर, व दाहिनी जेब से 170 रूपये व दो अदद जिन्दा कारतूस मिले। तंमचे का हुलिया फर्द मुताबिक है जो चालू हालात में है। पूछताछ करने पर बताया कि मैंनें शिवा गिहार की हत्या इसी तंमचे से की थी तथा तब से इसी जंगल में छिपकर रह रहा हूँ। और अपनी सुरक्षा में इसी तंचमें को साथ रखता हूँ। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 427/2021 धारा 147, 148, 149, 302, 120B IPC and 3(2)(V) SC/ST Act थाना मउदरवाजा बनाम अनिल यादव में वांछित है। अभियुक्त को उसके जुल्म से अवगत कराते हुए समय लगभग 13:45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना उपरोक्त अपराध संख्या के विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर महोदय को सूचना दी गयी। बरामद तंमचें के Fingerprint व अभियुक्त के Finger Ant तमंचे का स्वेव व आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु फोरेसिंक एक्सपर्ट (फील्ड यूनिट) जरिये मोबाइल सूचना दी गयी। फील्ड यूनिट मौके पर आयी और उनके द्वारा मौके पर विधिक कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के उपरान्त तमंचा व कारतूस को एक कपडें में रखकर

सील सर्व मोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। तथा अभियुक्त के पास से बरामद रूपये व तम्बाकू को एक लिफाफे में रखकर चिट बन्दी की गयी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुपालन करते हुए मेरे द्वारा मौके पर ही फर्द तैयार की गयी तथा मैंनें अपने हस्ताक्षर व गवाहन के हस्ताक्षर व अभियुक्त के हस्ताक्षर फर्द पर करवाये थे तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्त को देकर उसके पुनः हस्ताक्षर करवाये थे। गिरफ्तारी की सूचना जरिये दूरभाष उसके पिताजी को दी गयी थी। सत्र परीक्षण संख्या 1241/2021 बनाम अनिल यादव में शामिल कागज संख्या 5A/1 लगायत 5A/2 फर्द बरामदगी तमंचा 315 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा 3/25/27 Arms Act व मु०अ०सं० 427/2021 धारा 147, 148, 149, 302, 120B IPC and 3(2)(V) SC/ST Act थाना मउदरवाजा बनाम अनिल यादव है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है मै अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श–क–31A** डाला गया।

इस मुकदमे से संबधित माल मुकदमाती एक बन्डल सील सर्व मोहर के ऊपर 767–BAL –24, 830–BAL 24, 832–BAL–24, मुकदमा अपराध सं० 427/21, 432/21, 511/21, धारा 147, 148, 149, 302, 120B IPC and 3(2) (V) SC/ST Act व 3/25/27 Arms Act थाना मऊदरवाजा अजय आदि अंकित है। उभयपक्षो की मौजूदगी में खुलवाया गया जिसके अन्दर से तीन अदद तमंचा अलग अलग पॉकेट में खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस व बुलेट सहित एवं चौथे पॉकेट मे खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस बुलेट सहित निकले। बन्डल जिस पर 767–BAL–24, अंकित है उसके अन्दर से एक तमंचा 315 बोर व तीन सील सर्व मोहर कपड़ा, एक लिफाफा जिसके अन्दर से दो खोखा कारतूस व दो बुलेट तथा तमंचा जिसमें एक टैग बन्धा है जिसमें 1/25 पत्रांक 767–BAL–24, 315 बोर की एक C.M.P तथा हस्ताक्षर अपठनीय है, अंकित है। तमंचा को निकालकर जरिये वीडियो साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह वही तमंचा व कारतूस 315 बोर है जिसे मैने मय हमराहयान के अभियुक्त अनिल से उसकी गिरफ्तारी के समय बरामद किये थे। जिसकी मै पुष्टि करता हूं। तमंचा 315 बोर पर **वस्तु प्रदर्श – 12**, जिन्दा कारतूस तथा जिन्दा कारतूस L.C–1, L.C–2 पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श –13,14**, व अन्दर से निकले तीन सील बन्द कपड़ो पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श– 15,16,17** तथा लिफाफे के अन्दर से निकले दो खोखा कारतूस T.C–1, T.C–2, 315 बोर व दो बुलेट पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श – 18,19** डाले गये।

31. **पी.डब्लू. 21 राकेश कुमार**, जो पंचायतनामा गवाह है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं केवल अपना हस्ताक्षर बना पाता हूँ। मेरी परचून की दुकान घर पर ही मोहल्ला अमीन खां में है। मेरी दुकान पर मृतक शिवा गिहार व उसके पिता सुभाष गिहार का दुकान पर सौदा लेने के कारण आना जाना रहता था इसलिए मैं शिवा

गिहार और सुभाष गिहार को जानता था। शिवा गिहार की हत्या की जानकारी होने पर मैं दिनांक 28.09.2021 को राममनोहर लोहिया अस्पताल, फर्रुखाबाद में देखने के लिये सुबह गया था। उस समय शिवा गिहार का पंचायतनामा भरा जा रहा था। पंचायतनामा भरने के बाद मैंने भी अपने पंचायतनामा पर हस्ताक्षर किये थे। शिवा गिहार की मृत्यु गोली लगने से हुई थी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 8A/3 लगायत 8A/4 पंचायतनामा को देखकर साक्षी ने बताया कि इस पर बने हस्ताक्षर मेरे हैं। मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। पुलिस ने उसी समय मुझसे पूँछताछ की थी। जो सही बात थी वो मैंने पुलिस को बता दी।

32. **पी.डब्लू. 22 सूरज गिहार**, जो पंचायतनामा गवाह है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं कक्षा 3 तक पढ़ा हूँ। शिवा गिहार की हत्या आज से लगभग साढे तीन साल पहले टाउनहॉल के पास चुंगी के पास हुई थी। किस समय हुई थी यह मुझे नहीं मालूम। हत्या की सूचना पर मैं लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद शाम को उसी दिन गया था वहाँ पर मैंने शिवा की लाश को पहचाना था और शिवा की लाश का पंचायातनामा दूसरे दिन सुबह हुआ था। पंचायतनामा की लिखा पढ़ी के बाद मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 8A/3 लगायत 8A/4 पंचायतनामा को देखकर व अपने हस्ताक्षर पहचानकर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। हस्ताक्षर मैंने पंचायतनामा भरने के समय ही बनाये थे। शिवा की हत्या किसने की मुझे उनके नाम नहीं मालूम क्योंकि मैं मौके पर मौजूद नहीं था।

33. **पी.डब्लू. 23 दीपक**, जो शाहीद एवं अनिल कुमार राठौर की दुकान के पास का दुकानदार है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि जिस समय घटना घटित हुई थी। यह बात वर्ष 2021 की है। उस समय मेरी दुकान किराने की थी और मेरी दुकान के 20-25 कदम की दूरी पर अनिल राठौर व शाहिद की दुकान थी। दिनांक 27.09.2021 को मेरे मौसा जी की मृत्यु हो गयी थी उनके अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिए मै व मेरे पापा कन्नौज गये थे। अगले दिन जब दुकान पर आया तब मुझे जानकारी हुई कि शिवा गिहार नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। यह घटना अनिल राठौर व शाहिद के दुकान के पास की है। इन्हीं लोगों की दुकान पर चर्चा की थी कि अनिल यादव व इनके लड़को ने शिवा गिहार की गोली मारकर हत्या कर दी है। अन्य किसी के नाम मैनें नहीं सुने थे। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन जब मैनें दुकान खोली थी, मुझसे पूछताछ की थी। जो मुझे जानकारी थी वह मैनें बता दिया था।

34. **पी.डब्लू. 24 कां. आरती शर्मा**, जो अभियुक्त प्रवीन उर्फ नन्हें यादव से आला कत्ल बरामदगी की गवाह है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 24.11.21 को मै थाना मऊदरवाजा में बतौर महिला आरक्षी के पद पर तैनात थी। उस दिन मै थाना से

उपनिरीक्षक रामसेवक वर्मा की हमराह होकर थाना क्षेत्र में तलाश व वांछित वारंटी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व शांत व्यवस्था की ड्यूटी में हमलोग मोहल्ला रकाबगंज खुर्द चिलसरा रोड पर पहुँचे। उसी समय जरिये मुखविर सूचना मिली कि मुकदमा अपराध सं० 427/21 धारा 302 ipc शिवा गिहार की हत्या में अपराधी प्रवीण उर्फ नन्हे गाँव अमिलापुर के बाहर सड़क के किनारे खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक रामसेवक वर्मा द्वारा एस.ओ.जी. प्रभारी बलराज भाटी व सर्विलान्स प्रभारी जयप्रकाश शर्मा को फोन से सूचना दी गयी। सूचना पर सर्विलान्स प्रभारी व एस.ओ.जी. प्रभारी मौके पर आये और उन्हे मकसद बताया इसके बाद टीम ने एक दूसरे की मय मुखविर की जामा तलाशी ली तथा ये विश्वास किया कि किसी के पास अपराध से संबंधित कोई नाजायद वस्तु नहीं है। इसके बाद हमलोग मुखविर को साथ लेकर चिलसरा रोड पर अमिलापुर गाँव की तरफ चल दिये। जब हम लोग गाँव के पास पहुँचे तो मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि जो रोड पर खड़ा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है वह प्रवीण उर्फ नन्हे है फिर उसकी गिरफ्तारी के लिये दो टीमें बनाई। एक टीम एस.ओ.जी. प्रभारी व सर्वलान्स प्रभारी और दूसरी टीम में उपनिरीक्षक रामसेवक वर्मा थे। फिर हमलोग छिपते – छिपाते अभियुक्त के पास पहुँचे और एक बारगी दबिश देकर सड़क पर खड़े व्यक्ति को समय लगभग 10.30 बजे दिन में पकड़ लिया। उसका नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रवीण उर्फ नन्हे पुत्र अनिल यादव हाल निवासी रकाबगंज खुर्द व मूल निवासी अमिलापुर थाना मऊदरवाजा बताया। जामा तलाशी लेने पर उसके पास से एक तमंचा व दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुये। प्रवीण उर्फ नन्हे द्वारा बताया गया था कि मैंने इसी तमंचे से मैंने शिवा गिहार की अपने भाई शीलू व पिता अनिल यादव के साथ मिलकर हत्या की थी। तमंचे व कारतूस को एक कपड़े में रखकर सील सर्व मोहर किया गया तथा गिरफ्तारी मेमो तैयार की गयी तथा मौके पर ही फर्द तैयार की गयी थी। उसके बाद अभियुक्त को मय माल मुकदमाती के थाना कार्यालय दाखिल किया गया। फर्द पर मैने भी अपने हस्ताक्षर बनाये थे। S.T N.O 103/22 बनाम प्रवीण उर्फ नन्हे की पत्रावली में शामिल कागज सं० 5A फर्द बरामदगी को देखकर साक्षी ने कहा कि इस पर बने हस्ताक्षर मेरे है। मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूं। इस संबंध में विवेचक ने मुझसे पूछताछ की थी।

35. **पी.डब्लू. 25 कां० सुधांशु चौहान**, जो अभियुक्त शीलू यादव से आला कत्ल बरामदगी का गवाह है, नें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05–12–2021 को मैं थाना मऊदरवाजा में कॉन्सटेबल के पद पर तैनात था। उस दिन उपनिरीक्षक शिवशंकर प्रसाद तिवारी मय उपनिरीक्षक मुनीर खां, जीप चालक मंजेश के साथ थाना से मुकदमा अपराध संख्या 427/2021 बनाम अनिल यादव धारा 302 थाना मऊदवाजा में अभियुक्त शीलू यादव द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था जिसकी पी.सी.आर. सी.ओ. नगर द्वारा माननीय न्यायायलय से प्राप्त की गई थी। उक्त अभियुक्त की पी.सीआर. हेतु जिला कारागार फतेहगढ़

सी.ओ. के निर्देशन में हम पुलिसवाले सरकारी जीप से आये थे और जिला कारगार के बाहर सी.ओ. नगर मौजूद मिले थे। उनके द्वारा अभियुक्त शीलू यादव की माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार पी.सी.आर. प्राप्त कर थाना हाजा पर अभियुक्त शीलू को लगभग साढे बारह एक बजे दाखिल किया गया था। उसके बाद सी.ओ. साहब ने उससे पूँछताछ की थी। पूँछताछ में आला कत्ल की बरामदगी का अश्वासन देकर बताया था कि मैं ही चलकर बरामदगी करा सकता हूँ। तब हम लोगों ने एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर कि किसी के पास कोई जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है अभियुक्त शीलू को सरकारी जीप के साथ लेकर उसके बताये अनुसार चिलसरा रोड़ से काशीराम कॉलोनी हैवतपुर गढ़िया की तरफ जाने वाले रास्ते पर जब हम लोग संतोष इलैक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने पहुँचे तभी अभियुक्त शीलू ने गाड़ी रुकवाई और उतरकर आगे आगे चलकर सड़क के किनारे सब्जी का खेत था उसकी मेड़ के पास दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ था वहाँ झाड़ियों के पास से मिट्टी हटाकर स्वयं एक पॉलीथिन में एक तमंचा 315 बोर व दो कारतूस जिन्दा 315 बोर निकालकर दिये और बताया मैंने इसी तमंचे से व मेरे पिता अनिल यादव व भाई प्रवीन उर्फ नन्हें ने अपने अपने तमंचे से मिलकर शिवा गिहार की गोली मारकर हत्या की थी। तमंचे व कारतूस को एक कपडे में शील सर्वमोहर किया गया था तथा मौके पर ही फर्द तैयार की गई। फर्द पर मेरे व अभियुक्त शीलू व अन्य पुलिसवालों के हस्ताक्षर बनवाये थे। घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मुझसे पूँछताछ की थी।

36. बचाव पक्ष की तरफ से बचाव दस्तावेजी साक्ष्यों को साबित कराया गया है, जिसके आधार पर प्रदर्श डाले गए जो इस प्रकार है कि–

प्रदर्श	विवरण	साक्षी
प्रदर्श ख–1	मु.अ.सं. 423/21, दिनांकित 28.09.2021 थाना मऊदरवाजा प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति	पी.डब्लू. 5 हे.कां. विमलेश सिंह
प्रदर्श ख–2	पी.डब्लू. 6 ज्योति की एल.एल.बी. प्रथम वर्ष की मार्कशीट	पी.डब्लू. 6 ज्योति
प्रदर्श ख–3	पी.डब्लू. 6 ज्योति की एल.एल.बी. द्वितीय वर्ष की मार्कशीट	पी.डब्लू. 6 ज्योति
प्रदर्श ख–4	पी.डब्लू. 6 ज्योति की एल.एल.बी. सत्र 2018–19 का एडमिट कार्ड	पी.डब्लू. 6 ज्योति
प्रदर्श ख–5	पी.डब्लू. 6 ज्योति की एल.एल.बी. षष्ठम	पी.डब्लू. 6 ज्योति

	सेमेस्टर की रिवाइज्ड परीक्षा स्कीम	

37. अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2026 को न्यायालय द्वारा बयान दर्ज किया गया। **अभियुक्त शीलू यादव** ने अभियोजन कथानक के विषय में कहा है कि झूठ है। पी.डब्लू. 1, पी.डब्लू. 2, पी.डब्लू. 3, पी.डब्लू. 6 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि झूठा बयान दिया है। पी.डब्लू. 4, पी.डब्लू. 5, पी.डब्लू. 8, पी.डब्लू. 10, पी.डब्लू. 12, पी.डब्लू. 13, पी.डब्लू. 19, पी.डब्लू. 21 एवं पी.डब्लू. 22 के साक्ष्य के विषय में कुछ नहीं कहना है। पी.डब्लू. 7 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि गलत है। पी.डब्लू. 9 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि झूठी बरामदगी को साबित किया। पी.डब्लू. 11 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि गलत विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किया। पी.डब्लू. 14 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि गलत विवेचना की। पी.डब्लू. 15 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि गलत विवेचना कर गलत आरोप पत्र साबित किया। पी.डब्लू. 16 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि थाने पर बैठकर सारी कार्यवाही की। पी.डब्लू. 17 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि गलत फर्द बरामदगी को साबित किया। पी.डब्लू. 18 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि गलत विवेचना की। पी.डब्लू. 20 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि झूठी बरामदगी दिखायी। पी.डब्लू. 23 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि लोगों के कहने पर मेरा नाम झूठा बताया है। पी.डब्लू. 24 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि झूठी बरामदगी के आधार पर गलत गवाही दी। पी.डब्लू. 25 के साक्ष्य के विषय में कहा है कि थाने पर बैठकर झूठी बरामदगी दिखाई। अभियुक्त ने अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि लोगों के कहने के आधार पर प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी घटनास्थल पर घटना के समय मौजूद नहीं था। उसके विरूद्ध मुकदमा गलत चला। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया है, परन्तु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

38. उभयपक्ष के साक्ष्य के उपरान्त यह पत्रावली बहस हेतु नियत कर दी गयी।

39. मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण बहस एवं उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

40. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा बहस दौरान यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 27.09.2021 को समय चार बजे दिन में अभियुक्त शीलू यादव ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादिनीमुकदमा शारदा के पुत्र शिवा की एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में तमन्चे से फायर कर हत्या कर दी तथा उसके पास से तमन्चें

की बरामदगी भी हुई है। साक्षी पी.डब्लू. 2 एवं पी.डब्लू. 3 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिन्हें घटना की सम्पूर्ण जानकारी है। पी.डब्लू. 1, पी.डब्लू. 6 एवं पी.डब्लू. 7 ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये है। पत्रावली में उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पंचायतनामा से भी मृतक के साथ अभियुक्त एवं उसके अन्य साथियों द्वारा बर्बरतापूर्वक घटना कारित किया जाना साबित होता है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में थोड़ा–बहुत विरोधाभास अवश्य है, परन्तु वह इस प्रकार का नहीं है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक दूषित होता हो। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन कथानक सन्देह के परे साबित होता है। अतः अभियुक्त आरोपित धाराओं के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

41. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया कि पी.डब्लू. 2 एवं पी.डब्लू. 3 जिन्हें इस मामलें का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया जा रहा है, वास्तव में उन्होनें कोई घटना देखी ही नहीं है, ये हितबद्ध साक्षी है जिस कारण इनका साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। अन्य परीक्षित कराये गये साक्षी अनुश्रूत साक्षी है और अन्य अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन ही नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब हुआ है और इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण वादिनीमुकदमा द्वारा नहीं दिया गया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में घोर विरोधाभास है। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस द्वारा कोई तमन्चा व कारतूस बरामद नहीं किया गया है। अभियुक्त को इस मामलें में फर्जी फंसाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन अपने कथानक को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त आरोपित धाराओं के अन्तर्गत सन्देह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त होने योग्य है।

42. **उभयपक्ष** द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई विधि व्यवस्था दाखिल नहीं की गयी है।

43. प्रस्तुत मामलें में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हमें यह निष्कर्ष निकालना है कि **क्या दिनांक 27.09.2021 को समय चार बजे दिन में अभियुक्त शीलू यादव ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादिनीमुकदमा के पुत्र शिवा की एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में तमन्चे से फायर कर हत्या कर दी तथा अभियुक्त की निशानदेही पर एक तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी हुई ?**

पी.डब्लू. 1 शारदा देवी, जो इस मामले का वादिनी मुकदमा एवं मृतक की माँ है, ने कथन किया है कि मेरा लड़का शिवा दिनांक 27–09–2021 को समय 03 बजे दिन में घर से दिलदार निवासी ढुंइया के घर पर उधारी के रुपये लेने गया था। दिलदार के घर पर न मिल पाने के कारण मेरा लड़का शिवा बाथम घर आ रहा था, जब शिवा चुंगी के पास आया तो उसने अपने फोन से राजा पुत्र विक्रम को फोन किया तो तुरन्त राजा व अनूप स्कूटी से शिवा के पास

गये तो उनके सामने ही अजय व सुशील पुत्रगण सुरेश उर्फ बच्चा गिहार निवासीगण रकाबगंज व अनिल यादव पुत्र रामेश्वर निवासी अमिलापुर ने सुरेश गिहार के कहने पर अपने हाथों में लिये हुए तमंचों से शिवा पर जान से मारने की नीयत से फायर किये और प्रदीप, सनी पुत्रगण लालाराम, अनुज पुत्र अनिल, सोनू पुत्र रमेश ने फायरिंग की, जिसके फलस्वरूप शिवा की मृत्यु हो गयी। यह घटना करीब 4 बजे दिन की है। सूचना पर मैं भी पहुंच गयी थी और थाना मऊदरवाजा में मैनें घटना की रिपोर्ट लिखायी थी। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मेरी मौजूदगी में मौके का नक्शा विवेचक ने बनाया था। अनिल यादव, शीलू यादव व प्रवीन उर्फ नन्हें हाजिर अदालत को घटना से पहले से मै जानती हूँ। ये अपराधी किस्म के व्यक्ति है, इन पर कई मुकदमें चले, जिसमें हत्या जैसे मुकदमें भी शामिल है। इस साक्षी द्वारा तहरीर दिनांकित 27.09.2021 प्रदर्श क–1 को साबित किया गया।

आगे कथन किया कि आज न्यायालय में अभियुक्तगण अजय, सोनू, अनुज, प्रदीप, सुशील, शनि, अनिल यादव मौजूद है। इन्होनें ही मिलकर मेरे पुत्र शिवा की हत्या की थी। घटनास्थल पर मै पुलिस के साथ गई थी वहाँ पर पुलिस ने लिखा पढ़ी की थी।

इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया कि मै लगभग सवा चार बजे शाम को घटनास्थल पर पहुँची थी। जब मै घटनास्थल पर पहुँची तब तक घटना घट चुकी थी और मुल्जिमान भाग गये थे। मैनें किसी भी मुल्जिम को अपने बेटे शिवा को गोली मारते हत्या करते नहीं देखा। मैनें जो आज अदालत में बयान दिया और जो बयान पुलिस वालों को दिया और जो तहरीर थाने पर दी, वह अनूप व राजा की बतायी गयी बातों के आधार पर दी थी। यह सही है कि मैनें अपनी रिपोर्ट में शीलू मुल्जिम एवं प्रवीन उर्फ नन्हें मुल्जिम का नाम घटना में संलिप्त होने वाले मुल्जिमों में नहीं बताया था और न ही अपने बयानों में प्रवीन उर्फ नन्हें व शीलू मुल्जिमान का घटना में शामिल होने का कोई कृत्य अथवा फायरिंग का कोई कृत्य नहीं बताया था। मुझे आज भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अभियुक्त शीलू व प्रवीन उर्फ नन्हें पुत्रगण अनिल यादव मेरे बेटे शिवा की हत्या में शामिल है।

यह साक्षी मृतक की माँ एवं वादिनीमुकदमा है। इस साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि यह घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी, वरन् घटनास्थल पर घटना घटित होने के पश्चात पहुँची थी, तब तक मुल्जिमान घटना कारित कर भाग चुके थे। इस साक्षी द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना नहीं देखी गयी है। इस साक्षी को घटना के सम्बन्ध में जो भी जानकारी है, वह राजा व अनूप के बताने के आधार पर है। इस साक्षी का यह भी स्पष्ट कथन है कि उसे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि अभियुक्त शीलू घटना कारित करने वालों में शामिल था या नहीं।

अतः ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयानों से अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

पी.डब्लू. 2 राजा, जो वादिनी मुकदमा का भतीजा एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, द्वारा कथन

किया गया है कि मृतक शिवा मेरी मौसी का लड़का था। घटना दिनांक 27–09–2021 की समय लगभग दोपहर 4 बजे की थी। मैं और अनूप घटना वाले दिन फर्रूखाबाद रेलवे स्टेशन के पास में थे, तभी पौने चार बजे शिवा का फोन मेरे मोबाइल पर आया और शिवा ने मुझसे कहा कि जल्दी से ढुइया चुंगी पर आ जाओ, मेरी जान खतरे में है। मैं तुरंत ही अपने भाई अनूप को लेकर स्कूटी से ढुइयां चौकी के लिए निकला और वहां पहुंचकर मैनें देखा कि वहां पर मेरे भाई शिवा को जान से मारने की नीयत से अजय, सुशील, अनिल यादव, सोनू, अनुज, प्रदीप, सनी को सुरेश गिहार ने कहा कि शिवा को सब लोग मिलकर गोलियों से मार दो। इस पर इन सभी सातो लोगों ने शिवा पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, फायरिंग से शिवा तुरन्त मौके पर गिर गया और उसकी मौत हो गयी। मैं डर के मारे शिवा को नहीं बचा सका। मैनें शिवा गिहार की हत्या होते हुए अपनी आँखों से देखी थी।

हाजिर अदालत मुल्जिम अनि़ल यादव, शीलू यादव तथा नन्हे उर्फ प्रवीन को देखकर मैनें कहा कि अनि़ल यादव, अजय, सुशील, सोनू, अनुज, प्रदीप, तथा सनी के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे और अनिल यादव ने इन सभी के साथ मिलकर शिवा की हत्या की। शीलू यादव व नन्हे उर्फ प्रवीन को मैंने घटना स्थल पर देखा नहीं था। जब मै व अनूप घटना स्थल से भागे थे तब जब हम कंचन वाली गली से होकर पुराने शराब के ठेके के पास पहुंचे तो वहा पर मुझे मेरी मौसी शारदा देवी व ज्योति (शारदा देवी की लड़की) मिली जो ई–रिक्शे से घर की तरफ आ रही थी। मौसी व ज्योति से बातचीत होने पर मैंने घटना की पूरी बात बताई और ये लोग जोर जोर से रोने लगे थे। ज्योति वहा पर बेहोश हो गयी थी। ज्योति को उठाते रहे थे। मैं व अनूप चल दिये और पीछे से मौसी ई–रिक्शा लेकर चल दी थी और घटनास्थल ढुंईया चुंगी पर पहुँचे थे।

इस साक्षी द्वारा अपने शपथपत्र प्रदर्श क–3 को साबित किया गया है।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस घटना में कितने लोग गिरफ़्तार हुए थे। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इस घटना में कितने लोगों से तमन्चे बरामद हुए थे। यह कहना गलत है कि घटना में शीलू व नन्हें उर्फ प्रवीण भी शामिल थे। यह कहना गलत है कि घटनास्थल पर मैनें प्रवीण उर्फ नन्हें व शीलू को देखा हो और पुलिस को भी अपने बयानों में इन दोनों के नाम बताये हो। यह कहना गलत है कि मै उपरोक्त दोनों मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण एवं उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेने के कारण न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ। यह कहना गलत है कि शीलू, व प्रवीन उर्फ नन्हें घटनास्थल पर मौजूद हो और उनके द्वारा शिवा को गोली मारी गयी हो और हत्या की घटना की गयी हो।

यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। इस साक्षी द्वारा अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि उसके भाई शिवा को अजय, सुशील, अनिल यादव, बच्चा उर्फ सुरेश, सोनू, सनी, प्रदीप और अनुज द्वारा गोली मारकर हत्या कारित की गयी थी। इस साक्षी का यह

भी कथन है कि शीलू यादव को उसने घटनास्थल पर नहीं देखा था। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसके द्वारा घटना के सम्बन्ध में मृतक शिवा की माँ शारदा को जानकारी दी गयी थी।

इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से भी यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त शीलू यादव घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित था और उसके द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर गोली मारकर मृतक शिवा की हत्या कारित की गयी हो।

अतः ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

पी.डब्लू 3 अनूप कुमार, जो वादिनी मुकदमा का भतीजा एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, द्वारा कथन किया गया है कि घटना दिनांक 27–09–2021 को समय चार बजे शाम की है। मैं व राजा सीमा बेकरी रेलवे स्टेशन पर थे। तभी राजा के मोबाइल पर शिवा का फोन आया कि जल्दी स्कूटी लेकर आओ कहा कि ढुइयां चुंगी के पास आओ। तभी राजा ने मुझे अपने साथ स्कूटी पर बैठाया और हम लोग चुंगी के पास पहुँचे तो पहुँचते ही मैनें देखा कि शिवा को अनिल यादव, अजय, सुशील, प्रदीप, सोनू, सनी, सुरेश व अनुज यह सभी लोग शिवा को घेरे हुये थे। सभी के हाथों में नाजायज असलाह थे। सबसे पहले अजय ने शिवा के ऊपर फायर किया। इसके बाद सुशील व अनिल यादव ने शिवा के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया और इतने में अनुज, सोनू, सनी, प्रदीप ने भी शिवा पर फायरिंग की तथा सुरेश ने कहा कि मार दो साले को जिन्दा न बचने पाये। इतने में सभी लोगों ने शिवा के ऊपर फायर किये, जिससे शिवा मौके पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी। हम लोग देखकर काफी घबरा गये। आस–पास के लोगों द्वारा ललकारा गया तो यह सभी लोग तिकोना वाली गली की तरफ भागते हुए टाउनहॉल की तरफ भाग गए। यह पूरी घटना मैनें अपनी आँखों से देखी है।

इस साक्षी द्वारा अपने शपथ पत्र प्रदर्श क–2 को साबित किया गया है।

इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया कि मैनें अपने हलफनामें में आठ मुल्जिमों के नाम लिखाये थे। जिनमें क्रमशः अजय, सुशील, अनिल यादव, सुरेश, शनी, प्रदीप, सोनू तथा अनुज लिखाये थे। मैनें अभियुक्तगण प्रवीन उर्फ नन्हे व शीलू पुत्र अनिल यादव को न तो घटनास्थल पर देखा था न ही शीलू व प्रवीन उर्फ नन्हें के द्वारा शिवा की गोली मारकर हत्या की गयी थी इसलिए मैनें अपने शपथ पत्र में प्रवीन उर्फ नन्हें व शीलू अभियुक्तगण के नाम नहीं लिखाये थे। मैनें सी.ओ. साहब को दिये गये अपने बयान में अभियुक्त नन्हें उर्फ प्रवीन व शीलू के नाम नहीं बताये थे। गवाह को उसका 161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मेरे बयानों में शिवा गिहार पर फायरिंग करने वालों में प्रवीन उर्फ नन्हें व शीलू पुत्रगण अऩिल यादव के नाम कैसे लिख लिये गये मै इसकी वजह नहीं बता सकता। मैनें अभियुक्तगण नन्हें उर्फ प्रवीन व शीलू को घटना वाले दिन घटनास्थल के आस पास, घटना से पहले व घटना के बाद न तो देखा था, न ही उक्त दोनों मुल्जिमानों द्वारा मेरे भाई शिवा पर फायरिंग

करके उसकी हत्या की गयी।

इस साक्षी द्वारा भी घटना के समय घटनास्थल पर अभियुक्त शीलू के उपस्थित होने का कथन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से भी यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त शीलू घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और न ही उसके द्वारा शिवा की अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर हत्या कारित की गयी है।

अतः ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

44. **पी.डब्लू. 6 ज्योति,** जो वादिनी मुकदमा की पुत्री एवं मृतक की बहन है, द्वारा कथन किया गया है कि मेरे भाई शिवा की हत्या 27–09–2021 को समय लगभग 04:00 बजे हुई थी। उस दिन मैं घर पर नहीं थी, मैं कचहरी आयी हुई थी। मैं कचहरी से घर जाने के लिए लगभग 3 बजे निकली थी। भाई की हत्या की सूचना मुझे अनूप व राजा ने पुराने शराब के ठेके पर बताई थी। जब मैं कचहरी से घर जा रही थी। उस समय मेरी मम्मी मेरे साथ थी। अनूप व राजा ने मम्मी को बताया था तब मैं भी सुन रही थी कि शिवा की हत्या कर दी गयी है। अनूप, राजा ने बताया कि पहली गोली अजय ने मारी, दूसरी सुशील ने, तीसरी अनिल यादव ने मारी, बच्चा उर्फ सुरेश के कहने पर कि शिवा आज बचने न पाये, इसको जान से मार दो, सनी, सोनू, अनुज व प्रदीप ने शिवा को घेरकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। यह राजा ने मम्मी को बताया था। घटना की जगह ढुइयां चुंगी बताई थी। रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में मम्मी, राजा, अनूप व मैं थाने पहले गये थे। मेरे घर वाले थोड़ी देर बाद पहुँचे थे। घटना की सूचना 04:00–04:15 बजे दिन में दी थी।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि मैनें किसी भी मुल्जिम को शिवा की हत्या करते हुए नहीं देखा। अनूप व राजा ने घटना के बाबत मुझे कोई बात नहीं बतायी थी। मैनें शिवा को अपने घऱ से जाते हुए घटना वाले दिन नहीं देखा था। जो बात अनूप व राजा ने मम्मी को बतायी थी, वह मैनें सुनी थी, उसी के आधार पर अपना बयान दे रही हूँ। मैनें शिवा को हत्या होने के उपरान्त पहली बार अस्पताल में देखा था। गोली लगने के उपरान्त मेरी शिवा से कोई बातचीत नहीं हुई।

इस साक्षी के बयानों से भी यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय यह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। इसे घटना के सम्बन्ध में जो भी जानकारी है वह अनूप एवं राजा के बताने के आधार पर है। इस साक्षी का स्पष्ट कथन है कि उसके द्वारा किसी भी अभियुक्त को अपने भाई शिवा की हत्या करते हुए नहीं देखा गया है। इस साक्षी का यह भी कथन है कि उसने घटना कारित होने के उपरान्त पहली बार शिवा को अस्पताल में देखा था और गोली लगने के उपरान्त शिवा की उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी।

अतः ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयानों से भी अभियुक्त शीलू की घटना में किसी

प्रकार की संलिप्तता साबित नहीं होती है।

अतः इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

पी.डब्लू. 7 विक्की, जो पुलिस को सूचना देने वाला व्यक्ति है, द्वारा कथन किया गया है कि घटना के सम्बन्ध में मैनें फोन से दरोगा जी से बात की थी। शिवा की हत्या के सम्बन्ध में मेरे परिवारवालों ने मुकदमा लिखाया था। उसमें मुल्जिमानों के नाम भी लिखवाये थे। मेरे परिजनों से मुझे मालूम पड़ा कि अजय, सुशील, अनिल यादव, सुरेश उर्फ बच्चा, अनुज सनी, प्रदीप में से पहली गोली अजय ने मारी थी, दूसरी गोली सुशील ने, तीसरी अनिल यादव ने और बच्चा उर्फ सुरेश ने कहा कि बचके न जाने पाये तो इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैनें दरोगा जी को अपने तरफ से फोन किया था। मुल्जिमान की गिरफ़्तारी के लिए फोन किया था और किसी काम के लिए फोन नहीं किया था। मैनें अपना बयान देने के लिए फोन नहीं किया था। मैनें कोई घटना नहीं देखी। मैनें अपने परिजनों के बताये अनुसार बयान दिया है, जो मेरे परिजनों ने मुझे बताया था, उसी के अनुसार मैनें रूबरू बयान दिया है।

इस तरह से इस साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय यह साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और इसके द्वारा कोई घटना नहीं देखी गयी है। घटना के सम्बन्ध में इसे जो भी जानकारी है वह अपने परिजनों के बताने के आधार पर है।

इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से भी अभियुक्त शीलू की घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थिति एवं घटना में संलिप्तता साबित नहीं होता है।

अतः इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

पी.डब्लू. 8 शाहिद, जो घटनास्थल के पास का दुकानदार है, द्वारा कथन किया गया है कि मेरी दुकान मोहल्ला रकाबगंज में चाट पकौड़ी व मिठाई की है। दुकान पर मैं व मेरा बेटा साजिद बैठते हैं। घटना वाले दिन, जिस दिन शिवा गिहार की हत्या हुई थी, उस दिन मैं अपनी दुकान पर नहीं बैठा था, मेरा पुत्र साजिद बैठा था। दुकान खोलने के बाद मैं नमाज पढ़ने के लिए लगभग 01:30 बजे दुकान से चला जाता हूं, उस समय दुकान पर मेरा पुत्र बैठता है। मुझे समय याद नहीं है लेकिन घटना होने के बाद मैं दुकान पर आया था। जब मैं दुकान पर आया तो उस समय मेरा लड़का दुकान बन्द करके जा चुका था और वहाँ पर जनता के काफी लोग थे व पुलिस आ चुकी थी। घटना के समय मुझे यह जानकारी नहीं हो पाई कि शिवा की हत्या किसने की। घटनास्थल से मैं जब अपने घर आया, तब मैनें अपने लड़के साजिद से पूछा कि हत्या करने वाले कौन–कौन लोग थे, तब साजिद ने मुझे यह बताया कि फायरों की आवाज सुनकर मैं दुकान के अन्दर घुस गया था और मारने वालों को मैं नहीं देख पाया था। जब मैं दुकान के बाहर निकला तब शिवा की लाश पड़ी थी और मारने वाले मौजूद नहीं थे। घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि मै अभियुक्तगण अनिल यादव, शीलू

यादव व प्रवीन उर्फ नन्हें को नहीं जानता हूँ। मै शाम के समय दुकान पर वापस पहुँचा था, मुझे दुकान के आस पास के लोगों ने नहीं बताया था कि किन लोगों ने घटना कारित की थी। मेरे लड़के से मेरी मुलाकात रात में घर पर हुई थी। उसने भी मुझे शिवा की हत्या करने वाले किसी मुल्जिम का नाम नहीं बताया था और न ही किसी मुल्जिम को स्वयं देखना बताया था।

इस साक्षी के बयानों से स्पष्ट है कि घटना के समय यह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और इसके द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना नहीं देखी गयी है। घटना के सम्बन्ध में इसे जो भी जानकारी है वह अपने पुत्र साजिद के बताने के आधार पर है। इस साक्षी के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि यह अभियुक्त शीलू यादव को नहीं जानता है और उसे किसी ने भी हत्या कारित करने वालों में किसी मुल्जिम का नाम नहीं बताया था।

इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से भी अभियुक्त शीलू की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित नहीं होती है।

अतः इस साक्षी के बयानों से अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

45. **पी.डब्लू. 12 साजिद**, जो घटनास्थल के पास का दुकानदार है, द्वारा कथन किया गया है कि सितम्बर 2021 में मैं एवं मेरा भाई दुकान पर बैठते थे। दिनांक 27–09–2021 को दुकान पर शाम के समय लगभग 08:00 बजे तक मैं बैठता था। जिस समय शिवा की हत्या हुई, उस समय मैं दुकान पर नहीं बैठा था। इस साक्षी द्वारा अपने शपथपत्र दिनांकित 15–01–2022 **प्रदर्श क–23** को साबित किया गया है।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि जिस समय गोली चली थी, उस समय मै दुकान पर ही बैठा था। दुकान के सामने मेरी कोई केबिन नहीं है। फायर किस दिशा से हुए थे, मै नहीं देख पाया था। मै दुकान के अन्दर जाकर छिप गया था। मै दुकान में कितनी देर छिपा रहा। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही मै अपनी तरफ से पुलिस से मिला था।

इस साक्षी के बयान परस्पर विरोधाभासी है। इस साक्षी के बयानों से स्पष्ट है कि यह घटना के समय अपनी दुकान पर था, किन्तु जब फायरिंग आरम्भ हुई, तब यह डर के कारण दुकान के अन्दर जाकर छिप गया था और इस साक्षी द्वारा किसी भी अभियुक्त को घटना कारित करते हुए नहीं देखा गया है।

इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

पी.डब्लू. 13 अनिल कुमार राठौर, जो घटनास्थल के पास का दुकानदार है, द्वारा कथन किया गया है कि मेरी दुकान मोहल्ला रकाबगंज से तहसील चिलसरा रोड़ पर है। मैं शिवा गिहार को नहीं जानता हूं। उसकी हत्या दिनांक 27–09–2021 को शाम 04:00 बजे के आस–पास होना सुना था। उस दिन मैनें दुकान बिल्कुल नहीं खोली थी और न ही मैं अपनी

दुकान के पास किसी भी समय गया था इसलिए मैनें किसी की हत्या होते हुए नहीं देखी थी। शिवा की हत्या की बावत पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी और मैनें केवल अपना नाम पता बताया था। मैनें शिवा की हत्या करने वालों के नाम पुलिस को नहीं बताये थे। इस साक्षी द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांकित 15.01.2022 **प्रदर्श क–24** को साबित किया गया है।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि दिनांक 27.09.2021 को लन्च के पहले मै अपने घर पर था और लन्च के बाद बारह बजे मै अपने गैस का चूल्हा ठीक कराने घूमना बाजार गया था। मै शिवा गिहार को नहीं जानता। मैने आज तक शिवा गिहार को कभी नहीं देखा। मुझे यह नहीं पता शिवा गिहार किस दिन मरा। शिवा गिहार के पिता का नाम क्या है, मै नहीं जानता। मै कभी भी शिवा गिहार व उसके पिता से कभी नहीं मिला।

इस साक्षी के बयानों से भी यह स्पष्ट होता है कि वह घटना के समय अपनी दुकान पर नहीं था और उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित होते हुए नहीं देखी गयी है। इस साक्षी के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि वह शिवा गिहार या उसके परिवार को नहीं जानता है।

इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

46. **पी.डब्लू. 21 राकेश कुमार**, जो पंचायतनामा गवाह है, द्वारा कथन किया गया है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं केवल अपना हस्ताक्षर बना पाता हूँ। मेरी परचून की दुकान घर पर ही मोहल्ला अमीन खां में है। मेरी दुकान पर मृतक शिवा गिहार व उसके पिता सुभाष गिहार का दुकान पर सौदा लेने के कारण आना जाना रहता था इसलिए मैं शिवा गिहार और सुभाष गिहार को जानता था। शिवा गिहार की हत्या की जानकारी होने पर मैं दिनांक 28.09.2021 को राममनोहर लोहिया अस्पताल, फर्रुखाबाद में देखने के लिये सुबह गया था। उस समय शिवा गिहार का पंचायतनामा भरा जा रहा था। पंचायतनामा भरने के बाद मैंने भी अपने पंचायतनामा पर हस्ताक्षर किये थे। शिवा गिहार की मृत्यु गोली लगने से हुई थी।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया गया है कि जब मै लोहिया अस्पताल पहुँचा था तो शव सील अवस्था में रखा हुआ था। मेरे सामने सील शव को किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा था। मै यह भी नहीं बता सकता कि शील शव शिवा गिहार का ही था या किसी अन्य व्यक्ति का था। मैनें दरोगा जी के कहने पर पंचायतनामा पर जहाँ बताया वहाँ हस्ताक्षर कर दिये थे। मुझे नहीं मालूम कि पंचायतनामा में दरोगा जी ने क्या क्या लिखाया था। मेरे सामने किसी भी पंचान ने पंचायतनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। यह कहना गलत है कि शिवा गिहार के घरवालों के कहने व बुलाने पर मैनें पंचायतनामा पर पंचान की औपचारिकता पूर्ण की।

इस साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी पंचायतनामा का गवाह है। जिसके पुलिस द्वारा मृतक शिवा के शव का पंचायतनामा भरने के पश्चात उसके हस्ताक्षर करवाये गये थे। घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। इसके द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना

नहीं देखी गयी है।

पी.डब्लू. 22 सूरज गिहार, जो पंचायतनामा गवाह है, द्वारा कथन किया गया है कि मैं कक्षा 3 तक पढ़ा हूँ। शिवा गिहार की हत्या आज से लगभग साढे तीन साल पहले टाउनहॉल के पास चुंगी के पास हुई थी। किस समय हुई थी यह मुझे नहीं मालूम। हत्या की सूचना पर मैं लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद शाम को उसी दिन गया था वहाँ पर मैंने शिवा की लाश को पहचाना था और शिवा की लाश का पंचायातनामा दूसरे दिन सुबह हुआ था। पंचायतनामा की लिखा पढ़ी के बाद मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। शिवा की हत्या किसने की मुझे उनके नाम नहीं मालूम क्योंकि मैं मौके पर मौजूद नहीं था।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मै लोहिया अस्पताल घटना के अगले दिन सुबह 09.30 बजे गया था, फिर कहा कि 09.30 बजे शाम को गया था। दरोगा जी ने साइन कराये थे और यह कहा था कि पहचानों शिवा की लाश है। शिवा की लाश की पहचान मुझसे पोस्टमार्टम हाऊस में करायी थी और वहीं पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। पंचनामा पर किन–किन के हस्ताक्षर कराये गये, मुझे नहीं मालूम। मुझे पंचायतनामा पर हस्ताक्षर करने के अलावा मुकदमा के सम्बन्ध में और कोई जानकारी नहीं है। शिवा रिश्ते में मेरा सगा भतीजा था, जो मेरे छोटे भाई सुभाष का लड़का है।

यह साक्षी भी पंचायतनामा का गवाह है। इस साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि यह घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और इसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मृतक शिवा की किसने हत्या कारित की है।

47. **पी.डब्लू. 23 दीपक**, जो शाहीद एवं अनिल कुमार राठौर की दुकान के पास का दुकानदार है, द्वारा कथन किया गया है कि जिस समय घटना घटित हुई थी। यह बात वर्ष 2021 की है। उस समय मेरी दुकान किराने की थी और मेरी दुकान के 20–25 कदम की दूरी पर अनिल राठौर व शाहिद की दुकान थी। दिनांक 27.09.2021 को मेरे मौसा जी की मृत्यु हो गयी थी उनके अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिए मै व मेरे पापा कन्नौज गये थे। अगले दिन जब दुकान पर आया तब मुझे जानकारी हुई कि शिवा गिहार नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। यह घटना अनिल राठौर व शाहिद के दुकान के पास की है। इन्हीं लोगों की दुकान पर चर्चा की थी कि अनिल यादव व इनके लड़को ने शिवा गिहार की गोली मारकर हत्या कर दी है। अन्य किसी के नाम मैनें नहीं सुने थे। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन जब मैनें दुकान खोली थी, मुझसे पूछताछ की थी। जो मुझे जानकारी थी वह मैनें बता दिया था।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि घटनास्थल से मेरी दुकान 25–30 कदम दूरी पर है। मैनें अपनी आंखों से शिवा की हत्या होते नहीं देखी। कथित घटना वाले दिन मेरी दुकान बन्द थी। मै दिनांक 27.09.2021 को कन्नौज गया था। मेरे मौसा कन्नौज में दिनांक 26.09.2021 की रात में छत से गिरकर मर गये थे। गमी में शामिल होने के लिए मै व मेरे

माता–पिता व पूरा परिवार गया था। मै दिनांक 28.09.2021 को शाम के समय वापस अपने घर आया था। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि अनिल, शीलू व नन्हें ने शिवा गिहार की हत्या कर दी।

इस साक्षी के बयानों से भी यह स्पष्ट है कि यह घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, वरन् अपने मौसा जी के अन्तिम संस्कार में सपरिवार जनपद कन्नौज गया हुआ था। इस साक्षी को भी इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि मृतक शिवा की हत्या किसके द्वारा कारित की गयी है।

अतः इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्य के साक्षीगण के बयानों से यह साबित नहीं होता है कि घटना वाले दिन अभियुक्त शीलू अन्य अभियुक्तगण के साथ घटनास्थल पर उपस्थित था और उसके द्वारा मृतक शिवा की गोली मारकर हत्या कारित की गयी है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से अभियुक्त शीलू यादव की मृतक शिवा की हत्या करने में संलिप्तता किसी भी रूप में साबित नहीं होती है।

48. **पी.डब्लू. 9 उ.नि. पंकज कुमार,** द्वारा मु.अ.सं. 427/2021 में मृतक शिवा के शव के पंचायतनामें की कार्यवाही की गयी। इस साक्षी द्वारा मृतक शिवा के पंचायतनामा की कार्यवाही डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में की गयी तथा नियमानुसार पंचायतनामा प्रदर्श क–7 तैयार किया गया।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि शव का चालान नाश तैयार किये जाते समय तक मुझे यह ज्ञात नहीं था कि मृतक की मृत्यु किस समय हुई इसलिए मैनें चालान नाश में मृत्यु का समय अंकित नहीं किया है। शव को हेड क्वार्टर के लिए दिनांक 28.09.2021 को प्रातः आठ बजे भेजा गया था।

राय पंचान तैयार किये जाते समय किसी भी मुल्जिम के नाम मृतक के घरवालों ने नहीं बताये थे।

पंचायतनामा प्रदर्श क–7 के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 28.09.2021 को प्रातः आठ बजे मृतक शिवा के शव के पंचायतनामें की कार्यवाही पूर्ण की गयी। राय पंचान में यह अंकित है कि मृतक शिवा की मृत्यु गोली लगने से होना प्रतीत होती है। उ.नि. की राय भी पंचान की राय से मेल खाती है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि मृतक शिवा की मृत्यु गोली लगने से हुई है और इस साक्षी द्वारा मृतक शिवा के शव की पंचायतनामें की कार्यवाही की गयी है।

49. **पी.डब्लू. 4 डा० मो० अलीम अन्सारी,** द्वारा दिनांक 28–09–2021 को डॉ०

अभिषेक कुमार के साथ मृतक शिवा के शव का पोस्टमार्टम समय करीब 3:00 पी.एम. पर प्रारम्भ किया गया था तथा शव–विच्छेदन समय 04:10 पी.एम. पर पूर्ण किया गया था।

<u>बाह्य परीक्षणः–</u>

मृतक अच्छी कद–काठी का था। आंखे व मुंह बन्द था। मृतक के पूरे शरीर पर सूखा व जमा हुआ खून मौजूद था। पेट हल्का फूला हुआ था। पी.एम. स्टेनिंग पीछे की तरफ मौजूद थी। अकड़न (रिगर मोर्टिस) दोनों ऊपरी भुजा से निकली हुई थी। अकड़न पैरों में मौजूद थी। खाल जगह–जगह से उखड़ी हुई थी।

<u>आंतरिक परीक्षण (मृत्यु पूर्व चोटें)–</u>

1. गोली घुसने (आग्नेयास्त्र) का घाव 1.5 cm x 1 cm जो सीधी–सीधा आर पार है, सर के दाहिने तरफ पैराइटल एरिया से होती हुई सर के बाई तरफ से निकली बाईं भौंह के बाहरी हिस्से के पीछे से जिसका एरिया 2 cm x 1.5 cm जिसका किनारा बाहर की तरफ एवं फटा हुआ था। जिसका विच्छेदन करने पर दांई टेम्पोरल पेराइटल एण्ड बाईं टेम्पोरल एवं फ्रंटल हड्डियां टूटी हुई। मस्तिष्क एवं मस्तिष्क की झिल्लियां फटी हुई थी। गोली घुसने की दिशा दाहिने से बाये की तरफ एवं आगे की तरफ थी। एक धातु का टुकड़ा मसल्स के किनारे से प्राप्त हुआ।

2. आग्नेयास्त्र की चोट गोली घुसने का घाव 2cm x 1.5 cm जो दाहिनी साइड की गर्दन से नीचे की तरफ एवं घाव के किनारे अंदर की तरफ मुड़े व फटे हुए है। जिन पर कालिमा व झुलसन मौजूद है। (ब्लैकनिंग एवं टैटूइंग) जो कि 7 x 5 cm में मौजूद है। इसका विच्छेदन करने पर गर्दन की मांसपेशियां, वेसल्स (नाड़ियां) ट्रेकियलरिंग फटी हुई थी एवं गर्दन की बाईं तरफ व पीछे की मासपेशियों से एक बुलेट प्राप्त हुई जिसकी दिशा दाईं से बाईं थोड़ा पीछे की तरफ थी।

3. आग्नेयास्त्र का नालीनुमा घाव जिसकी माप 9cm x 1cm x मांस तक गहरा इन्टेरोलेटरल जो बाईं तरफ गर्दन के मध्य भाग में था।

4. आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव जो माप में 1.5 cm x छाती की गुहा तक गहरा था, जो इंटीरियल एक्सीलेटरल फील्ड से 8cm नीचे या जिसका किनारा अन्दर की ओर मुड़ा हुआ और फटा हुआ था। नीलुआ व काला या विच्छेदन करने पर दोनों तरफ के फेफड़े एवं उनकी झिल्लियां फटी हुई थी। चेस्ट कैविटी खून से भरी हुई थी। चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड से एक बुलेट प्राप्त हुई, जिसकी दिशा दाहिने से बाई थी।

5. आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव जिसकी माप 1.5 x 1 cm आर–पार दायीं कोहनी के बाहरी हिस्से में भी जिसका किनारा अन्दर की तरफ फटा हुआ एवं काला था। आग्नेयास्त्र के बाहर जाने का घाव जो उक्त चोट से जुड़ा हुआ था। जिसकी माप 2 x 1.5 cm दाहिनी निचली भुजा के अन्दर की तरफ जिसका किनारा बाहर की तरफ फटे हुए थे। जिसकी दिशा दायी से बायीं ओर ऊपर की तरफ।

6. आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव जिसकी माप 1 x 1 cm आर–पार नाभि के नीचे जिसका

किनारा अन्दर की तरफ फटा हुआ व काला था। यह चोट बाहर आने की माप 4 x 1 cm जो पीठ के निचले हिस्से में बांई तरफ मौजूद था, जिसका किनारा बाहर की तरफ फटे हुए थे।

7. आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव जिसकी माप 1.5 x 1 सेमी. लेफ्ट पोसटीरियों लेटरल एसपेक्ट पेट के निचले भाग पर जिसका किनारा अन्दर की तरफ फटे हुए एवं नीलुए यह चोट बाहर की तरफ एक ही क्रम में जिसका माप 3 x 1.5 cm पीठ के निचले हिस्से पर दाहिनी तरफ मौजूद थी। जिसका किनारा बाहर की तरफ मुड़े हुए व फटे हुए थे।

नोट – एक सील्ड लिफाफे में पोस्टमार्टम के समय प्राप्त शव से दो बुलेट एवं एक धातु के टुकड़े को रखकर सील किया गया था।

चिकित्सक की राय में मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय लगभग एक दिन था तथा मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव व सदमा है, जो मृत्यु से पूर्व आग्नेयास्त्र की चोटों से है।

इस साक्षी द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–4 को साबित किया गया है।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि पी.एम. दिनांक 28.09.2021 का है। यह सितम्बर माह का आखिरी समय है। इस समय हल्का जाड़ा शुरू हो जाता है। मृतक के शरीर से आर.एम. मौसम के अनुसार निकलता व रूकता है। गर्मियों में आर.एम. जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाता है। जाड़े या सामान्य मौसम में यह धीरे–धीरे पास होता है। इस केस में आर.एम. लोअर लिम्ब में मौजूद पाया गया। लोअर लिम्ब में आर.एम. मौजूद है। इस स्थिति में स्किन पीलिंग नहीं होगी, परन्तु इस केस में स्किन पीलिंग हो चुकी है। इस स्थिति में मृतक की मृत्यु का समय आकंलित समय से अधिक होना सम्भव है।

इस प्रकार उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतक शिवा की मृत्यु दिनांक 27.09.2021 को आग्नेयास्त्र की चोटों से हुई है।

50. **पी.डब्लू. 19 महेश कुमार यादव**, जो घटना में प्रयुक्त आला–कत्ल का परीक्षण करने वाले विश्लेषक है। जिनके द्वारा विवादित एवं परीक्षणार्थ कारतूसों एवं बुलेट का मिलान तुलनात्मक सूक्ष्मदर्थी यन्त्र द्वारा करके निम्नलिखित अभिमत निर्धारित किए गए –

विवादित 315 बोर देशी पिस्तौलों चिन्हित 1/25, 2/25 व 3/25 की नालों में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइड, लेड एवं कापर की उपस्थिति पायी गई। विवादित 315 बोर खोखा कारतूस चिन्हित EC–1, EC–2 व EC–4 विवादित देशी पिस्तौल 1/25 बनाम अनिल यादव द्वारा चलाये गये हैं।

विवादित 315 बोर खोखा कारतूस EC–3 विवादित 315 बोर पिस्तौलों 1/25 बनाम अनिल यादव व 3/25 बनाम शीलू यादव के द्वारा नहीं चला है जबकि यह कारतूस EC–3 विवादित देशी पिस्तोल चिन्हित 2/25 बनाम प्रवीण उर्फ नन्हें यादव से तुलना करने पर व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है।

विवादित 315 बोर कारतूस चिन्हित EC–5, EC–6 व EC–7 315 बोर देशी पिस्तोलों

चिन्हित 1/25, 2/25, 3/25 से तुलना करके अभिमत निर्धारित करने हेतु परक्यूशन कैप की अनुपस्थिति होने के कारण तुलना नहीं हो सकी। विवादित 315 बोर बुलेट चिन्हित EB–1, EB–2, EB–3, EB–4, EB–5 व EB–6 पर उपयुक्त 315 बोर पिस्तोलों चिन्हित 1/25 व 3/25 से तुलना करके निश्चित अभिमत निर्धारित करने हेतु व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है। क्योंकि देशी पिस्तोलों की नालों का व्यास अधिक होने के कारण सामान्यतः पर्याप्त Character नहीं आ पाते है।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया कि EB–5, EB–6 खोखा कारतूसों चिन्हित EC–1, EC–2, EC–4 के लोड के भाग हो सकते है, किन्तु वैज्ञानिक विधि से इस सम्बन्ध में निश्चित मत देना सम्भव नहीं है। EC–3 पर देशी पिस्टल चिन्हिंत 2/25 से तुलनार्थ व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं पायी गयी। ये कारतूस इसके द्वारा चला हुआ हो भी सकता है और नहीं भी। EC–5, EC–6 व EC–7 पर तुलनार्थ चिन्हों का अभाव है, जिसके कारण इसके सन्दर्भ में कोई मत देना सम्भव नहीं है। EB–1 लगायत EB–6 पर उपरोक्त पिस्तोलों चिन्हिंत 1/25, 3/25 से तुलना करने हेतु व्यक्तिगत विशेषताए नहीं पायी गयी। इसलिए मै निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि उपरोक्त EB–1 लगायत EB–6 उपरोक्त देशी पिस्तौलों चिन्हिंत 1/25, 3/25 फायर हुए थे या नहीं।

आगे कथन किया कि विवादित कारतूस चिन्हित EC–3 देशी पिस्टल चिन्हिंत 1/25 व 3/25 द्वारा नहीं चला है। विवादित कारतूस चिन्हिंत EC–5, EC–6 व EC–7 पर देशी पिस्तौलों चिन्हिंत 1/25, 2/25 व 3/25 से तुलना करके अभिमत निर्धारित करने हेतु तुलनार्थ चिन्हों का अभाव है। अतः इनका देशी पिस्तौलों से चले होने के सम्बन्ध में निश्चित अभिमत देना सम्भव नहीं है। विवादित बुलेट चिन्हित EB–1 से EB–6 तक देशी पिस्तौल चिन्हित 1/25 व 3/25 द्वारा चला हुआ हो सकता है, किन्तु इस सम्बन्ध में निश्चित अभिमत देना सम्भव नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी के बयानों से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त शीलू यादव से बरामद तमन्चा चिन्हित 3/25 का प्रयोग घटना के समय घटना कारित में किया गया है या नहीं। दूसरी ओर तथ्य के साक्षीगण के बयानों से यह साबित हो चुका है कि अभियुक्त शीलू यादव घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था।

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विश्लेषक साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

51. **पी.डब्लू. 18 क्षेत्राधिकारी नितेश कुमार**, मु.अ.सं. 427/2021 के प्रथम विवेचक है। जिनके द्वारा अपनी विवेचना में अपने लिंक अधिकारी अजय कुमार शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी विवेचना का अवलोकन किया गया। दौरान विवेचना इस साक्षी को यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि घटना में अनिल यादव के पुत्र शीलू व प्रवीन उर्फ नन्हें भी शामिल है। इस साक्षी द्वारा विवेचना

के दौरान अन्य कार्यवाही भी की गयी।

पी.डब्लू. 14 क्षेत्राधिकारी अजेय कुमार शर्मा, जो मु.अ.सं. 427/2021 के द्वितीय विवेचक है, जिनके द्वारा अपनी विवेचना के दौरान वादिनी की निशानदेही पर घटनास्थल की नक्शा नजरी प्रदर्श क–25 तैयार किया गया व विवेचना के दौरान अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी।

पी.डब्लू. 15 क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह, जो मु.अ.सं. 427/2021 के तृतीय विवेचक है, जिनके द्वारा अपनी विवेचना के दौरान अभियोग में नामित व प्रकाश में आये अभियुक्तगण के मोबाइल नम्बर की सी.डी.आर. प्राप्त की गयी। सी.डी.आर. का अवलोकन करने पर शीलू पुत्र अनिल यादव के मोबाइल नम्बर 9316330669 व प्रवीन उर्फ नन्हे के मोबाइल नम्बर 7860484211 व अनिल यादव के मोबाइल नम्बर 9198097260 की लोकेशन दिनांक 27.09.2021 समय चार बजे के लगभग लोकेशन व वार्ता एवं उपस्थिति घटनास्थल पर होना पायी गयी।

इस साक्षी द्वारा अपनी विवेचना के दौरान अभियुक्त शीलू यादव की पुलिस कस्टडी रिमाण्ड आदेश दिनांक 04.12.2021 को सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त किया गय। उक्त रिमाण्ड दिनांक 05.12.2021 को समय 11 ए.एम. से 5 बजे तक कुल छः घण्टे का स्वीकार किया गया।

इस साक्षी द्वारा मौके पर ही बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–26 तैयार किया गया। अपनी विवेचना के दौरान इस साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण सुरेश, सोनू, अनुज, अजय, शनि, सुशील व प्रदीप की मौजूदगी घटनास्थल पर मोबाइल लोकेशन के अनुसार गलत पायी गयी। विवेचना के उपरान्त इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण शीलू यादव, प्रवीन उर्फ नन्हें यादव व अनिय यादव के विरूद्ध प्रथम दृष्टया संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा 302/34 भा.दं.सं. व धारा 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र प्रदर्श क–27 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैनें घटनास्थल के आस–पास अभियुक्त अनिल यादव एवं शीलू व प्रवीऩ उर्फ नन्हें के मोबाइल फोन की सी.डी.आर. का अवलोकन किया था। अभियुक्त अनिल यादव, शीलू व प्रवीऩ उर्फ नन्हें के मोबाइल फोन की उपस्थिति घटनास्थल पर पायी गयी थी। शीलू व प्रवीन, अनिल यादव के लड़के है और तीनों लोग एक साथ रहते है। आगे यह भी कथन किया कि यह सही है कि अभियुक्त अनिल यादव, प्रवीन उर्फ नन्हें व शीलू के मध्य 16.28.08 बजे से लेकर 16.39.45 बजे के बीच बातचीत हुई है। इससे पहले उक्त अभियुक्तों के मध्य कोई बातचीत का विवरण सी.डी.आर. में अंकित नहीं है। यह सही है कि सबकी लोकेशन एक ही सेल टावर व सेल आई.डी. की है। FIR के अनुसार घटना दिनांक 27.09.2021 समय चार बजे शाम की है। वादिनी द्वारा भी अपने बयान में घटना समय चार बजे शाम की बतायी गयी है। सी.डी.आर. के अनुसार मुल्जिमों के बीच

बातचीत होने का समय चार बजे बाद का है। चार बजे शाम के पहले मुल्जिमों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मेरे द्वारा वादिनी से देर से FIR होने के बाबत कोई पूछताछ नहीं की गयी। यह सही है कि वादिनी द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान में कही भी अभियुक्तगण प्रवीण उर्फ नन्हे व शीलू की घटना कारित करने में संलिप्तता अथवा घटना कारित करने के बाबत कोई बात नहीं बतायी।

उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा अभियुक्त शीलू की उपरोक्त घटना में घटनास्थल पर उपस्थिति उसके मोबाइल की सी.डी.आर. लोकेशन के आधार पर मानी गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विश्वसनीय साक्ष्य विवेचक को विवेचना के दौरान प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रस्तुत मामलें में यह भी उल्लेखनीय है कि मुकदमा वादिनी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त शीलू यादव के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी है। इसके अतिरिक्त घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण पी.डब्लू. 2 राजा एवं पी.डब्लू. 3 अनूप द्वारा भी घटना कारित करने वालों में शीलू यादव का नाम नहीं बताया गया है। उपरोक्त साक्षीगण का स्पष्ट कथन है कि घटना के समय घटनास्थल पर उपरोक्त अभियुक्त शीलू अन्य अभियुक्तगण के साथ उपस्थित नहीं था। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य तथ्य के साक्षीगण द्वारा घटना कारित करने वालों में अभियुक्त शीलू का नाम नहीं लिया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में मात्र सी.डी.आर. लोकेशन के आधार पर अभियुक्त शीलू की घटना में संलिप्तता नहीं मानी जा सकती है।

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त साक्षीगण के बयानों से अभियोजन कथानक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

52. **पी.डब्लू. 5 हे०कां० विमलेश सिंह,** जो मु.अ.सं. 427/2021 का चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक है, द्वारा कथन किया गया कि दिनांक 28–09–2021 को वादिनी मुकदमा शारदा की लिखित तहरीर के आधार पर मैनें मु०अ०सं० 427/12021, धारा 147, 148, 149, 302, 120B भा०दं०सं० व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट बनाम अजय व सात अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया, जिसका खुलासा मैनें जी०डी० रपट कायमी मुकदमा सं० 19 समय 03:09 बजे दिनांक 28–09–2021 में किया। चिक रिपोर्ट को मैनें तहरीर के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर से शब्द व शब्द बोल–बोल कर अंकित कराई थी।

इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि वादिनी ने जो तहरीर मुकदमा कायमी के लिए थाने में दी थी उसमें प्रवीन उर्फ नन्हें व शीलू का नाम नहीं था।

उपरोक्त साक्षी औपचारिक प्रकृति का है, उसके बयानों से मात्र यह स्पष्ट होता है कि वादिनी की तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 427/2021, अजय व सात अन्य के विरूद्ध दिनांक 28.09.2021 को समय 03.09 बजे सम्बन्धित थाने पर दर्ज हुआ था तथा नामजद अभियुक्तों में अभियुक्त शीलू का नाम नहीं था।

इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई विशेष बल प्राप्त नहीं होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है कि अभियुक्त शीलू यादव द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 27.09.2021 को समय सायं चार बजे के लगभग तमन्चे से गोली मारकर मृतक शिवा की हत्या कारित की गयी।

अभियोजन पर यह दायित्व होता है कि वह अपने मामलें को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, किन्तु प्रस्तुत मामला मु.अ.सं. 427/2021, अन्तर्गत धारा 302/34 व धारा 3(2)(V) SC/ST Act में अभियोजन ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे इस मामलें में अभियुक्त शीलू यादव की संलिप्तता साबित होती हो। अतः अभियोजन उपरोक्त मामलें को सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है। अतः अभियुक्त शीलू यादव उपरोक्त मामलें में सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

पी.डब्लू. 16 उ.नि. शिवशंकर प्रसाद तिवारी, जो मु.अ.सं. 525/2021, धारा 3/25 आयुध अधिनियम का वादीमुकदमा है, द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 05–12–2021 को मैं थाना मउदरवाजा में बतौर चौकी प्रभारी बीवीगंज में 147, 148, 149, 302, 120BIPC व U/s 3(2) (V) SC/ST Act बनाम अजय आदि की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी। विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त शीलू यादव द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था। अभियुक्त के बयान विवेचक द्वारा न्यायालय की अनुमति से जिला कारागार फतेहगढ में लिए गये थे। अभियुक्त ने अपने जुर्म इकबाल करते हुए आला कत्ल बरामद कराने का बयान दिया था। विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय से अभियुक्त शीलू की पीसीआर का आदेश प्राप्त किया था। उक्त आदेश के क्रम में दिनांक 05–12–2021 को मैं एवं उपनिरीक्षक मुनीर खाँ, कॉ० सुधांशु व जीप चालक मन्जेश कुमार के साथ जिला कारागार फतेहगढ आया। विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा जिला कारागार फतेहगढ बुलाया गया था। क्षेत्राधिकारी नगर जिला कारागार फतेहगढ के बाहर मौजूद मिले। न्यायालय के आदेशानुसार जिला कारागार में अन्दर दाखिल हुए तथा न्यायालय के आदेश से अवगत कराते हुए अभियुक्त शीलू को न्यायिक हिरासत में लिया गया। अभियुक्त शीलू का चिकित्सीय परीक्षण जिला कारागार के अन्दर ही कराकर विवेचक को हिरासत में दिया गया था। अभियुक्त शीलू को जिला कारागार फतेहगढ से लेकर थाना मउदरवाजा आया। अभियुक्त को रपट नं० 38 समय 12:44 दिनांक 05–12–2021 को दाखिल किया गया। अभियुक्त से पुनः पूछताछ करने के बाद उसके बताये स्थान के लिए मैं, विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर, उपनिरीक्षक मुनीर खाँ, कॉ० सुधांशु व जीप चालक मन्जेश कुमार एवं अभियुक्त शीलू यादव के साथ चल दिये थे। बताये स्थान संतोष बिजली की दुकान से तीस कदम पहले जीप रूकवा दी। और जीप से उतरकर आगे–आगे चलकर रामभरोसे के सब्जी के खेत व सडक के बीच में खडी झांडियों व खडें नीम के पेड के बीच में खुदी हुयी पडी मिटटी को

स्वयं हाथ से हटाकर एक पालीथीन में लिपटा तमंचा व कारतूस निकालकर समय करीब 13:15 बजे निकालकर दिया। पालीथीन को खोलने पर उसके अन्दर से एक अदद तमंचा 315 बोर जो चालू हालत में है जिसका हुलिया फर्द के मुताबिक है व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। अभियुक्त शीलू द्वारा बताया गया कि मैनें शिवा गिहार की गोली मारकर हत्या की और शिवा को मेरे पिता अनिल यादव व अपने छोटे भाई प्रवीन उर्फ नन्हें के साथ मिलकर हत्या की थी। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आला कत्ल तमंचा 315 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर को एक कपडे में रखकर मौके पर ही सील मोहर सर्व किया गया तथा फर्द को मुझ उपनिरीक्षक द्वारा बोल–बोलकर उपनिरीक्षक मुनीर खाँ द्वारा मौके पर ही तैयार की गयी थी तथा मौके पर ही अभियुक्त को पढ़कर सुनाकर उसके हस्ताक्षर बनवाये थे तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी थी तथा मैनें व अपने हमराह SI मुनीर खां, कॉ० सुधाशु चौहान के हस्ताक्षर करवाये थे। इस साक्षी द्वारा फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–28** को साबित किया गया।

इस साक्षी द्वारा बरामदशुदा आला कत्ल तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर सील सर्व मोहर मय अभियक्त के थाना मउदरवाजा में दाखिल किया था तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/25 Arms Act का मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त का मेडिकल कराकर न्यायालय के आदेशानुसार जिला कारागार फतेहगढ में दाखिल किया गया था। इस साक्षी द्वारा बरामदशुदा माल तमंचा को **वस्तु प्रदर्श– 1,** पॉलीथीन को **वस्तु प्रदर्श– 2,** लिफाफे के अन्दर से निकले खोखा कारतूस 315 बोर TC–5 व TC–6 को **वस्तु प्रदर्श –3** व अन्दर से निकले दोनो बुलेट को **वस्तु प्रदर्श– 4** के रूप में साबित किया गया है।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मु.अ.सं. 525/21 मेरे द्वारा थाना मऊदरवाजा में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कायम कराया गया था। इसकी चिक मेरे द्वारा बोल–बोलकर टाइप करायी गयी थी। फर्द बरामदगी उ.नि. मुनीर खान से बोल–बोलकर लिखायी थी। फर्द बरामदगी में कां. मंजेश नाम का कोई गवाह नहीं है और न ही उसके हस्ताक्षर फर्द प्रदर्श क –28 में है तथा आगे कथन किया कि बरामदगी से लेकर वापस आने में दाखिले तक अभियुक्त शीलू बराबर मेरी अभिरक्षा में रहा। मैनें मौके पर फर्द बरामदगी की नकल अभियुक्त शीलू को दी थी। मैनें विवेचक को मौका दिखाया था और विवेचक ने मेरी निशानदेही पर बरामदगीस्थल का नक्शा बनाया था।

फर्द बरामदगी आला कत्ल प्रदर्श क–28 के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 05.12.2021 को पुलिस बल द्वारा जिला कारागार, फतेहगढ़ से अभियुक्त को 12.44 बजे हिरासत में लेकर जीप द्वारा आला कत्ल की बरामदगी हेतु रवाना हुआ गया, तत्पश्चात अभियुक्त ने सन्तोष बिजली दुकान से तीस कदम पहले दाहिनी तरफ जीप रूकवा दी और जीप से उतरकर आगे चलकर खेत सब्जी रामभरोसे के खेत व सड़क के बीच खड़ी झाड़ियों व खड़े नीम

के पेड़ के बीच में पड़ी मिट्टी के अन्दर से मिट्टी को हाथ से हटाकर समय करीब 13.15 बजे एक पालीथिन में लिपटा तमन्चा व कारतूस सहित दिया। पालीथिन को खोलकर दिया तो उसके अन्दर से एक तमन्चा 315 बोर जो चालू हालत में है, जिसकी बैरल लोहे की व बट–बाडी पीतल की है। बट के दोनों तरफ स्क्रू से लकड़ी की चाप कसी है। तमन्चें की कुल लम्बाई एक बालिस्ट लगभग है। नाल की कुल लम्बाई लगभग सात अंगुल है। बाडी की कुल लम्बाई लगभग पाँच अंगुल है तथा बट की कुल लम्बाई चार अंगुल है। बाडी व ट्रेगर, हैमर, ट्रेगर गार्ड व खोलने बन्द करने के लिए दोनों तरफ खटका बना है तथा बट के नीचे डोरी लगाने के लिए छेददार कड़ी बनी है। साथ ही पालीथिन के अन्दर से दो अदद जिन्दा 315 बोर कारतूस बरामद हुए।

उपरोक्त फर्द में यह भी अंकित है कि फर्द मौके पर उ.नि. द्वारा नियमानुसार तैयार की गयी व उ.नि. मुनीर खान से मौके पर बोल–बोलकर लिखायी गयी व अभियुक्त को पढ़कर सुनायी गयी व फर्द की एक प्रति अभियुक्त को मौके पर दी गयी।

उक्त फर्द पर उ.नि. शिव शंकर प्रसाद तिवारी, कां. सुधांशु चौहान व अभियुक्त शीलू के हस्ताक्षर है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस बल द्वारा अभियुक्त शीलू को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेने के उपरान्त उसकी निशानदेही पर दिनांक 05.12.2021 को समय 01.15 बजे एक तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये।

इस साक्षी के बयानों में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। अतः इस साक्षी के बयानों से अभियोजन कथानक (मु०अ०सं० 525/2021) को बल प्राप्त होता है।

53. **पी.डब्लू. 10 हे०कां० रामवीर,** जो मु.अ.सं. 525/2021 का चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक है, द्वारा कथन किया गया कि दिनांक 05.12.2021 को वादीमुकदमा उ.नि. शिवशंकर प्रसाद तिवारी द्वारा एक फर्द बरामदगी मय माल मुकदमा व एक अभियुक्त को थाना दाखिल किया। फर्द के अनुसार मैनें चिक रिपोर्ट तैयार की तथा उसका खुलासा मैनें मुकदमा जी.डी. कायमी 45 समय 14.59 बजे दिनांक 05.12.2021 में किया। जिसका मु.अ.सं. 525/2021 धारा 3/25 बनाम शीलू यादव चिक रिपोर्ट व जी.डी. मैनें कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोलकर तैयार करायी थी। चिक रिपोर्ट को मैनें फर्द के अनुसार शब्द व शब्द बोल–बोलकर तैयार करायी थी। इस साक्षी द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–15** व मुकदमा कायमी जी.डी. **प्रदर्श क–16** को साबित किया गया है।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि जी.डी. कायमी में तैयार करने का समय 14.59 बजे दिनांक 05.12.2021 है। यह सही है कि चिक FIR कायमी का समय मैनें 15.00 बजे अंकित किया है।

इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा दिनांक 05.12.2021

को वादीमुकदमा शिव शंकर प्रसाद तिवारी द्वारा बनायी गयी फर्द बरामदगी के आधार पर समय 14.59 बजे मु.अ.सं. 525/2021 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम शीलू यादव सम्बन्धित थाने पर दर्ज किया गया।

पी.डब्लू. 9 उ.नि. पंकज कुमार जो मु.अ.सं. 525/2021 के विवेचक है, द्वारा कथन किया गया है कि जिनके द्वारा अपनी विवेचना के दौरान वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मौके का नक्शा नजरी प्रदर्श क–12 तैयार किया गया। इस साक्षी द्वारा अभियुक्त से बरामद माल आग्नेयास्त्र एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद से अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क–13 प्राप्त की गयी तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शीलू यादव के विरूद्ध धारा 3/25 ARMS ACT में आरोप पत्र सं० 482/21 प्रदर्श क–14 दिनांक 21.12.21 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि शीलू का बयान दिनांक 05.12.2021 को लेने से पूर्व मेरी अभियुक्त शीलू से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तमन्चे की फर्द बरामदगी मेरे सामने तैयार नहीं हुई थी। विवेचना के दौरान मैनें फर्द बरामदगी मूल देखी थी। मिली नहीं थी। कां. रामवीर सिंह का बयान मैनें अंकित किया था। चिक FIR में कहीं पर भी अभियुक्त शीलू के हस्ताक्षर का Sd अंकन नहीं है। मैनें चिक FIR तैयार करने वाले कां. क्लर्क से चिक FIR में अभियुक्त शीलू के हस्ताक्षर का अंकन न किये जाने के बाबत कोई पूछताछ नहीं की। क्यों नहीं की इसकी कोई बजह नहीं बता सकता। आगे कथन किया कि विवेचना के दौरान मैनें बरामदगीस्थल का निरीक्षण किया था। बरामदगीस्थल के आस–पास स्थित दुकानदारों व वहाँ रहने वालों से शीलू द्वारा कथित बरामदगीस्थल पर कब किस दिनांक को तमन्चा छिपाया था, के बाबत पूछताछ की थी। लेकिन किसी ने कोई सन्तोषजनक जानकारी नहीं दी थी।

अपनी जिरह के दौरान यह भी कथन किया है कि अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्श क–13 में यह तथ्य अंकित है कि घटना दिनांक 05.12.2021 समय करीब 13.15 बजे घटनास्थल काशीराम कालोनी रोड हैवतपुर सन्तोष बिजली दुकान के पास मऊ व थाना से फासला 4.50 किमी. दिशा उत्तर उ.नि. शिवशंकर प्रसाद तिवारी थाना मऊदरवाजा के द्वारा मय हमराहियान फोर्स के साथ उपरोक्त अभियुक्त को पकड़ा, जिसके कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, जिसमें एक की पेंदी पर चोट का निशान है। अवैध रूप से बरामद हुआ। जिसका लाइसेन्स अभियुक्त के पास नहीं था।

नक्शा नजरी बरामदगीस्थल एक अदद तमन्चा व दो अदद कारतूस 315 बोर प्रदर्श क–12 का अवलोकन करने पर विदित होता है कि विवेचक द्वारा चिन्ह A से वह स्थान प्रदर्शित किया गया है जहाँ से अभियुक्त शीलू यादव द्वारा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद कराया गया। स्थान B एवं C से पक्की सड़क दर्शायी गयी है जो उत्तर को कांशीराम कालोनी को स्थान A के पास से जाती है तथा बरामदगीस्थल से विद्या इलेक्ट्रानिक सन्तोष की दुकान की दूरी तीस

कदम एवं रामआसरे के मकान की दूरी पचास कदम उत्तर में व घेर मुकेश की दूरी बाईस कदम है।

इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त शीलू की निशानदेही पर पुलिस द्वारा दिनांक 05.12.2021 को समय 13.15 बजे एक तमन्चा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

अतः इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को बल प्राप्त होता है।

पी.डब्लू. 25 कां० सुधांशु चौहान, जो अभियुक्त शीलू यादव से आला कत्ल बरामदगी का गवाह है, द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 05–12–2021 को मैं थाना मऊदरवाजा में कॉन्सटेबल के पद पर तैनात था। उस दिन उपनिरीक्षक शिवशंकर प्रसाद तिवारी मय उपनिरीक्षक मुनीर खां, जीप चालक मंजेश के साथ थाना से मुकदमा अपराध संख्या 427/2021 बनाम अनिल यादव धारा 302 थाना मऊदवाजा में अभियुक्त शीलू यादव द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था जिसकी पी.सी.आर. सी.ओ. नगर द्वारा माननीय न्यायायलय से प्राप्त की गई थी। उक्त अभियुक्त की पी.सीआर. हेतु जिला कारागार फतेहगढ़ सी.ओ. के निर्देशन में हम पुलिसवाले सरकारी जीप से आये थे और जिला कारगार के बाहर सी.ओ. नगर मौजूद मिले थे। उनके द्वारा अभियुक्त शीलू यादव की माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार पी.सी.आर. प्राप्त कर थाना हाजा पर अभियुक्त शीलू को लगभग साढे बारह एक बजे दाखिल किया गया था। उसके बाद सी.ओ. साहब ने उससे पूँछताछ की थी। पूँछताछ में आला कत्ल की बरामदगी का अश्वासन देकर बताया था कि मैं ही चलकर बरामदगी करा सकता हूँ। तब हम लोगों ने एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर कि किसी के पास कोई जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है अभियुक्त शीलू को सरकारी जीप के साथ लेकर उसके बताये अनुसार चिलसरा रोड़ से काशीराम कॉलोनी हैवतपुर गढ़िया की तरफ जाने वाले रास्ते पर जब हम लोग संतोष इलैक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने पहुँचे तभी अभियुक्त शीलू ने गाड़ी रुकवाई और उतरकर आगे आगे चलकर सड़क के किनारे सब्जी का खेत था उसकी मेड़ के पास दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ था वहाँ झाड़ियों के पास से मिट्टी हटाकर स्वयं एक पॉलीथिन में एक तमंचा 315 बोर व दो कारतूस जिन्दा 315 बोर निकालकर दिये और बताया मैंने इसी तमंचे से व मेरे पिता अनिल यादव व भाई प्रवीन उर्फ नन्हें ने अपने अपने तमंचे से मिलकर शिवा गिहार की गोली मारकर हत्या की थी। तमंचे व कारतूस को एक कपडे में शील सर्वमोहर किया गया था तथा मौके पर ही फर्द तैयार की गई। फर्द पर मेरे व अभियुक्त शीलू व अन्य पुलिसवालों के हस्ताक्षर बनवाये थे। घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मुझसे पूँछताछ की थी।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि थाने से शीलू को आला कत्ल बरामद कराने के उद्देश्य से समय करीब एक बजे दिन उ.नि. शिव शंकर प्रसाद तिवारी, उ.नि. मुनीर खान, कां. जीप चालक मंजेश और मै शीलू को लेकर निकले थे। शीलू ने आला कत्ल दिन के

डेढ़ बजे लगभग बरामद कराया था। मौके पर या उससे पहले जनता के गवाहान फराहम करने का कोई प्रयास नहीं किया। जिस जगह से तमन्चा बरामद किया गया वहाँ नीम के पेड़ के पास झाड़ियों में मिट्टी से दबाकर रखा गया था। मुझे नहीं मालूम कि जिस पालीथिन में तमन्चा व कारतूस रखे हुए थे उस पालीथिन का क्या रंग था। शीलू ने तमन्चा दरोगा जी को बरामद कराया था, मुझे नहीं कराया था। मैनें यह देखा था कि बरामदशुदा तमन्चा चालू हालत में है कारतूस जिन्दा है। बरामदशुदा तमन्चा को मैनें हाथों से खोलकर नहीं देखा था। मुझे इस समय याद नहीं कि बरामद तमन्चे की हुलिया क्या थी। आगे कथन किया कि फर्द की नकल जो अभियुक्त को दी गयी थी वह कार्बन लगाकर तैयार की गयी थी और उस नकल को अभियुक्त ने अपने पास रख लिया था। अभियुक्त के हस्ताक्षर मौके पर फर्द में एक जगह पर करवाये गये थे, उसके बाद अभियुक्त को लाकर थाने में दाखिल किया गया था। अभियुक्त को थाने में लगभग 2.30–03.00 बजे दाखिल किया गया था।

फर्द बरामदगी प्रदर्श क–28 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त फर्द पर कां. 416 सुधांशु चौहान के हस्ताक्षर है। जिससे स्पष्ट है कि सी.सी. सुधांशु चौहान अभियुक्त की निशानदेही पर एक तमन्चा व दो अदद कारतूस 315 बोर की बरामदगी के समय बरामदगीस्थल पर उपस्थित था और वादी उ.नि. शिवशंकर प्रसाद तिवारी द्वारा उसके फर्द बरामदगी पर हस्ताक्षर कराये गये थे। इस साक्षी के बयानों में कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं है। अतः इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को बल प्राप्त होता है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त साक्ष्य से यह साबित होता है कि पुलिस बल द्वारा दिनांक 05.12.2021 को अभियुक्त शीलू की निशानदेही पर समय 01.15 बजे एक तमन्चा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये, जिन्हें रखने का उसके पास कोई लाइसेन्स नहीं था।

इस प्रकार अभियोजन मु.अ.सं. 525/2021 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के मामलें को सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है।

54. इस तरह से अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण एवं औपचारिक साक्षीगण के साक्ष्य का सम्यक अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त शीलू यादव पर लगाए गए भा.दं.सं. की धारा 302/34 व धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोपो युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ है तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल हुआ है। इस प्रकार अभियुक्त शीलू यादव भा.दं.सं. की धारा 302/34 व धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोपों के अन्तर्गत सन्देह का लाभ प्राप्त करते हुए दोषमुक्त एवं आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अन्तर्गत दोषसिद्व होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **शीलू यादव** को सत्र वाद संख्या 359/2025, मुकदमा अपराध संख्या 427/2021, थाना मऊदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद के मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 व धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोपों में सन्देह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

सत्र वाद संख्या 359/2025, मुकदमा अपराध संख्या 427/2021, थाना मऊदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद के मामले में अभियुक्त शीलू यादव कारागार में निरूद्ध है, चूंकि अभियुक्त इस मामले में दोषमुक्त हो चुका है इसलिए उसका रिहाई परवाना जिला कारागार, फर्रुखाबाद भेजा जाए।

अभियुक्त शीलू यादव को सत्र वाद संख्या 104/2022, मुकदमा अपराध संख्या 525/2021, थाना मऊदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद के मामले में आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के आरोपों में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

इस मामलें में भी अभियुक्त शीलू यादव जेल में है। ऐसी स्थिति में उसे पुनः अभिरक्षा में लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली **दिनांक** 27.06.2026 को पेश हो।

उक्त तिथि पर अभियुक्त **शीलू यादव** को जिला कारागार से न्यायालय में उपस्थित कराया जाए।

दिनांकः– **23.06.2026**

(**तरूण कुमार सिंह–I**)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

<u>27.06.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। दोषसिद्ध **शीलू यादव** जिला कारागार, फर्रुखाबाद से उपस्थित है।

दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को दण्ड के प्रश्न पर सुना।

दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि दोषसिद्ध नवयुवक है तथा परिवार के भरण–पोषण की जिम्मेदारी दोषसिद्ध पर ही है। उसका कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। दोषसिद्ध द्वारा कारित यह प्रथम अपराध है। अतः दोषसिद्ध की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, उसके प्रथम अपराध एवं उसके व उसके परिवार के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए कम से सजा दिये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा दण्ड के प्रश्न पर कहा गया है कि दिनांक 05.12.21 को दोषसिद्ध शीलू यादव की निशानदेही पर पुलिस पार्टी द्वारा रामभरोसे के खेत व सड़क के बीच मे बड़ी झाडियो व खडे नीम के पेड़ के बीच में पड़ी मिट्टी के अन्दर से एक तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया था। दोषसिद्ध की

बहस के स्तर पर अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध बाध्यकारी आदेशिका जारी हुई। जिस कारण दोषसिद्ध के निर्णय में विलम्ब हुआ है तथा दोषसिद्ध के आचरण से भी उसकी आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति का पता चलता है। इस प्रकार दोषसिद्ध द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः दोषसिद्ध को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष के उपरोक्त कथनों के प्रकाश में दोषसिद्ध की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों एवं उसके आचरण, कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

दोषसिद्ध **शीलू यादव** को सत्र वाद संख्या 104/2022, मुकदमा अपराध संख्या 525/2021, थाना मऊदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद के मामले में आयुध अधिनियम की धारा **3/25** के आरोप के अन्तर्गत **पांच वर्ष** का कठोर कारावास और **10,000/-** (दस हजार रुपये) जुर्माने से दण्डित किया जाता है, जुर्माना न अदा करने पर उसे **तीन माह** का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

दोषसिद्ध शीलू यादव द्वारा इस मामलें में पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के प्रावधानों के अनुसार उसकी सजा में समायोजित किया जाएगा। तद्नुसार दोषसिद्ध का सजायावी वारण्ट बनाकर उसे उपरोक्त सजा भुगतने हेतु जिला कारागार, फर्रुखाबाद भेजा जाए।

उपरोक्त मामले से सम्बन्धित समस्त वस्तु प्रदर्श को बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा। अपील होने की दशा में उपरोक्त प्रदर्शो का निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जायेगा।

निर्णय की प्रति दोषसिद्ध को अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए तथा निर्णय की एक-एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद एवं अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़ को भेजी जाए।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र वाद संख्या 359/2025, राज्य प्रति शीलू यादव की पत्रावली में रखी जाए।

दिनांकः- **27.06.2026**

(**तरूण कुमार सिंह- I**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), फर्रुखाबाद

निर्णय के सार को समझाकर व प्रवर्तनशील भाग को पढ़कर मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में यह निर्णयादेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः- **27.06.2026**

(**तरूण कुमार सिंह- I**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), फर्रुखाबाद